हिमाचल प्रदेश विधास सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

27/1100/08.2015.जेएस/एएस/1

अध्यक्षः श्री वीरभद्र सिंह जी, मुख्य मंत्री ,मंत्री परिषद् में सम्मिलित हुए मंत्री का परिचय करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में श्री कर्ण सिंह, विधायक, बंजार क्षेत्र, कुल्लू का केबिनेट मंत्री के रूप में परिचय करवाता हूं, जिन्हें सहकारिता और आयुर्वेद विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

27/1100/08.2015.जेएस/एएस/2

प्रश्न संख्याः 2082

अध्यक्षः प्रश्न काल आरम्भ।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से सूचना सभा पटल पर रखी गई है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नए संस्थान खोले हैं, विशेष करके जो प्राईमरी स्कूल खोले हैं उन प्राईमरी स्कूलों को खोलने के उपरान्त उसमें नोट दिया है कि उनमें नई पोस्टें सृजित नहीं की जाएंगी। दूसरे स्कूलों से युक्तिकरण करके वहां पर अध्यपकों को लगाया जाएगा। पहले ही स्कूलों में अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं।

दूसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कुछ नये कॉलेजिज और नई पी.एच.सीज. खोलने की घोषणा की है। कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ डिग्री कॉलेजिज हैं, कुछ पी.एच.सीज. हैं, जिनकी अधिसूचना पूर्व सरकार के समय में हुई थी। केवलमात्र अधिसूचना ही नहीं हुई थी बल्कि उनके फंक्शनल ऑर्डर भी हो चुके थे और वहां पर वे इन्स्टिच्युशन्ज फंक्शन कर रहे थे। इसके क्या कारण हैं कि उनकी दोबारा से नोटिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी?

तीसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने एस.डी.एम. कार्यालय खोले। एस.डी.एम. और सब तहसील कार्यालय खोलने के साथ-साथ जो पदों का सृजन किया गया है वह आपके उत्तर में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सब तहसील के लिए आप 20 पद सृजित कर रहे हैं और एस.डी.एम. कार्यालय के लिए आप 22 पद सृजित कर रहे हैं। क्या 22 पद एक एस.डी.एम. कार्यालय के लिए काफी है? मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने एस.डी.एम. कार्यालय ज्वाली के लिए 30 पद सृजित किए हुए हैं और जो बाकी एस.डी.एम. कार्यालय हैं, उनके लिए आपने 22-22 पद सृजित किए हुए हैं।

27/1100/08.2015.जेएस/एएस/3

मैं, मुख्य मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि ए.सी.एस. रेवन्यू ने एक नोटिफिकेशन जारी की है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

27-08-2015/1105/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2082 क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

एक नोटिफिकेशन 20 अगस्त, 2015 को जारी की गई है, उसमें कुछ पोस्टों पर 20 या 25 प्रतिशत कट लगाया गया है। क्या आप उस नोटिफिकेशन को विदड्रा करने के आदेश करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी नये स्कूल चाहे प्राईमरी, मिडिल, हाई स्कूल, 10+2 स्कूल या कॉलेजिज़ हैं वे जनता की मांग पर ही खोले गए हैं। सब-तहसीलें भी बनाई गई हैं, तहसीलें भी बनाई गई हैं, सब-डिवीजन भी बनाए गए हैं क्योंकि प्रशासन जनता के लिए होता है। **जहां जनता की मांग है और प्रशासन**

समझता है कि वह मांग सही है तो उसको पूरा करना प्रशासन का कर्तव्य होता है। हमने उस कर्तव्य का पालन करते हुए यह काम किया है। इससे भी ज्यादा मांग है उसको आगामी वर्षों में पूरा किया जायेगा। ये जो स्कूल, कॉलेज खोले जाते हैं या कोई शैक्षणिक संस्थाएं खोली जाती हैं वे सब जनता के हित के लिए खोली जाती हैं।

जहां तक इन्होंने कहा है कि एस0डी0एम0, तहसीलदार, तहसील और सब-तहसील के क्या नार्म्ज़ हैं, वे नार्म्ज़ ये है कि तहसील में तहसीलदार होते हैं। बड़ी तहसील में तहसीलदार और नायब-तहसीलदार होते हैं तथा जो सब-तहसील है उसमें सिर्फ नायब-तहसीलदार होते हैं। यह पैटर्न है। बाकी जो रेवेन्यू का स्टाफ है वह उनके साथ जुड़ता है। सब-डिवीजन में एस0डी0एम0 होता है। जहां तक कॉलेजिज़ का सवाल है हमने जितने कॉलेज खोले हैं शुरू में ही उनको भवन बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपया देते हैं और कई जगह भवन तैयार भी हो गए हैं। वैसे 5 करोड़ रुपये में भवन नहीं बनता परन्तु जब काम शुरू हुआ तो और पैसा दिया गया और भवन तैयार हो रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर 5 करोड़ रुपया दिया परन्तु भूमि न मिलने के कारण अभी तक एक-दो कॉलेज मेक शिफ्ट अरेंजमैंट में चल रहे हैं। जैसे ही भूमि उनके लिए उपलब्ध होगी भवन तैयार करवाया जायेगा। --(व्यवधान)--

श्री महेन्द्र सिंहः मैंने सप्लीमेंटरी कुछ अलग पूछा है और आप अलग जवाब दे रहे हैं।

27-08-2015/1105/SS-AS/2

मुख्य मंत्रीः मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 15.2.2015 को लगा था, उस समय मुख्य मंत्री जी की ओर से जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि 15.2.2015 से लेकर अब तक लगभग साढ़े 6 महीने हो गए, वैसे आपने काफी डिटेल में सूचना उपलब्ध करवाई है लेकिन इस

समयावधि के दौरान अन्य कितने संस्थान स्तरोन्नत किए गए या नए खोले गए? वैसे तो आपको यह सूचना इसके साथ क्लब करनी चाहिए थी। इसके साथ ही देनी चाहिए थी। एक तो मेरा यह प्रश्न है।

दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं, जो आपने यहां पर सब-तहसीलें खोली हैं, मैं देख रहा था कि आपने सब-तहसीलों में 10-10 पोस्टें क्रियेट की हैं और वहां पर अभी तक 7-7 पोस्टें खाली हैं। उदाहरण के तौर पर आपने जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में आलमपुर सब-तहसील खोली, उसका वहां के विधायक महोदय ने उद्घाटन भी कर दिया। न तो वहां नायब-तहसीलदार है और अन्य स्टाफ भी कोई नहीं है। आज के दिन में लोगों को दिक्कत क्या आ रही है? जब वे जयसिंहपुर तहसील में जाते हैं तो उन्हें वापस आलमपुर यह कह भेज दिया जाता है कि वहां आपकी सब-तहसील खुल चुकी है। उनका आने-जाने का सारा समय बरबाद हो रहा है। आपने वहां पर पोस्टें तो दीं लेकिन वे रिक्त चली हुई हैं। इनको कब तक भर दिया जायेगा? एक तो मेरा यह प्रश्न है।

दूसरा, टेक्निकल एजुकेशन का विभाग तो बाली जी के पास है। मैं इसको अभी देख रहा था कि आपने अभियांत्रिक महाविद्यालय, नगरोटा-बगवां में खोला है और उसमें जो आपने पोस्टें दी हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम एजुकेशन को सशक्त करेंगे दूसरी तरफ आपने वहां 46 पद सृजित किये हैं लेकिन उसमें से 23 भरे हैं और 23 पद खाली हैं। वहां पर आप टेक्निकल एजुकेशन की बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे होंगे? एक तो यह प्रश्न है। --(व्यवधान)-- एक तो मैंने सब-तहसीलों के बारे में पूछा, वह प्रश्न तो आपने सुना। दूसरा, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा-बगवां में खोला है वहां पर आपने 46 पोस्टें क्रियेट की हैं। 46 में से 23 पोस्टें भरी हैं और 23 खाली हैं, अन्य में भी यही हाल होगा। मुख्य मंत्री महोदय, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बाकी सारे भी इसमें लिखे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरह से जो कॉलेजिज़ खोले हैं

...जारी श्रीमती के0एस0

/1110/27.08.2015केएस/डीसी1/

प्रश्न संख्या 2082 जारी----

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी तरह से जो कॉलेजिज़ खोले, जिसका जिक्र माननीय महेन्द्र सिंह जी ने भी किया, इन सारे के सारे कॉलेजों की हमारी सरकार के समय में नोटिफिकेशन भी हो गई थी, इनके पक्ष में ऑर्डर भी हो गए थे। आपने आकर उस नोटिफिकेशन को रद्द करके फिर से उनको किया। जैसे ज्वाली में आपने कॉलेज दिया, बाकी कॉलेजिज़ का भी यही हाल है लेकिन क्योंकि वहां से सी.पी.एस., ऐजुकेशन हैं और वहां भी सारी की सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई है। वहां 6 या 7पोस्टें भरी हुई हैं बाकी सारी खाली है। मुख्य मंत्री महोदय हमारा प्रश्न करने का यही औचित्य था कि लोगों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को राहत दी जाए लेकिन यह मिल नहीं रही है । आप इन सारी चीजों के ऊपर कब तक कदम उठाएंगें ?जो आपने वहां पर सब तहसीले, तहसीलें या अन्य संस्थान खोले हैं, उनमें सारे पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

अन्त में ,अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब आप नोटिफिकेशन की बात करते थे ,जैसे डाडासीबा में आपने तहसील खोल दी। आपने देहरा विधान सभा क्षेत्र के मेरे दो पटवार सर्कल उसमें शामिल कर दिए। वहां के लोगों को इसके बारे में नहीं पूछा गया न ही उनको ऑब्जैक्शन करने का कोई समय दिया गया। लोगों ने अब ऑब्जैक्शन किया और डी.सी. महोदय को लिख कर दिया है। क्या आप उन दोनों पटवार सर्कलों को देहरा तहसील में वापिस करेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बेशक आपकी सरकार ने चुनाव से पहले कुछ स्कूल नोटिफाई किए थे लेकिन उनके लिए कोई इन्तज़ाम नहीं था। वह हमने रद्द किए और नए तरीके से नोटिफिकेशन की और उनके अलावा बहुत से और भी नए कॉलेज खोले गए। सबके लिए जितना

भी वहां पर स्टाफ लगना है, लैक्चरर्ज़ हैं, प्रोफैसर हैं या अन्य स्टाफ है या जो तहसीलें खोली गईं, उनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार सबकी पोस्टें क्रिएट की गई। शुरू-शुरू

/1110/27.08.2015केएस/डीसी2/

में तो वहां पर ट्रांसफर के माध्यम से पोस्टें भरी गई। Ultimately the posts have been created for these institutions और कोई भी इंस्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके लिए पोस्ट क्रिएट नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, विभागीय उत्तर में एक-एक इंस्टिट्यूशन की डिटेल दी गई है। It is a detailed report. Rather than thanking the Government for this much work you are trying to find faults.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, डाडासीबा में देहरा विधान सभा क्षेत्र के जो पटवार सर्कल शामिल कर दिए हैं, उनको वापिस करना है। लोगों ने एतराज़ करके इस बारे में डी.सी. को लिखकर दिया है और जयसिंहपुर के अंतर्गत आलमपुर सब तहसील जिसका उद्घाटन कर दिया है, वहां न तहसीलदार है न कोई और है, वहां पर एक भी आदमी नहीं है। चपड़ासी तक भी नहीं है।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आलमपुर में नायब तहसीलदार पोस्ट कर दिया गया है। अभी वह वहां पर पहुंचा है या नहीं ,यह मुझे मालूम नहीं है। सारा स्टाफ वहां पर पोस्ट किया गया है। Alampur Sub Tehsil is functioning. यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने डाडासीबा तहसील खोलने की बात की ,उसके आसपास की देहरा की जो पंचायतें थीं, उन्होंने अपनी रज़ामंदी से इस तहसील में आने की इच्छा ज़ाहिर की है।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 6 पंचायतों ने इस सम्बन्ध में डी.सी. साहब को लिखकर दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर सरकार अमल करेगी?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब इस बारे में एप्लीकेशन आएगी तब देखेंगें।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, 15.02.2015 को यह जो प्रश्न था, इसको पोस्टपोन किया गया था, जो कि आज लगा है। इसमें मैंने प्रश्न किया था और मेरे प्रश्न को इन चारों के साथ क्लब किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या झंडूता

/1110/27.08.2015केएस/डीसी3/

की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार वहां पर एस.डी.एम. कार्यालय खोलने का विचार रखती है? 25.02.2015 को जिला बिलासपुर में मुख्य मंत्री महोदय गए वहां उन्होंने सब तहसील कलोल की घोषणा की । सभा पटल पर जो जवाब रखा है उसमें झंडूता चुनाव क्षेत्र के आगे शून्य लिखा है और दूसरी घोषणा की कि तलाई पी.एच.सी. को सी.एच.सी. अपग्रेड किया जाएगा, जहां पर लाखों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मेले में आते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.8.2015/1115/av/dc/1

प्रश्न संख्या : ---------2082क्रमागत

श्री रिखी राम कौंडल --------जारी

वहां बाबा बालक नाथ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। न तो सी.एच.सी. तलाई की नोटिफिकेशन हुई है और न कलोल की नोटिफिकेशन हुई है। ये दोनों नोटिफिकेशन्ज कब कर दी जायेगी? इसके अतिरिक्त झण्डूता की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां एस.डी.एम. कार्यालय कब खोला जायेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों के बारे में पूर्व विधायक डॉ. वीरु राम किशोर ने हमें अवगत किया है और उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अब हो गया, काफी हो गया है। काफी सूचना मिल गई है।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में पूर्व सरकार के समय में पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के सरांह में भी डिग्री कॉलेज खोला गया था। मगर वर्तमान सरकार ने आते ही उसको डीनोटिफाई कर दिया। उस समय जब हम हाई कोर्ट में गये तो यह कहा गया कि इनफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री सुरेश कुमार : उस कॉलेज की सितम्बर, 2013 में दोबारा घोषणा हुई और उसके लिए 5करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया। साथ में यह भी कहा गया कि इसका भवन शीघ्र ही बना दिया जायेगा। मैंने इस बारे में विधान सभा सत्रों के दौरान बार-बार प्रश्न लगाया। मगर हर बार यही उत्तर आया कि इसकी अभी फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ढाई साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी उसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस क्यों नहीं हुई? जबकि नाहन डिग्री कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी को करना था और दो महीने

के अंदर उसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस आ गई। सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस कॉलेज भवन के निर्माण का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा? दूसरे, वहां पर कुल 25 में से 10 पद जिसमें कि असिस्टैंट प्रोफैसर, सीनियर असिस्टैंट, लाइब्रेरियन, दो क्लर्क, सेवादार और दो चौकीदार के पद खाली हैं। इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा? इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में पझौता और

नारग; दो सब तहसीलें खोली गईं। जिसमें पझौता नौरी में खुली है और वहां पर नायब तहसीलदार के पद के अतिरिक्त दस में से सात पद खाली है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले एक बात पूछ लीजिए।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सब तहसील नारग मेरे यहां खोली गई और वहां पर भी 10 में से 6 पद खाली हैं। इन पदों को कब तक भरा जायेगा तथा सरांह कॉलेज का भवन कब तक बन जायेगा?

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य ,अगर आप चाहते हैं कि ये सब तहसीलें नहीं रहें तो मैं इनको बंद कर दूंगा।

श्री सुरेश कुमार: नहीं, नहीं। ये तो होनी चाहिए, सर। हम तो यह कह रहे हैं कि ये खुलनी चाहिए मगर उनमें रिक्त पद भरे जाने चाहिए।

मुख्य मंत्री : किसी भी सब तहसील में दस पोस्टें नहीं होती है। उसमें नायब तहसीलदार, अहलमद और एक-दो बाबू होते हैं। (---व्यवधान---) यही होते हैं और ये सब तहसीलें ठीक से काम कर रही हैं। जहां तक सरांह कॉलेज की बात है तो आपके समय में चुनाव के बिल्कुल नजदीक उस कॉलेज की घोषणा हुई थी। वह केवल कागजों के ऊपर हुई थी, प्रेक्टिस में कुछ नहीं हुआ था। (---व्यवधान---) सुनिए, सुनिए, हमने उसको कैसे नोटिफाई किया। उसको हमने पूरा स्टाफ भेजा है। इसी तरह से उसके भवन निर्माण के लिए जमीन चयनित की गई है। वह जमीन आप लोगों ने दिखाई है और वह फॉरैस्ट एरिया में पड़ती है। वह केस फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए गया है। उसकी जैसे ही फॉरैस्ट क्लीयरैंस हो जायेगी

27.8.2015/1115/av/dc/3

वहां पर भवन का निर्माण होगा और उसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि सैंक्शन हुई है। भवन तब बनेगा जब फॉरैस्ट क्लीयरैंस होगी क्योंकि वहां पर जमीन का चयन आप लोगों ने किया है कि कॉलेज इस जगह पर बनाया जाए।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देने की अपेक्षा बात को टालने और हंसी-मजाक में उड़ाने का हल्का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा और आपके उत्तर में भी लिखा है कि सब तहसील में दस पोस्टें होती हैं मगर आप उससे मुकर रहे हैं। उल्टे आप धमकी दे रहे हैं कि आप कहते हैं तो बंद कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि घोषणा चुनाव से पहले हो गई थी और प्रावधान कुछ नहीं था। सरांह में आपने क्या किया? जहां हमने कॉलेज चला दिया था, क्लासिज चल रही थी, शिलान्यास हो गया था और पैसा भी सैंक्शन हो गया था तो आपने दूसरी जगह शिलान्यास कर दिया ----------

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

27.08.2015/1140/TC/AG/1

प्रश्न संख्याः 2082 --- क्रमागत

श्री प्रेम कुमार धूमल---जारी

जहां फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं आई ,पौने तीन साल आपको हो गये हैं । धेले का काम हुआ नहीं । आप कह रहे हैं, पहली सरकार ऐसा कर गई थी और अगर कोई माननीय विधायक पूछ रहा है, मुख्य मंत्री महोदय आप चुने हुए विधायकों की विधान सभा में उत्तर दे रहे हैं। किसी हारे हुए व्यक्ति का नाम लेकर, आप कहते हैं, उसने कहा इसलिए मैं नहीं करूँगा। एक विधान सभा सेशन उनका ही बुला लो। आप हर काम हारे हुए लोगों के कहने पर कर रहे हैं तो यह विधान सभा किस लिए हैं?

Chief Minister: Today you are not honourable to me. Kindly शान्ति के साथ, प्रेम के साथ बिना गुस्से के बात करो। तब तो सुनाई देगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः प्रेम जब बोलता है, तो प्रेम से ही बोलता है। भद्र जी को भद्रता से सुनना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः आपके प्रेम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आप कितना प्रेम करते हैं, आप दो दफ़ा मुख्य मंत्री रहे और आपके राज में I faced a session trial on false and fabricated cases. ये झूटा प्रेम है आपका।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आप इस तरह से बात टाल रहे हैं, कल परसों भी आपने मेरी अब्सेंनस में ऐसी बात की। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद हम इस पर चर्चा चाहेंगे, किसने क्या किया सारी बात सामने आ जाएगी। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि एक और सदन लगाओ। उसमें जो आपके लोग हारे हुए हैं, उनका सत्र लगा कर उनको जवाब दें। ये जो जनता ने चुने हुए प्रतिनिधि भेजें हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं और आप इनको धमकी दे रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः ऐसी बात नहीं है। मैं तो इनका जबाव दे रहा था।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अगर ऐसी बात नहीं हैं तो ठीक बात करो।

27.08.2015/1140/TC/AG/2

मुख्य मंत्रीः मैं जानता हूँ कि आप सदन के बाहर क्या बोलते हैं और सदन में क्या बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष ने जो पूछा है, उसमें मैंने यह कहा है कि कॉलेज़ नोटिफाई हो गया है। कॉलेज की बिल्ड़िंग वहां पर बन गई है। क्लासें चालू हो गई है और वहां भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रूपये मंजूर हैं। लेकिन भवन अभी तक इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो ज़मीन चयनित की गई है, वह फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए मामला देहरादून भेजा गया है। जैसे ही फॉरेस्ट क्लीयरेंस आएगी। इस भवन का कार्य शुरू हो जाएगा।

Speaker: Let us not escalate this discussion. Next Question, Shri Virender Kanwar. Baliji, whether you want to say something?

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: I would like to give a little bit of clarification to put the record straight. रविन्द्र रवि जी ने कहा कि नगरोटा में जो राजीव गांधी कॉलेज है, उसमें स्टॉफ की कमी है। ऐसा

नहीं है, वहां पर स्टॉफ पूरा है और जो बाकि पोस्टें हैं, उसके लिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वायरमैंट भेज दी है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा पोस्टें भर ली जाएगी।

प्रश्न समाप्त

27.08.2015/1140/TC/AG/3

प्रश्न संख्याः 2108

वीरेंद्र कंवर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आर0टी0आई0 में सूचना मांगता तो इससे पहले सूचना मिल जाती। सदन का क्या मतलब हुआ? दूसरा, मेरा यह कहना है कि इतनी सी सूचना देने में इतना टाईम क्यों लग रहा है? जब हम माननीय मुख्य मंत्री के पास गरीबों के केस को लेकर फाईनेंशियल ऐसीस्टेंस के लिए जाते हैं तो वह भी प्रोसेस बहुत ज्यादा लम्बा है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि सूचना भी मिले और जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा शॉट कर दिया जाये। ताकि गरीब आदमी को रहता मिल सकें।

श्रीमती एन0एस0 ----जारी

27082015/1125/AG-NS/1

मुख्य मंत्री : सर, जितने भी फाइनैंशियल हैल्प के केस आते हैं 99 प्रतिशत के केस में 12 प्रतिशत राशि मंजूर होती है। कुछ केसों में जानकारी पूरी नहीं है वहां पर ही पड़ताल की जाती है। 99 per cent cases are sanctioned within one week.

Concluded

27082015/1125/AG-NS/2

Question No. 2350

Shri Ajay Mahajan: Speaker, Sir, the Hon'ble Minister in his reply has said that the Deputy Commissioner, Kangra has taken up the matter with the Deputy Commissioner, Pathankot on 29.06.2015. What is being the outcome of these discussions? Has anything been taken up further and what is the present status? I would also like to ask the Hon'ble Minister - now this is 2015 - has the demarcation ever been done earlier, and if so, when?

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, it is a fact that interstate boundary in Tehsil Nurpur of District Kangra along the Chakki Khad is unclear. The SDO (Civil), Nurpur has taken up the matter with the SDO (Civil), Darkalang, Punjab, for demarcation of such interstate boundary during the year 2005, but no response was received from the concerned SDO (Civil). Now, the Deputy Commissioner, Kangra has reported that the matter with regard to interstate boundary stretch falling from Khanni to Kandwal and Kandwal to Jagat Giri Ashram along the Chakki Khad dividing interstate boundary between the land of Himachal Pradesh and Punjab State has again been taken up with the Deputy Commissioner, Pathankot on 29.06.2015 for joint demarcation on the spot and the response of the Punjab Government authorities is still awaiting. I may also like to mention that our Additional Chief Secretary (Revenue)-cum-Financial Commissioner (Revenue) has taken up the matter with his counterpart (Punjab) and I was told that the Financial Commissioner, Punjab has also agreed for the demarcation. Let me assure the Hon'ble Member that if need be, I will take

up this matter with my counterpart, the Revenue Minister, Punjab if this matter is not settled at the earliest.

Shri Ajay Mahajan: Sir, I want to thank the Hon'ble Minister that he has put a very senior level officer and he himself has given an assurance. I also want to ask from the Hon'ble Minister that what is the level of officers involved, (DC, SDM, State level officers etc.) who are participating in the interstate boundaries. Clarity is not there. You have already said that you could not take it up early. This is a very-very serious matter. On our borders, there is lot of illegal mining by the Punjab people and all our water supply schemes are almost defunct. If the Government plans high technology like digital mapping using satellite with GPS coordinates etc. for the interstate boundary demarcation that would be the only way. . . . .

Continued by AS in English . . . .

27.08.2015/1130/negi/as/1

प्रश्न संख्या: ..2350 जारी...

Sh. Ajay Mahajan: Berceuse right from the beginning till today every date is a problem. So, if the assurance you have given, if this could be put in practical at the earliest, I will be grateful, sir.

Hon'ble Health Minister: Sir, yes, the Hon'ble Member has put a very relevant and important question. This is a question of demarcation of boundary between district Pathankot and district Kangra. The demarcation on interstate issue is done at the level AC-1st Grade (Tehsildar) and SDM. He is the competent authority to demarcate the

interstate boundary. I fully agree that the people from Punjab are taking undue benefit of this because the demarcation of interstate boundary is not clear. They are coming to Himachal Pradesh for mining purposes. We will ensure that this will be taken up at the earliest and if need be, we can take the help of satellite mapping.

प्रश्न संख्या: 2351.

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जितनी भी एनाऊंसमैन्ट्स की हैं, वे लगभग सारी पूरी हो गई हैं। आपने 25 तहसीलें एनॉऊंस की थी और 25 की नोटिफिकेशन्ज़ जारी हो गई है। जो आपने 2 महीने पहले एनॉऊंस की है उनकी भी नोटिफिकेशन्ज़ जारी हुई है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने 7 महीने पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में गनारी तहसील की एनॉऊंसमैन्ट की थी उसको आप कब तक नोटिफाई कर देंगे ? साथ ही, मैं आपसे यह भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वहां पर कॉलेज एनॉऊंस किए दो साल हो गए हैं लेकिन उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नही हुई है । मैं इन दोनों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 62 उप-मण्डल, 92 तहसीलें और 50 उप-तहसीलें हैं। सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2013 के पश्चात 7 उप-मण्डल, 7 तहसीलें व 18 उप-

27.08.2015/1130/negi/as/2

तहसीलों का सृजन किया जा चुका है और सृजित किये गये उप-मण्डलों, तहसीलों और उप-तहसीलों का ब्यौरा इस सूची में दिया गया है।

अभी माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया जी ने एक तहसील के बारे में जिक्र किया है । उसका हेड-क्वार्टर कहां होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं था। इन्होंने एक जगह चयनित की है और उसके बारे में कई रिप्रेजेन्टेशन्ज़ आए हैं कि कहां

पर इसका हेड-क्वार्टर होना चाहिए। मगर हमने फैसला किया है कि जो माननीय विधायक ने जगह छांटी है वहीं पर तहसील खोला जाएगा और इसके बारे में अधिसूचना बहुत जल्दी जारी की जाएगी ।

इन्होंने एक कॉलेज का भी जिक्र किया है। हालांकि जब से यह सत्र शुरू हुआ है इनको मैं कम से कम 5 दफा इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वह दौलतपुर-चौक का कॉलेज है जो नीजि कालेज था और सरकार ने इस कॉलेज को पिछले कार्यकाल में टेक-ओवर किया था और वह चालू है। सिर्फ उस कॉलेज का जो साईंस सैक्शन था किसी वजह से वह उस वक्त टेक-ओवर नही हुआ था। लेकिन अब उसको भी टेक-ओवर करने के आदेश दिए गए हैं । बाकी वहां पर कॉलेज चल रहा है, As a Government College. लेकिन साईंस सैक्शन अभी भी डी.ए.वी. कॉलेज या जो भी इस कॉलेज को चलाता था उनके पास है। साईंस सैक्शन को भी लेकर इसी कॉलेज़ में शामिल किया जा रहा है और जल्दी इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, क्या इस वर्ष में इन दोनों की नोटिफिकेशन हो जाएगी ? आपने जो आश्वासन दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिए मेरा आश्वासन पत्थर की लकीर होती है।

अगला प्रश्न श्रीमती यू.के.द्वारा जारी..

27/1135/08.2015.यूके/एएस/1

प्रश्न संख्या:2352

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने यहां पर रखी हैं इसमें बताया गया है कि तहसीलदारों के कुल 131 तथा नायब तहसीलदार के

177 पद व पटवारियों के 2450 पद सृजित हैं जिनमें से तहसीलदारों के 17 पद, नायब तहसीलदारों के 34 तथा पटवारियों के 650 पद रिक्त चल रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं वैसे इन्होंने "ग" भाग में बताया तो है कि पदौन्नति या सीधी भर्ती के द्वारा भर दिए जाएंगे लेकिन कब तक भरे जाएंगे क्योंकि काफी दिनों, महीनों और सालों से ये पद रिक्त चले हुए हैं ? कई जगह तो एक-एक पटवारी के पास 3-3 सर्कल है, वहां काम करने में बहुत दिक्कत वहां की जनता को सहन करनी पड़ती है । पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर देंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद काफी नयी तहसीलों का सृजन हुआ, कई नई उप-तहसीलों का सृजन किया गया जिसकी वजह से ये पद खाली हैं। कुछ लोग अभी तहसीलदार की ट्रेनिंग कर रहे हैं और कुछ हमने पब्लिक सर्विस कमिशन को पोस्टें भेजी हैं, पब्लिक सर्विस कमिशन में भी रिकोमेंडेशन की है । उन तहीसीलदरों को हम डिवीज़नल कमिशनर के पास भेज रहे हैं ताकि उनको तैनाती दें । इसी तरीके से 17 पद तहसीलदारों के खाली हैं, कुछ ऐक्स-कैडर पोस्टे हैं । उसमें भी डिपार्टमैंट सोच रहा है, जो ऐक्स-कैडर पोस्ट हैं उन पोस्टों को भी विदड्रॉ करके जो तहसीलें खाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बड़ी तहसीलें हैं उनमें तहसीलदार लगाए जाएं । वैसे ही नायब तहसीलदरों के बारे में भी है । अध्यक्ष महादय, आप देखेंगे कि हमने सारी सूचना विस्तृत तौर पर दी है । यहां तक कि पटवारी के पद कहां-कहां खाली हैं, उन जगहों के भी नाम दिए हैं । पटवारी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं । मेरे ख्याल से सितम्बर में 507 पटवारियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी । जैसे ही उनके ऐग्ज़ाम होंगे और जो ऐग्ज़ाम पास करेंगे उनको हम पटवारखानों में लगाएंगे । हर जिले में पटवारी बांटे हैं । उनको खाली जगहों पर लगा दिया जाएगा । विभाग की कोशिश होगी कि जो तहसीलें खाली हैं तथा और भी

27/1135/08.2015.यूके/एएस/2

जरूरत पड़ी तो हम और तहसीलदारों को भी दोबारा पब्लिक सर्विस कमिशन को भर्ती के लिए भेजेंगे ।

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसके अनुसार तहसीलदारों के 92 पद पदौन्नति द्वारा और 39 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन नायब तहसीलदारों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि नायब तहसीलदारों के कितने पद पदौन्नति से और कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। दूसरे, जो पटवारियों के 650 पद रिक्त बताए हैं इनमें क्या जो रिटायरीज़ जो दोबारा लगाए हैं उनको इन्क्लूड किया है या नहीं किया गया है? या उनको भरी हुई पोस्ट गिना गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक नायब तहसीलदार का प्रश्न है, उसमें फील्ड कानूनगो से प्रोमोशन का प्रावधान है। कुछ पोस्टें हम डायरैक्ट भी भरते हैं। जहां तक पटवारियों के बारे में आपने कहा उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने 276 पटवारी और कानूनगो टैम्परेरी लगाए है ताकि काम चलता रहे वे भी इसी में शामिल हैं। जैसे ही दूसरा बैच हमारा पटवारियों को जो कि अप्रैल में निकलेगा, उनके ऐग्ज़ाम होने के बाद उनको लगा दिया जाएगा। अप्रैल-मई तक कोई भी पटवारी की पोस्ट खाली नहीं रहेगी। इस समय नायब तहसीलदारों के पद पर पदौन्नति हेतु पात्रता उनकी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसका पीरियड होता है कि कम से कम वे 5 साल कानूनगो रहे तब उनको प्रोमोट किया जाता है। जैसे ही वे इल्लिजिबल होंगे उनको प्रोमोशन द्वारा नायब तहसीलदार बना दिया जाएगा।

अगला प्रश्न 2353---एस0एल0एस0 द्वारा जारी-

27.08.2015/1140/sls-dc-1

प्रश्न संख्या 2353 :

श्री वीरेन्द्र कंवर : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं ,उत्तर के 'ग' भाग में कहा गया है कि 3324 दुरूस्ती के मामलों में से 1907 का निपटारा हुआ है और 1417 दुरूस्ती के

मामले तथा 8 शिकायतें अभी लंबित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिनका निपटारा हुआ है क्या इनमें पिक एंड चूज के आधार पर काम हुआ है ,यह पहले आओ, पहले पाओ की नीति के अनुसार हुआ है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो शेष केस हैं, क्या लोगों को जल्दी न्याय देने के लिए कोई समिति बनाई जाएगी ताकि समिति जल्दी से इन शेष मामलों का निपटारा कर सके?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऊना जिला में बंदोबस्त 1980 में शुरू किया गया था। जिले के कुल 876 मोहालों में से 874 में कार्य बंदोबस्त शुरू किया गया था जिनमें से 857 मोहालों का कार्य बंदोबस्त संपन्न करके राज्य इकाई को सौंप दिया गया है। इस तरह से there cannot be any pick and choose policy in court cases because it is a judicial process. अगर बंदोबस्त पूरा हो जाता है तो लोग कह देते हैं कि यह डिमारकेशन ठीक नहीं हुई है और यह बंदोबस्त ठीक नहीं हुआ है। उसकी एप्लिकेशन वह तहसीलदार को देते हैं और तहसीलदार दोनों पार्टियों को सुनकर फ़ैसला करता है। जब तहसीलदार फ़ैसला कर देता है ,उसमें संतुष्टि न होने पर उसकी अपील सैटलमैंट ऑफिसर को की जाती है। अगर सैटलमैंट ऑफिसर के फ़ैसले से संतुष्टि न हो तो लोग डिविजनल कमिश्नर के पास जाते हैं। उसके बाद he is final authority to decide these cases in Revenue matters. इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दुरूस्ती के 1417 मामले बचे हैं उनमें जैसे आप कह रहे हैं कि पहल आओ पहले पाओ, यह बात नहीं है। कई बार दूसरी पार्टी को इत्तला नहीं होती और कई बार सम्मन अख़बारों में देना पड़ता है। And the process for correction of revenue entries is elaborate and time consuming. अगर दूसरी पार्टी इवेड करे, तो कई बार 3-3 बार, 4-4

27.08.2015/1140/sls-dc-2

बार सम्मन भेजना पड़ता है। इसलिए यह नहीं हो सकता कि first come first serve. यह क्वासि-ज्युडिशियल फंक्शन हैं ,it takes time. The principal of

natural justice has to be adhered to. Both parties have to be listened by the Tehisldar and then decide the case in accordance with law.

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो पैंडिंग केसिज हैं उन मामलों में लोगों को जल्दी न्याय देने के लिए क्या आप कोई समिति बनाएंगे ताकि समिति जल्दी से शेष मामलों का निपटारा कर सके। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मोहालों का सैटलमैंट हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे मोहाल थे जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं था और वहां बंदोबस्त कैंसिल हो चुका है। मेरे वहां पर चौताड़ा मोहाल है, डंगोली है, टक्का है और सकोन है। मैंने कई बार पहले भी विधान सभा में यह प्रश्न पूछा और यही उत्तर मिला कि सैटलमैंट जल्दी ही दोबारा शुरू कर रहे हैं, नई तकनीक और जी.पी.एस. सिस्टम के साथ कर रहे हैं। ..

जारी ..श्री गर्ग द्वारा

27/08/2015/1145/RG/DC/1

प्रश्न सं 2353---क्रमागत

श्री वीरेन्द्र कंवर-----क्रमागत

और जी.एस.सिस्टम के साथ शुरू कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि कितने समय में इन मोहालों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य कहते हैं और इन्होंने चार मोहाल बताए हैं जिनका सैटलमैंट कैंसिल हो गया है। अगर ऐसी स्थिति होगी, तो निश्चित तौर पर उन मोहालों को सैटिलमैंट करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और **जो निपटारे के लिए बाकी हमारे 1417 मामले बचे हैं उनका निपटारा भी शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।** क्योंकि इसमें समिति बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो तहसीदार या नायब-तहसीलदार, बन्दोबस्त होता है ,कानूनगो या पटवारी है वही ये सब करते हैं ,तो समिति बनाने

से कोई फायदा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि it is a quasi judicial matter. It has to be decided in accordance with the Revenue Law.

प्रश्न समाप्त

2/-

27/08/2015/1145/RG/DC/2

प्रश्न सं. 2354

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना देनी थी विस्तृत रूप से देने की कोशिश की है। 800 बसों में से केवल 632 बसें ही आई हैं बाकी बसों के लिए आप क्या कर रहे हैं और उनकी आपूर्ति कब तक होगी? अर्बन मोबिलिटी के लिए आपने ये बसें शायद किन्नौर और लाहौल-स्पिति के लिए कोई मांग नहीं की। इसके अलावा जो बसों का साईज है क्या आपने यहां की टोपोग्राफिकल कंडीशन को देखते हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में नहीं बताया कि यहां बड़ी बसें नहीं चल सकती हैं ,छोटी बसें या मीडियम साईज ही चलेंगी? आपने ऐसा क्यों किया? आपकी बसें खड़ी हैं जिन 13 क्लसटर्ज को आपने बसें दी हैं ,जिन डिपोज़ को आपने बसें दी हैं ,लगभग One-third of the buses are standing here and there. क्या कारण है ,आप कहते हैं कि ड्राईवर्ज की शॉर्टेज है ,तो पता नहीं किसकी डियुटी है। आप कहते हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं ,आप लोक निर्माण विभाग को क्या नहीं कहते? आप और कोई बहाना लगाते हैं, कौन सा ऐसा बहाना है जो किसी और ने पूरा करना है ,यह सब आपके विभाग को ही करना है। तो कृपया यह सब बताइए कि ये सारे बसों को न चलने के जितने भी उत्तर में आपने कारण दिए हुए हैं ,ये कब पूरे होंगे और इस प्रदेश को बस सुविधा मिलने की आस होगी?

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि आपने बसों का कितने मीटर साईज या मीडियम साईज की कितनी बसों के आदेश किए हैं और मिनी साईज के लिए कितना आदेश कर रखा है जो बसें यहां प्लाई हो सकती हैं?

----एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2015/1150/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 2354 क्रमागत----

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ईश्वर दास धीमान जी ने जो प्रश्न पूछा है कि बाकी बसें कब तक आएंगी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि स्टाफ की कमी की वजह से हमने ये बसें होल्ड करवाई थीं और अब ये बसें आ रही हैं। अगर आपको याद होगा तो बीच में माननीय प्रोफेसर साहब ने बात उठाई थी। उसके बाद हमने यह मामला भारत सरकार से भी उठाया था परन्तु वहां से चेंज करने की परमिशन नहीं मिली। जो स्पेसिफिकेशन है ,उसको भारत सरकार कन्सल्टैंट्स के साथ मिलकर तय करती है। तो as per that स्पेसिफिकेशन मानी गई थी। मैं स्वयं भी मंत्री जी से मिलने दो बार गया था। मेरे पास उनका पत्र भी है और मैं इसको रिकॉर्ड पर भी रख सकता हूं। अध्यक्ष जी, जो इन्होंने दूसरी बात कही कि ड्राइवर्ज और कन्डक्टर्ज की काफी शॉर्टेज है। मैं बताना चाहता हूं कि अब ड्राइवर्ज की भर्ती चल रही है। अभी हमारे पास कन्डक्टर्ज के लगभग 1300 पद खाली हैं और ड्राइवर्ज के हमारे पास इस वक्त 750 के लगभग पद खाली हैं। अभी 500 ड्राइवर्ज की भर्ती हो रही है उसके बावजूद भी 250 ड्राइवर्ज ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। कन्डक्टर्ज का मामला सब-ज्यूडिस है। जैसे ही कोर्ट से डिसाइड होता है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दो-तीन महीने पहले जो लास्ट सेशन विधान सभा का था, उससे पहले आपके सभी आर0एम0 ने "कौशल विकास भत्ता" के नाम से प्रदेश के बेरोजगार लोगों से एप्लीकेशन्ज मंगवाई थी और उसके साथ-साथ -/1000रुपये की फीस का ड्राफ्ट भी लोगों ने अटैच किया था। वे सभी एप्लीकेशन्ज संबंधित आर0एम0 के पास आईं और संबंधित आर0एम0 ने समय-समय पर उनका इंटरव्यु भी लिया। अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार कुछ आर0एम0 ने उनको बुलाया भी और बहुत सारी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसिज में कंडक्टर के तौर पर इनको प्रशिक्षण भी

27/08/2015/1150/MS/AG/2

दिया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 250 से ज्यादा बसिज वैसे ही खड़ी हैं। वे इसलिए हैं क्योंकि आप बार-बार कन्डक्टर्ज के इंटरव्यु ले रहे हैं और उनका रिजल्ट निकलने से पहले ही कोर्ट से स्टे हो जाता है। आपने एक प्रक्रिया जो "कौशल विकास भत्ता" के नाम से निकाली थी, वह मुझे सार्थक भी लगी थी और उससे आपकी बहुत सारी बसें चली भी थी। मैं जानना चाहता हूं कि जो वह प्रौसेस है उसकी आज क्या वस्तुस्थिति है? क्योंकि बच्चों ने हजार-हजार रुपया भी जमा करवाया है। कइयों को आपने बुलाया भी और बसों में भी उन्होंने 15-10दिन तक अपनी सेवाएं दी लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, बेरोजगार बच्चों को स्किल सिखाया जा सके, इसके लिए यह ट्रेनिंग का प्रोग्राम था और ट्रेनिंग में उनको कुछ स्टाइपैंड हमने per hour देना था। यह per hour की स्कीम थी। यह कोई पक्की नहीं थी। इसमें ऐसा था कि हमारे पास बच्चों की एक फोर्स तैयार हो जाए कि जब भविष्य में इंटरव्यु हों तो उसमें वे हिस्सा ले सकें। उसमें कोई राइट वाली बात नहीं थी। मगर यह बात बिल्कुल ठीक है कि उससे हमारी बसें थोड़ी चलनी शुरू हो गई थी और हमें थोड़ी राहत मिली थी। मगर उसके बावजूद somebody went to the Court and the matter is sub-judice. That matter is also sub-judice. I am sorry to inform the House that it is beyond my control. Both the matters are with the Hon'ble High Court.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह JNNURM प्रोजैक्ट केवल-मात्र अर्बन एरिया का प्रोजैक्ट है, अर्बन डवलपमैंट मिनिस्ट्री का प्रोजैक्ट है। जो बसिज आपको दी गई थीं, ये बसिज उस प्रोजैक्ट के

के अंतर्गत अर्बन मोबेलिटी के लिए, अर्बन क्षेत्रों में चलाने के लिए दी गई थी लेकिन आज आप इसको कलस्टर के हिसाब से नहीं चला रहे हैं। आपने रूरल क्षेत्रों में दे रखी हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

27/1155/08.2015.जेएस/एजी1/

प्रश्न संख्याः2354-------**जारी**--------

श्री सुरेश भारद्वाजः-------**जारी**-------

रूरल क्षेत्रों में आपने दे रखी है। एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है? जहां पर जिन-जिन डिपुओं में ये बसें दे रखी हैं वहां पर ये बसें बहुत सारी खड़ी हैं। फिर यह स्पैसिफिकेशन है, आपने अपने उत्तर में टोपोग्राफी के बारे में कहा है कि टोपोग्राफी को देख कर ही कंसल्टैंट ने किया है। जिस कंसल्टैंट को आपने एप्वाईंट किया था या केन्द्र सरकार ने किया था उनको भी सारे एरियाज का पता है और यह 2013 से पहले हो चुका है। आपके ज़वाब में है कि यह वर्ष 2013 से पहले हो चुका है। उस समय उनको क्या हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी की जानकारी नहीं थी? अगर उनको जानकारी थी तो ये बसें अर्बन एरियाज़ के लिए थी। बाकी एरियाज में आप बसें क्यों चला रहे हैं? अगर उनको जानकारी नहीं थी तो इस प्रकार की बसें आपने क्यों ली? आजकल शिमला में कन्जैशन का कारण इन बसों से है। जब ओल्ड बस स्टैंड में बस जाती है तो वह वहां पर मुड़ नहीं सकती । उन बसों की वजह से विधान सभा तक गाड़ियां रुक जाती है और दूसरी ओर सचिवालय तक रुक जाती है तो क्या इसको आप सही करेंगे?

दूसरे, डी.पी.आर. में क्या यह सही नहीं है कि जो आपने डी.पी.आर. के मुताबिक बसों के परचेज ऑर्डर दिए और उनको बनाने के ऑर्डर दिए उसमें केरियर लगाने का भी प्रोविजन था। उसमें 45 हजार रूपय का केरियर लगाया जाना था, जो कि उन बसों में नहीं लगाए गए हैं। अगर ये केरियर्ज नहीं लगे हैं तो

क्यों नहीं लगे हैं और क्या वह पेमैंट उन कम्पनीज को हुई है? अगर नहीं हुई है तो यह जो पैसा है यह कहां गया है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर माननीय भारद्वाज जी ने दो बातें कही। मैंने यह कहा था कि ये अर्बन एरिया के लिए बसें हैं। I can't deprive the people from connectivity. जो आदमी शिमला को

27/1155/08.2015.जेएस/एजी/2

आएगा तो वह किसी गांव से आएगा। शिमला में ही लगाएं तो 10-20 बसों में पूरा काम हो जाएगा । आप लोगों को धन्यवादी होना चाहिए कि इस प्रदेश के अन्दर 800 बसें हिमाचल प्रदेश को मिली हैं। दूसरी बात यह है कि जो यह क्लस्टर बनाए थे, वे क्लस्टर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने अप्रूव किए थे। इसमें 13 क्लस्टर बनाए थे। वे सारे के सारे क्लस्टर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने अप्रूव किए थे। जो उनका डिजाईन है, स्पैसिफिकेशन है, उसको गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया अप्रूव करती है। जहां आपने सवाल किया कि बस अड्डे से जब बस मुड़ती है तो जाम लगता है। आज भी मैंने इसके ऊपर मीटिंग ली थी। यह जाम इन बसों के कारण नहीं है। दूसरी बसें ढली, तारादेवी की जो वहां पर जाती हैं मैं रिव्यू कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेफिक वालों को भी कहा है। ए.सी.एस. ट्रांसपोर्ट को भी कहा कि इसके बारे में मीटिंग लें। एक तरफ से बसें जाएं और दूसरी तरफ से निकल जाएं। ऐसा प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां से जाती बार भी वहां जाऊंगा और वे अपने आप उसे देख कर करवा रहे हैं। यह सारी जनरल प्राब्लम ट्रैफिक की है। सड़कें तो उस समय की बनी हुई है। हर महीने हजारों गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। शिमला केपिटल है और यहां पर प्रदेश की सारी गाड़ियां आती हैं। यहां पर कांगड़ा वाले भी आते हैं, हमीरपुर वाले भी आते हैं, ऊना वाले भी आते हैं और सारे प्रदेश के लोग यहां पर आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पैसिफिकेशन से ली थी और आज पूरे प्रदेश में यह काम कर रही

हैं। जैसे ही हमारे पास ड्राईवर्ज/कन्डक्टर्ज की पूर्ति पूरी हो जाएगी मैं इस बारे में माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी इलाकों में इन बसों को चालू कर देंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जो केरियर्ज की बात माननीय सदस्य ने कही थी, केरियर्ज इन बसों के ऊपर अलाऊड नहीं है, क्योंकि इनका डिजाईन ही ऐसा है।

27/1155/08.2015.जेएस/एजी/3

हमने उन केरियर्ज के पैसे काट लिए हैं और वह पैसे एच.आर.टी.सी. के पास हैं। माननीय सदस्य को चाहिए तो उसका रिकॉर्ड भेज देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एच.आर.टी.सी. में बुकिंग के लिए कन्डक्टर्ज लगा रहे थे उनको कौशल विकास भत्ता देने की बात कर रहे थे। कौशल विकास भत्ता तो उसको दिया जाता है जिसने कुशलता प्राप्त करनी हो यानि जिसको ट्रेनिंग लेनी हो। जो यह लगा रहे थे वह तो कन्डक्टर्ज लगा रहे थे। कन्डक्टर्ज का तो लाईसैंस होता है, जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तब वह लाईसैंस मिलता है। माननीय मंत्री जी उनको किस प्रकार का भत्ता दे रहे थे? क्या यह सत्य है कि हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल ने एच.आर.टी.सी. की आरग्युमैंट के अंगेस्ट आरग्युमैंट की है। वहां पर उस केस में एच.आर.टी.सी. अलग स्टैंड ले रही है और गवर्नमैंट अलग स्टैंड ले रही है, क्या यह सत्य नहीं है?

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

27-08-2015/1200/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2354 क्रमागत

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एच0आर0टी0सी0 के हक में होता है, एच0आर0टी0सी0 उसकी बात करती है। जो प्रदेश के हित में है, हम उसकी बात करते हैं। मेरी बात सुन तो लो। दूसरी बात आपने उनको भत्ता देने की कही थी, माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन में इमरजैंसी में कंडक्टर का क्या रोल होगा, उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके लिए हमने स्किल स्कूल चालू किये। **स्किल स्कूल में सारी ट्रेनिंग दी जायेगी।** उसमें किसी को हुनर सीखाने में क्या ऑब्जैक्शन हो सकता है? गुलाब सिंह जी कह रहे हैं कि दो और आप कह रहे हैं कि मत दो। इस पर क्वैश्चन आवर के बाद सलाह कर लेंगे।

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न दिया था ,क्लब करने के कारण उसमें काफी बदलाव कर दिया गया। मैंने पूछा था, वह मैं सप्लीमैंटरी के नाते भी पूछूंगा कि ये जो बसों की खरीद हुई है, बसें खरीदने में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई? अगर टेंडर हुए तो मैंने उन सब का रिकॉर्ड सभापटल पर रखने के लिए कहा था। कितने-कितने की चैसी खरीदी गई और उसके बाद बॉडी बनाने में कितना-कितना खर्च हुआ, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। क्या माननीय मंत्री जी वह विस्तृत रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे?

दूसरा, मैंने डी0पी0आर0 का पूछा था, वह सप्लीमेंटरी भारद्वाज जी ने पूछ लिया।

तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो 13 कलस्टर बनाए, वैसे तो उसमें सारे तीर्थ स्थान रखे हैं परन्तु उसमें श्री नैना देवी जी को बाहर रखा है। अब प्रदेश सरकार क्या पूर्व विधायकों को पूछ कर काम करती है? क्या श्री नैना देवी जी को पूर्व विधायक से पूछ कर बाहर रखा गया है? क्या मंत्री जी इसको शामिल करने का आश्वासन देंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कहा, बिलासपुर, घुमारवीं और सुन्दरनगर एक कलस्टर है

27-08-2015/1200/SS-AS/2

इसमें श्री नैना देवी जी भी आती है। मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं कि उसमें आयेगा और जहां-जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां बसें उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करके उपलब्ध करवा देंगे। --(व्यवधान)-- मुझे वहां के पूर्व विधायक नहीं मिले। मिलते भी हैं कभी, रिप्रेजैंट करते हैं वे भी कभी विधायक थे इसलिए पूर्व हुए। कोई भी पूर्व हो सकता है। --(व्यवधान)-- **इसमें ऐड तो नहीं होगा क्योंकि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की एप्रूवल है लेकिन उसमें बसें चलाने का मैं आपको एश्योर करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको टेंडर की पूरी कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा।**

प्रश्नकाल समाप्त

27-08-2015/1200/SS-AS/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (पर्यावरण) ,वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3) 2010/5-दिनांक 18.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.04.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःएसटीई-बी(3) 2010/7-दिनांक 06.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.07.2015 को प्रकाशित।

अध्यक्षः अब माननीय वन मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

वन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 20111-2 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

27-08-2015/1200/SS-AS/4

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-ः

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले निदेशालय, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःजेई-बी-बी(2)-2002/2दिनांक 16.04.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले उप निदेशक, अनुसूचित जाति उप योजना, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याःडब्ल्यूएलएफ-बी(2)-2002/1-वैल-॥ दिनांक 23.03201.3 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2015 को प्रकाशित; और

(iii) नियन्त्रक महालेखाकार परीक्षक(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011- 12(विलम्ब के कारणों सहित)।

27-08-2015/1200/SS-AS/5

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **113वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 84वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **257वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 274वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **287वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति , लोक उपक्रम समिति के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

27-08-2015/1200/SS-AS/6

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) का **44वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-1 2(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4.1 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूं ।

जारी श्रीमती के0एस0

27/1205 /08.2015.केएस/एएस/1

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर भी रखेंगें।

श्री सुरेश भारद्वाज :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति का 12वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागर विमानन विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन जोकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित आश्वासन के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

27/1205 /08.2015.केएस/एएस/2

<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः</u>

अध्यक्ष :अब श्रीमती सरवीन चौधरी कार्य-सलाहकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करेंगी तथा प्रस्ताव भी करेंगी कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्रीमती सरवीन चौधरीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) को सदन में प्रस्तुत करती हूं तथा प्रस्ताव

करती हूं कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने अष्टम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार।

27/1205 /08.2015.केएस/एएस/3

<u>विधायी कार्य :</u>

<u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब विधायी कार्य होंगें। महेश्वर सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, बागवानी सम्बन्धी एक अत्यन्त अभिघटित हो रही समस्या की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसने यह जो सब्जी मण्डी में कृषि उत्पाद जाता है, उस पर मार्किट कमेटी फीस लेने पर रोक लगाई है कि वह नहीं ली जाएगी और जो अपनी ऊपज सीधा मार्किट में बेचने के लिए ले जाता है उसका एक सर्टिफिकेट लिया जाता है और उसको अधिकार है, जा

सकता है लेकिन पिछले कल से ले कर विभिन्न सब्जी मण्डियां जो ए.पी.एम.सी. बनी है, वह कुल्लू से जो माल चल रहा है, बैरियर पर रोक कर क्यू फॉर्म मांग रहे हैं अन्यथा वे तीन-चार रुपये प्रति पेटी ले रहे हैं और वहां से लेकर सवारघाट तक चार-पांच सब्जी मण्डियां हैं, अगर यह पैसा इस प्रकार से लिया जाएगा, एक तरफ तो मार्किट में सेब का मूल्य गिर रहा है और दूसरी तरफ चार-चार, पांच-पांच रुपये प्रति पेटी अगर सारी मार्किट कमेटी लेना शुरू कर देगी तो किसान कहां जाएगा? कृपया हस्तक्षेप करें और इस समस्या का समाधान करें।

Speaker: Hon'ble Agriculture Minister please take note of this.

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, माननीय महेश्वर सिंह जी यह बात अभी मेरी नॉलेज में लाएं हैं। मैं इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करने के बाद कोई जवाब दूंगा।

27/1205 /08.2015.केएस/एएस/4

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, आजकल सेब का सीज़न है और लोग मण्डियों में ले जा रहे हैं लेकिन शिमला जिला में सड़कों की जो दूर्दशा है खासकर ठियोग-खड़ा पत्थर रोड़ की उसके कारण सड़ेकें धान के खेत बन गई हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर नियम-62 के अंतर्गत् मोशन दिया था उसको कंसीडर करने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि उसको लगाया जाए ताकि वस्तुस्थिति से पूरे प्रदेश को जानकारी हो सके और उस पर कार्रवाई हो सके।

Speaker: Hon'ble Minister please see on merit. जो इलिगल फीस ले रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। मंत्री जी, क्या आप इसको चैक करके सूचना देंगें क्योंकि बार-बार फीस नहीं ली जा सकती।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह बात मेरे नोटिस में ये आज अभी ही लाएं हैं, मैं इसका पता करके इनको इस बारे में बताऊंगा।

अध्यक्षः फिर यह डिपार्टमैंट के नोटिस में कैसे आ गया?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः इसका पता करके मैं इनको बता दूंगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.8.2015/1210/av/dc/1

अध्यक्ष : तो विभाग को इसका पता कैसे चला? आप इसकी जांच कीजिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी बताया और मैं वही कह रहा हूं कि इसकी जांच करेंगे।

समाप्त

27.8.2015/1210/av/dc/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना:

अध्यक्ष :अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) को पुर:स्थापित करता हूं।

समाप्त

27.8.2015/1210/av/dc/3

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015(201 5का विधेयक संख्यांक16) पुर:स्थापित हुआ।

27.8.2015/1210/av/dc/4

<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

अध्यक्ष : आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। अब माननीय विधायक श्री इन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी जो कि पिछले सत्र में ऐडमिट

हो गया था मगर उस पर चर्चा नहीं हुई थी। आज केवल गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव डिसकस होंगे। इसके अतिरिक्त आज कोई एजैंडा नहीं है।

श्री इन्द्र सिंह जी आप शुरु कीजिए।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस मान्य सदन में अपने गैर सरकारी संकल्प का टैकस्ट पढ़ता हूं जो कि इस प्रकार से हैं :-

"संकल्प"

"यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए ।"

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह अकसर कहा जाता है कि शिक्षा समाज की आत्मा है और यह आत्मा दूषित न हो इसकी जिम्मेवारी समाज और सरकार पर होती है। विकास में शिक्षा का अहम रोल होता है और विकास के लिए समाज का शिक्षित होना जरुरी है क्योंकि विकास का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। यह भी अपेक्षित है कि शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करें जो राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत हो। शारीरिक तथा मानसिक तौर पर मजबूत हो और अध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतयः विकसित हो। इसके लिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह शिक्षा का सही ढांचा खड़ा करे। परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है जहां उसको अच्छे-बूरे संस्कार मिलते हैं। यह अलग बात है कि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग यानि बच्चे

को हम फेमिली में किस प्रकार से रेज़ करें; इसकी जानकारी पेरेंट्स को नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरुरी है कि हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग और फेमिली में बच्चे को कैसे रेज़ किया जाए; यह ट्रेनिंग पेरेंट्स अपने बच्चे को दें----

श्री टी.सी.वर्मा द्वारा जारी

271/08.2015.21/5टीसी/डी0सी01/

श्री इन्द्र सिंह----- क्रमागत

यह ट्रेनिंग पेरेन्टस बच्चों को दें । अध्यक्ष महोदय, अल्टिमेटली जो बच्चा +2 के बाद नौजवान होकर स्कूल से निकलता है वह एक परिपूर्ण व वेलेंस्ड नागरिक बनकर निकलें । समाज को देने की स्थिति में हो, समाज से मांगने की स्थिति में न हो । मैं समझता हूँ इसकी नींव हमारी जो प्राइमरी ऐजुकेशन है, ऐलीमेंटरी ऐजुकेशन है उसमें रखी जाती है। अनफाफॉर्चूनेटली, हमारे ऐजुकेशन सिस्टम में इस समय सबसे कमज़ोर कड़ी हमारी ऐलीमेंटरी ऐजुकेशन है। प्राइमरी ऐजुकेशन सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए, लेकिन वह सबसे कमजोर कड़ी है। मैं इसके लिए कुछ आंकडे इस मान्य सदन में पेश करना चाहता हूँ। सर, हमारे प्रदेश में लगभग 10766 प्राइमरी स्कूल है। इनमें से 107 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक या दो बच्चे हैं। 304 स्कूल ऐसे हैं जहां तीन से पांच बच्चे हैं। 725 स्कूल ऐसे हैं जहां 6-10 बच्चें हैं और यही नहीं 943 स्कूल ऐसे हैं, जहां सिंगल स्कूल है। 200 स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्ज़ ही नहीं है। ये तो हमारी प्राइमरी ऐजुकेशन का हाल है। जहां तक मिडल ऐजुकेशन का सवाल है, 2292 मिडल स्कूल सरकारी क्षेत्र के है, उनकी हालत भी ऐसी ही है। जहां बच्चे हैं, वहां टीचर्ज़ नहीं है, जहां टीचर्ज़ है वहां बच्चे नहीं हैं। कई मिडल स्कूल ऐसे हैं जहां एक-एक टीचर है पांच क्लॉसिज चलाने के लिए। कई जगह दो बच्चे हैं और पांच टीचर्ज़ हैं। ये हाल हमारी प्राइमरी /ऐलीमेंटरी ऐजुकेशन है जो मजबूत होनी चाहिए लेकिन मजबूत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है और निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है। यह एक सोचने का विषय है। सन् 2003 में 90 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और 10 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे। 2014 तक आते-आते सरकारी स्कूलों में बच्चे 58 प्रतिशत रह गये और निजी स्कूलों में बच्चे बढ़कर 42 प्रतिशत हो गये। यानि 32 प्रतिशत फॉल

इन 10-11 सालों में हो गया। इसकी वज़ह क्या है? एक यूडाईज की रिपोर्ट के अनुसार अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो 2015 तक आपको सरकारी स्कूल बन्द भी करने पड़ सकते हैं। ये रिवर्स ड्रेंढ आपको सुधार करके चलाना पड़ेगा। हमारे देश/प्रदेश में ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम है? युनाईटिड स्टेट्स में इससे उल्टा है।

271/08.2015.21/5टीसी/डी0सी02/

लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को डालने के लिए कोशिश करते हैं। यू0एस0ए0 में 5 करोड़ स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में हैं और 50 लाख निजी स्कूलों में हैं। यू0के0 में 93 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बाकि सात प्रतिशत निजी स्कूलों में पढ़ते हैं । चायना इससे भी बेहतर स्थिति में हैं। क्या कारण है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं? Why not in Government schools? यह सही नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में सब कुछ अच्छा है। वहां सुविधाओं का अभाव हैं। विशेषकर गांव के निजी स्कूलों में सुविधाओं का बहुत अभाव है। जबकि सरकारी स्कूलों में हरेक सुविधाएं हैं। Quality of work life is very good in government schools वहां कमरे हैं,बिजली है,टॉयलेटस हैं, मुफ्त में मिड-डे-मील मिलता है। शिक्षा फ्री हैं, कितावें फ्री हैं, सारा कुछ फ्री है। फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं, यह सोचने का विषय है। आप 5037 करोड़ रूपये सरकारी स्कूलों पर खर्च कर रहे है। इसके अनुसार you are not getting any results at all. माननीय मुख्यमंत्री जी क्या वज़ह रही होगी कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं जाते? हाँ एक बात जरूर है कि निजी स्कूलों में डेडिकेटिड ट्रॉस्पोर्ट सिस्टम है-----

श्रीमती एन0एस0 ---जारी

27.08.2015/1220/NS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह---------- क्रमागत

निजी स्कूलों में डेडिकेटिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह बच्चों को घर से उठाकर के स्कूल ले जाते हैं और बच्चे स्कूल से घर पहुंचते हैं। This may be one of the reasons. जैसे आपने कहा था कि may be one of the reasons. बाकि आपने कहा था कि हम सरकारी ट्रांसपोर्ट देंगे। सरकारी ट्रांसपोर्ट तो नाम की है वह कहां मिलती है। मेरा ख्याल है कि कहीं नहीं मिलती होगी इसलिए तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और निजी स्कूलों में बढ़ रही है। यह सोचने का विषय है। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। हर रोज़ नए-नए स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन बच्चों की संख्या घट रही है। यह भी बड़ी अजीब सी विडंवना है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी शिक्षा पद्वति में बहुत खामियां हैं। यह सब कुछ सही नहीं चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। शायद आप तो सो रहे हैं। आपको इस विषय के बारे में सोचना है। अध्यक्ष महोदय, पंचतंत्र में एक कथा का उल्लेख आता है। तीन प्रकांड विद्वान थे। एक ने अपने बुद्विबल से शेर की हड्डियों की रचना कर दी। दूसरे ने शेर का ढांचा तैयार कर दिया। तीसरे ने उसमें जान फूंक दी और जीता जागता शेर तीनों के सामने आ गया और तीनों को खा गया। ऐसी ही हालत हमारी शिक्षा की है। आपने एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया है जिसने उन तीन विद्वानों की तरह हमारे स्टूडैंटस और टीचर्ज़ को भी धराशायी कर दिया और राष्ट्र हित का भी सत्यानाश कर दिया। आप इस ढांचे को बदलिए। यह मेरी आपसे विनती रहेगी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी सरकार जिम्मेवार है। आपकी सरकार गुनाहगार है। इनफेक्ट इस प्रदेश में शिक्षा नीति है ही कोई नहीं। Absolutely there is no Education Policy. यह शिक्षा विभाग जिस पर आप 5000 करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं यह लावारिस है। जैसे सड़कों पर गाय लावारिस घूमती हैं वैसे ही आपकी शिक्षा है। इसके ऊपर किसी को लेना-देना नहीं है। Here, left hand doesn't know what right hand is doing.

27.08.2015/1220/NS/AG/2

माननीय अध्यक्ष जी, let alone move in a right direction. This department is not even facing the right direction. It is very unfortunate. श्री बाली जी यहां नहीं हैं। This Government is in complete state of confused mind. यह फैसला नहीं ले रही है। Should they take the school to the student or student to the school? आप यह निर्णय लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आप धड़ाधड़ स्कूल खोल रहे हैं। कल ही एक प्रश्न आया था कि आपने कितने स्कूल खोले और कितना स्टाफ दिया? सर, अब मैं फरवरी से लेकर पांच महीनों के आंकड़े दे रहा हूं जो कि 31 जुलाई तक है। 60 सीनियर सैंकडरी स्कूल, 93 हाई स्कूल, 33 मिडल स्कूल अपग्रेड किए। 11 नए प्राईमरी स्कूल खोले। स्टाफ है ही नहीं। No staff catered. No infrastructure catered for. आप जहां जाते हैं वहां अनाऊंस कर देते हैं और इसी दौरान 1110 टीचर्ज़ रिटायर हुए हैं और आपने कितने नियुक्त किए 611 और उसमें से भी 310 एस.एम.सी. द्वारा पीरियड बेस हैं बैक डोर से। मुझे नहीं पता आप इस विभाग को कैसे चला रहे हैं। It is really pathetic. बिना टीचर्ज़ के , बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के आप क्यों स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं यह मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ऊपर से मुख्य मंत्री जी बोस्ट करते हैं। पिछले सैशन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर से बोला कि ट्राईबल एरिया में एक भी बच्चा हुआ तो मैं स्कूल खोलूंगा। बड़ी अच्छी बात है। आप स्कूल खोलिए लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी आपने यह भी सोचा कि वह बच्चा स्कूल जाएगा किसके साथ इन्ट्रैक्ट करेगा। हमउम्र के साथ इन्ट्रैक्ट करेगा। अपने मन की बात किससे करेगा? टीचर से करेगा या पानी भरने वाली , खाना बनाने वाली या बर्तन धोने वाली से । गेम्ज़ के समय वह कबड्डी खेलना चाहता है किसके साथ कबड्डी खेलेगा? वह टीचर के साथ खेलेगा। बच्चे शरारत करते हैं किसके साथ ।

श्री नेगी द्वारा----------जारी

27.08.2015/1225/negi/ag/1

श्री इन्द्र सिंह...जारी...

बच्चे शरारत करते हैं, वह किसके साथ शरारत करेगा? वह खाना बनाने वाली के साथ शरारत करेगा या बर्तन धोने वाली के साथ शरारत करेगा? You have put him in a four-six hours captivity. He cannot interact. जब वह स्कूल से निकलेगा he will be most *darpok*. वह स्कूल से बिल्कुल डरपोक निकलेगा और धब्बू निकलेगा। He cannot communicate because you have not given him an opportunity to communicate. यह बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्य मंत्री आप जनता के बीच कहते हैं कि मैंने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला है। जनता के सामने आप हीरो होंगे लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होगा। The operation is successful but the patient is dead. I think this is too much. Kindly look into this, please. आप वही स्कूल खोलिए जिसको आप चला सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप नई शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं, ऐसा अखबारों में आया है। मैं समझता हूं कि अगर आपने शिक्षा में गुणवत्ता लानी है तो kindly no politics in schools. मेरी आपसे विनती है कि आप स्कूलों से पॉलिटिक्स को आइसोलेट करिये। Now, I don't know, रतन जी आपको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? No politics in schools, that is very important. आप स्कूल में राजनीति करते हैं। There should be no midterm transfers. Put a ban on this. आप मिड-टर्म ट्रांसफर करते हैं, इस कारण इधर के बच्चे भी suffer करते हैं और उधर के बच्चे भी suffer करते हैं। आप LKG और UKG क्लासिज़ शुरू कीजिए। जो बच्चा एक बार LKG/UKG में प्राइवेट स्कूल में चला गया वह बच्चा आपके पास नही आएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। आप इंग्लिश मीडियम फर्स्ट क्लास से शुरू कीजिए। आपके पास जे.बी.टी .है, सी.एच.टी. है, हेड-मास्टर है और प्रिंसीपल है। ये क्या काम करते हैं। ये सारा दिन दफ्तरों में बैठे रहते हैं। Give them some duty. Let the

Principal take some classes. Let the Principal/Headmaster go to the class and check the teachers what they are teaching. आप उनकी डियूटी लगाइये। इसमें आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और इसमें कोई दोराय नही है। टीचर्ज़ को नॉन-टीचिंग कामों में न लगाएं। टीचर्ज़ को खाना बनाने का हिसाब देखना पड़ेगा, भवन निर्माण, वोटर लिस्ट, चुनाव डियुटी,

27.08.2015/1225/negi/ag/2

जनगणना और बाबू गिरी इत्यादि कार्य करने पड़ते हैं। उनको बहाना मिल जाता है और वे पढ़ाने से पीछे हट जाते हैं।

Sir, there should be no copying during exams. यह भी आप एन्श्योर कीजिए। This is very important. अगर कोई लायक बच्चा है और उसके सामने नालायक बच्चा नकल करके ज्यादा नम्बर ले जाता है तो लायक बच्चा डिस्करेज़ होगा। इसका भी आप हिसाब रखिये। स्कूलों में एनुअल फंग्शन्ज़ 31 दिसम्बर तक खत्म हो जाने चाहिए and at the most 15th of January. Let there be a cut-off date. लेकिन मिड मार्च तो यह फंग्शन होते हैं। इधर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं और उधर एनुअल फंग्शन हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने मेरे चुनाव क्षेत्र में एक ऐसा सलाहकार रखा है जो दिन में 3-3 स्कूलों का एनुअल फंग्शन करता है। सुबह 9 बजे शुरू करके रात के 9 बजे तक एनुअल फंग्शन होते रहेंगे। आप उस सलाहकार को सलाह दीजिए that please stop this. Actually there is no check at all.

भय बिन होत न प्रीति। अब 8वीं तक तो कोई एग्ज़ाम ही नही है। भय के बिना तो प्रेम भी सम्भव नही होता है। आठवीं तक कोई एग्ज़ाम नही है, ऐसे ही पास हो जाना है तो फिर बच्चा क्यों पढ़े? Kindly introduce the exam system upto 8th standard. योग शिक्षा भी आप स्कूलों में लाइये नशा निवारण में यह बड़ी अच्छी विधि है। आप योग शिक्षा को स्कूलों में इंट्रोड्यूस करिये।

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐतिहासिक डिसीजन देता है। Early seventies में भी डिसीजन दिया था। उनका जो ऐतिहासिक डिसीजन है, Let us follow that. माननीय मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है Let us follow that. यह प्रदेश उसके लिए हां करे कि नौकरशाहों के, पालिटिशियन्ज़ के और जजों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जा कर पढ़ें तभी इन स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। You do it. केन्द्र से आपने इनपुट लेना है, I don't yield.

श्रीमती यू.के./ASद्वारा जारी..

27/1230/08.2015.यूके/एएस/1

व्यवधान के पश्चात् ---

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सीट के नीचे देखा जाए कि कहीं स्प्रिंग तो
नहीं लगा है। आई थिंक ऐक्स्ट्रा स्प्रिंग लगा है।

अगर इनको आफिसर लोग, पॉलिटिशियन लोग फोलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी तनख्वाह से पैसे कट करके स्कूलों का सुधार करने के लिए लगाए जाएं। (व्यवधान)

Speaker: Please keep quite when somebody is speaking.

श्री इन्द्र सिंहः सर, मैने अपनी बात रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैने जो सुझाव दिए हैं उनका समावेश यदि अच्छा लगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी कर दीजिए। अगर आपने सुना है, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिलीट कर दीजिए। लेकिन शिक्षा को जो भट्ठा बिठाया है इस सरकार ने उसका सुधार करने में बहुत टाईम लगेगा क्योंकि बैक डोर एंटरी से और पी0टी0ए0 के द्वारा आपने टीचर्स रखे हैं। There is no quality control. There is absolutely no check on that. It is a wrong thing which you have done to the system. आपने ऐजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके लिए

हमारी पीढ़िया भुगत रही हैं। यह मैं बताऊं आपको। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि बिजनैस्स एडवाईज़री कमेटी ने जो आज के लिए जो 4संकल्प रखे हैं इन चारों संकल्पों के लिए 45 मिनट निर्धारित किए हैं। लेकिन इस पर बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट बहुत लम्बी है। यदि समय को डिवाइड किया जाए तो सभी को 3मिनट मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक-एक, दो-दो वक्ता बोल लें। मेनली जिन्होंने संकल्प रेज़ किया है उसके सपोर्ट में या उसके नेगेटिव जो भी है आप उसमें एक-एक या दो-दो सदस्य बोल लें क्योंकि यदि 7-7 वक्ता बोलेंगे तो 3-3मिनट बोलेंगे तो चर्चा पूरी नहीं कर सकते आप there is a short method. I won't allow. After 4 to 5 minutes I will stop the Hon'ble Member to speak on this resolution.

27/1230/08.2015.यूके/एएस/2

तो इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यह कह रहा हूं कि दोनों पक्षों के लीडर डिसाईड कर लें कि एक-एक, दो-दो सदस्य जो बोलेंगे वे कौन-कौन सदस्य बोलेंगे । I got the list of seven people and there are only 35 minutes left. तो 5 मिनट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे सबको।

श्री हंस राजः सर, 5 मिनट सबको मिल जाएं।

अध्यक्षः पर आपको पूरे 5 मिनट के अन्दर-अन्दर ही रुकना पड़ेगा। I will not allow if you go on speaking.

अब श्रीमती आशा कुमारी जी संकल्प पर बोंलगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आपने प्राईवेट मैम्बर्स रेज़ोल्यूशन जो कि माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने पिछले सत्र में सदन में लाया था जो कि कैरिड ओवर है इस सत्र के लिए ,इस पर बोलने का मौका दिया आपका

धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से इसकी गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है । यह ठीक है जो माननीय सदस्य जो इस पर बोल चुके हैं मैं वह रिपीट नहीं करना चाहूंगा । कुछ बातें रखना चाहूंगी और कुछ सुझाव देना चाहूंगी ।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हिमाचल प्रदेश में ऐक्सपेंशन का फेस लगभग अपनी चरम सीमा पर है । माननीय सदस्य भी आंकड़े पढ़ रहे थे कि इतने स्कूल खोल दिए ,इतने स्कूल अपग्रेड किए । इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई दूंगी क्योंकि ये सारे स्कूल मोस्टली इंटीरियर के इलाकों में हैं और प्रबन्ध भी किया गया है। स्कूल में टीचर लगाए गए हैं । प्रोमोशन से भी टीचर लगाए गए । मै समझती हूं कि बहुत सालों के बाद

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

27.08.2015/1235/sls-as-1

श्रीमती आशा कुमारी... जारी

बहुत सालों के बाद प्राईमरी ऐजुकेशन डिपार्टमैंट में जे.बी.टी. से एच.टी. बनें और एच.टी. से सी.एच.टी. बनें और बहुत सालों के बाद आपने रैगुलर बी.ई.ई.ओ. लगाए। उसके लिए मैं आपको मुबारिकवाद कहना चाहूंगी। आपने टी.जी.टी. से लैक्चरर्ज़ प्रोमोट किए, जे.बी.टी. से टी.जी.टी. कुछ प्रोमोट किए, कुछ करने जा रहे हैं। कुछ बैकलॉग भी निकला है। यह सब अच्छे कदम हैं। मगर अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है कि हम इस बात का ज़रूर आकलन करें कि क्या हम हिमाचल प्रदेश के बच्चों को साक्षर बना रहे हैं या शिक्षित बना रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्षरता दर में काफी वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश जब बना तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 7 प्वांईट समथिंग थी जो आज 90 प्रतिशत के लगभग है। इसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। इस साक्षरता दर में भी कुछ जिले अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर से पीछे हैं। सिरमौर, चम्बा, लाहौल एवं स्पिति और कुल्लू हैं। इसके ऐतिहासिक कारण रहे हैं। लाहौल में लड़कियों

को पढ़ने नहीं भेजते, इसलिए वहां की साक्षरता दर बहुत कम है। चम्बा में स्कूलों के अभाव के कारण साक्षरता दर कम रही। वैसे तो शिमला रूरल के इलाके में भी साक्षरता दर कम है। मगर क्योंकि शिमला शहर के आंकड़े भी शिमला जिले के साथ जोड़े जाते हैं, इसलिए शिमला की साक्षरता दर कुछ बढ़ी हुई नज़र आती है।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि स्कूल खुले हैं, कुछ और प्रयास भी हुए हैं और बिल्डिंग्ज भी बनी हैं और बन भी रही हैं। यू.पी.ए. की सरकार जब तक रही, तब तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिल्डिंग्ज का फंड आता रहा। मगर अभी वर्तमान में जो नई गाईडलाईन्ज आई हैं उनमें एस.एस.ए. के अंतर्गत बिल्डिंग्ज के लिए फंड्ज लगभग बंद कर दिए गए हैं। रिपेयर के लिए कुछ उपलब्धता है मगर वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचर्ज़ ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ज़ोर है। यह ठीक कहा कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कि मूलभूत ढ़ाँचा ठीक करने के लिए सरकार काफी पैसा ख़र्च कर रही है, फिर क्या कारण है कि बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जा रहे

27.08.2015/1235/sls-as-2

हैं? माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके साथ चर्चा के दौरान निजी तौर पर भी हम लोगों ने कई बार यह बात कही कि हम अपने टीचर्ज़ को वैल पेड रखते हैं। वह वैल क्वैलिफाईड हैं। प्राईवेट स्कूल्ज के टीचर्ज़ न वैल क्वैलिफाईड हैं, न वैल पेड हैं। फिर भी पेरैंट्स का रूझान है कि बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में भेजें। इसके छोटे-छोटे कारण हैं। प्राईवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म स्मार्ट जैसी बनाते हैं। हमने वैसा ही अपना गांव का टच रख कर यूनिफॉर्म रखी हुई है। शायद इसलिए भी रखी हुई हैं क्योंकि हम यूनिफॉर्म मुफ्त देते हैं ,सरकार देती है। यह छोटी-सी बात है। प्राईवेट स्कूल के बच्चे टाई पहन कर जाते हैं ,बैज पहनकर जाते हैं, यूनिफॉर्म की वजह से उनको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हम अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप इस पर गौर

करेंगे। आप भी कई बार इस सुझाव के बारे में चर्चा के दौरान कहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्लॉक लेवल पर यह एस.डी.एम. लेवल पर या तहसील लेवल पर कोई एक लेवल छाँट कर मॉडल स्कूल्ज बनाने की शुरुआत करें। उस स्कूल में टीचर्ज़ पूरे हों ,आवासीय सुविधा पूरी हो और सारा कुछ एक जगह हो जाए। अभी सब-कुछ सकैटर्ड है। बच्चे भी सकैटर्ड हैं और टीचर्ज़ का रिसोर्स पूल भी बंट गया है। मॉडल स्कूल का जो कंसैप्ट है ,नवोदय का कंसैप्ट है, नवोदय में लोग अपने बच्चों को पूरे हिमाचल से भेजते हैं। वहां बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं। कारण यह है कि एक ही जगह पर हर तरह का टीचर और हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बजाय इसके कि हम 50-40 स्कूल रखें, हम शुरुआत करें कि हम एक कलस्टर ऑफ स्कूल्ज का लेकर फुल फैसिलिटी वाला गवर्नमैंट स्कूल बनाएं। वहां 50 टीचर्ज़ एक ही जगह पर दें जो क्वैलिफाईड हों ,और जो वहां पर रहें। यह सही बात है, हमें कभी-कभी अफसोस भी होता है क्योंकि हम लोग उन इलाकों को रिप्रजैंट करते हैं ,माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप भी पिछले सत्र तक ऐसे ही पिछड़े इलाके को रिप्रजैंट करते थे।

जारी ..श्री गर्ग द्वारा

27/08/2015/1240/RG/DC/1

श्रीमती आशा कुमारी-----क्रमागत

और माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप भी पिछले सत्र तक ऐसे ही पिछड़े इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। अब आप शिमला ग्रामीण में आ गए हैं जहां पर पहाड़ी इलाका है। हमारे यहां चंबा जिले में एक प्रथा है, मैं किसी और जिले की आलोचना नहीं करना चाहती ,मगर जो संघ लोक सेवा आयोग से या अन्य कहीं से या अन्य जिलों से सलैक्ट होकर लोग आते हैं ,ये मेरे साथी जितने भी चंबा के विधायक हैं, ये पहले ही सिर हिला रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं क्या कहने वाली हूं ,तो जितने लोग वहां आते हैं, एक जेब में पोस्टिंग ऑर्डर लेकर आते हैं और दूसरी जेब में ट्रांसफर ऑर्डर्ज लेकर आते हैं। वे जहां के होते हैं, पर्टिकुलरली कांगड़ा, हमीरपुर ,ऊना ,बिलासपुर के ज्यादा टीचर्स हैं। ये अपना वापस जाने का प्रबन्ध

करके आते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ,इसलिए यदि हमारे यहां क्लस्टर्ज स्कूल्ज होंगे ,तो वहां हमारे स्थानीय टीचर्ज उनकी तादाद है ,उनको पूरी सुविधा देकर उन स्कूलों को चलाएं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा श्री इन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि बसें चलाने की बात है ,तो हम उनको Residential-cum-Day Schools कर सकते हैं कि जो आस-पास के इलाके के हैं, उनको आप बसें भी लगा दें। इससे एक तो खर्चा भी कम होगा और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपने स्कूल खोले, आपने उनमें टीचर्स देने का भी प्रयास किया ,by promotion भी किया, but it is a never ending task. एक तरफ से हम भर्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर हमने एच.टी. बना दिए, तो जे.बी.टी. की पोस्ट खाली हो गई ,अगर हमने टी.जी.टी. बना दिए, तो जे.बी.टी. की पोस्ट खाली हो गई या सी.एण्ड वी. की पोस्ट खाली हो गई ,अगर हमने लैक्चरर बना दिए, तो टी.जी.टी. की पोस्ट खाली हो गई। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह सुझाव है कि हम क्लस्टर्ज स्कूल्ज या मॉडल्ज स्कूल्ज के बारे में सोचें ताकि कुछ गुणवत्ता में सुधार आ सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

2/-

27/08/2015/1240/RG/DC/2

अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि ये जो संकल्प हैं ,आज सदन को पांच बजे के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। No extension, पांच बजे के बाद नहीं बैठ सकते और जो कार्य-सलाहकार समिति ने डिवाइड किया है चार संकल्पों के लिए, यह चौथा संकल्प पांच बजे खत्म होगा। If you give more time to this resolution to run तो एक संकल्प कट जाएगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप स्वयं ही फैसला कर लें बजाय इसके कि मैं समय पर कट लगाऊं।

अब श्री ईश्वर दास धीमान जी चर्चा में भाग लेंगे। धीमान जी, आप कुछ क्षण लें ,तो अच्छा है।

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष होदय, श्री इन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक, सरकाघाट ने शिक्षा में गुणवत्ता के प्रति कठोर कदम उठाने और किस तरह शिक्षा में गुणवत्ता आए, इसके लिए सुझाव दिए हैं। मैडम आशा जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा प्रारम्भिक शिक्षा का ढांचा मजबूत है ,तो मैं समझता हूं कि वह आगे चलकर हमारी सारी शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालता है। अब आज तक तो शिक्षा अध्यापक के इर्द-गिर्द घूमती रही ,लेकिन अब समय आ गया है कि शिक्षा विद्यार्थी के इर्द-गिर्द घूमती है और अब शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थी क्या चाहता है ,विद्यार्थी के अंदर क्या है और उसकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए शिक्षक को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यह अति-आवश्यक हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां प्राईवेट स्कूलों की भी बात चली है। मेरा सुझाव है कि जब तक आप अपनी प्राथमिक पाठशालाओं में प्री-प्राईमरी कक्षाएं आरम्भ नहीं करेंगे तब तक आपका सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ नहीं पाएगा और फिर कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। यदि आप स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चला दें, तो

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2015/1245/MS/DC/1

श्री ईश्वर दास धीमान जारी----------

अगर आप प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चला दें तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। शिक्षा के लिए अगर कुछ अधिक खर्च करना भी पड़ता है तो करना चाहिए। यह अति आवश्यक है। जिस देश और प्रदेश की शिक्षा उच्च स्तर की होगी, वहां के नागरिक भी उसी स्तर के बनते हैं। मैं प्राइवेट स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन हम अपने ही स्कूलों को इस योग्य बनाएं। हम अपने स्कूलों को इतना सम्पन्न कर दें, इतना पुष्ट कर दें कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने लग जाए। सरकार और लोगों को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शुरू से ही कोशिश होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि

शुरू से ही बच्चे के अंदर कुछ इस प्रकार के संस्कार पैदा हो जाए। संस्कार पैदा होते हैं और यही संस्कारों की परिभाषा है। बस, पढ़ाई का हमारा एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि शिक्षक एक बहुत ऊंची कोटि का शिक्षक बन जाए। स्वामी विवेकानन्द ने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया था। महात्मा गांधी जी ने चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया लेकिन अब्राहम लिंकन ने शिक्षा को प्रकृति से जोड़ा। उनका बच्चा जबइप्रथम कक्षा में गया तो अध्यापक को उन्होंने पत्र लिखा कि मेरे बच्चों को अर्थमेटिक, भाषा और लिखना ही नहीं बताना बल्कि पहाड़ पर ले जाकर वृक्षों, पत्तों और जड़ी-बूटियों के बारे में भी बताना। इतना ही नहीं, उसको उनकी विशेषता के बारे में भी बताना। -(घण्टी)- अध्यक्ष जी, अभी तो मैं प्राथमिक स्कूल में हूं। अभी तो मैंने कॉलेज तक पहुंचना है।

अध्यक्षः वास्तव में इस 45 मिनट की तार को लम्बा नहीं कर सकते।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात को समाप्त करने में 15 मिनट का समय लगेगा। मेरा इसके लिए आपसे अनुरोध है।

अध्यक्षः आपको 15 मिनट नहीं मिल सकते। Sorry about it.

श्री ईश्वर दास धीमानः इसलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने कुछ नॉर्म्ज फिक्स किए थे। उन नॉर्म्ज के अनुसार डेढ़ किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल ,तीन किलोमीटर के अंदर मिडल स्कूल, हाई स्कूल और इसी तरह से सीनियर

27/08/2015/1245/MS/DC/2

सैकेण्डरी स्कूल हों। लेकिन उन नॉर्म्ज को नहीं अपनाया गया। कई जगह तो हम ज्योग्राफिकल कण्डीशन की वजह से बेबस भी हो जाते हैं लेकिन अगर उन नॉर्म्ज पर अमल किया होता तो अच्छा रहता। अरे, पाठशालाएं खोलने में अपने आपको बड़ा न समझो। अगर श्रेय लेना है तो पाठशालाओं के कमरे कितने बनें, पाठशालाओं में कितने विज्ञान भवन बनाए ,पाठशालाओं में कितनी सुविधाएं दीं,

पाठशालाओं में कितने अध्यापक दिए और कितना वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका श्रेय लो। यह श्रेय मत लो कि कितने स्कूल खोले। स्कूल आपने खोल दिए, पोस्टें भी सृजित कर दीं लेकिन कितनी पोस्टें आज खाली हैं और क्या हालत प्रदेश की खाली पोस्टों ने आज बना रखी है? अरे, दफ्तर का काम चलता रहता है। अगर बाबू दफ्तर में नहीं होगा तो वह सुबह शाम काम कर लेगा ,फाइलें पूरी कर लेगा लेकिन विद्यार्थी का काम स्कूल समय में ही होगा। अगर कक्षा खाली रहेगी तो विद्यार्थी का नुकसान होगा। किसी भी कीमत पर कोई कक्षा खाली नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए आप आकलन तो कीजिए कि कितने पद खाली हैं। मैं बात को दोहराऊंगा नहीं लेकिन प्राइमरी स्कूलों में एक-एक बच्चा पढ़ रहा है और दो-दो अध्यापक हैं। ये क्या घेरफेर बना रखा है? इसकी वजह से प्रदेश को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से बी0एड0 की ट्रेनिंग के लिए 50 प्रतिशत अंकों की कण्डीशन थी और अब मैंने सुना है कि बी0एड0 करने के लिए स्नातक में 50 से 45 प्रतिशत और 45 से 40 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

27/1250/08.2015.जेएस/एजी/1

श्री ईश्वर दास धीमानः--------**जारी**------

आप लोग एक तरफ से गुणवत्ता की बात करते हो और एक तरफ से आप उनकी परसेंटेज कम करते हो। जब 50 परसेंटेज से नीचे अध्यापक लग ही नहीं सकेगा तो वह बी.एङ क्यों करेगा? यह विरोधाभास भी दूर करना चाहिए। रिक्रूटमैंट कहां से शुरू हुई? कांट्रेक्ट से शुरू हुई, उसके बाद टेन्योर आया, पैट आया, पैरा आया और बाद में पी.टी.ए. भी आया। कोई अथोराईज्ड कमेटी नहीं, कोई रोस्टर नहीं और इसी तरह से बैक डोर एन्ट्री हो करके इसमें लोग आते रहे और रैगुलर होते रहे। कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? अगर इस तरह के लोग बैक डोर एन्ट्री से आते रहेंगे। __(घण्टी)__ इसमें आयोग्य लोग आते रहेंगे तो शिक्षा का स्तर ऐसे ही नहीं सुधरेगा। शिक्षा का स्तर तो तब सुधरेगा जब 50 प्रतिशत से भी 60 प्रतिशत

कर दिए जाएंगें। अच्छे नागरिक शिक्षा में आएं। भवन कितने बनाए, यह भी तो बताया जाना चाहिए और कितना स्टाफ रखा, यह भी बताना चाहिए। आज कितनी पोस्टें खाली है? कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें पूरे पद भरे गए हैं। लगभग 88 के करीब कॉलेजों में पांच सौ पोस्टें खाली हैं और इनको भरने के लिए कमिशन में भी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। प्राथमिक और हायर ऐजुकेशन का भी यही हाल है। कोई भी संस्था बिना अध्यापकों के नहीं चल सकती।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया अब वाईंड अप कीजिए।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, कौन कहता है कि ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है? कोई बैन नहीं लगा है। रोज़ाना सैंकड़ों ट्रांसफर्ज़ होती है। मिड सैशन में होती है। कैसे आप गुणवत्ता को बढ़ा पाएंगें जब तक इन ट्रांसफरों पर रोक नहीं लगेगी? मेरा विभाग से और विशेष करके आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ट्रांसफर का जो धंधा चल रहा है, इसको बन्द करने से ही आप कुछ न कुछ बेहतरी इसमें कर सकते हैं। कोई इन्सपैक्शन नहीं हो रही है, अगर निरीक्षण नहीं होगा तो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का प्रबन्ध भी स्कूलों में करना होगा। कल्चरल एक्टिविटी, एनुअल

27/1250/08.2015.जेएस/एजी/2

प्राईज़ डिस्ट्रिब्यूशन, इन सारी व्यवस्थाओं का प्रबन्ध किया जाए । क्वालिटी ऐजुकेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए एस.सी.आर.टी. और एन.सी.ई.आर.टी.से एडवाईज़ लेनी चाहिए कि विभाग को इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए। तब जाकर आप शिक्षा में गुणवत्ता ला सकेंगें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बड़ा संकोच करके दिया फिर भी आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः आप देख लीजिए । 45 मिनट हो गए हैं, लंच भी करना है इसका भी ध्यान रखें। अपने समय पर स्ट्रिक्ट रहें। 45 मिनट निर्धारित किए हैं । अब उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेंगें।

श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, नियम 101 के अंतर्गत जो विषय माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह जी ने यहां रखा है उसमें बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। यह बहुत ही महत्व का विषय है। समय बहुत कम है, मैं केवल सुझाव तक ही अपने को सीमित रखूंगा।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने दूर-दराज क्षेत्रों में जहां एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10-10, 12-12 मील से ज्यादा है, वहां एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलकर गरीब व जनजातीय लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है। जहां एक बच्चा भी रहता है, उसको ट्यूशन की तरह पढ़ाया जाए और पढ़ाया भी जा रहा है तो अच्छे रिज़ल्ट हमारे आए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो-दो, तीन-तीन बच्चों वाले बहुत से प्राईमरी स्कूल है। हमारे जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में एक हमारा एकलव्य स्कूल है जिसमें छठी से लेकर बारहवीं तक इंगलिश मिडियम में फ्री ऐजुकेशन है। सैंटर गवर्नमैंट का प्रोग्राम है---

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

27-08-2015/1255/SS-AG/1

श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष क्रमागतः

सैंटर गवर्नमैंट का ट्राईबल का प्रोग्राम है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एन्ट्रैंस का एग्जामिनेशन होता है उसमें दूर-दराज के एक-एक, दो-दो बच्चे वाले स्कूल के बच्चे भी पहुंचे हैं।

दूसरी बात, आज प्राइवेट स्कूल की तरफ आकर्षण क्यों है? सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र है शिक्षा का मीडियम। प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम है।

सभी प्राइवेट स्कूलों में अच्छे भवन नहीं हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छे क्वालीफाइड टीचर भी नहीं हैं परन्तु केवलमात्र वहां पर अंग्रेजी माध्यम होने के कारण सारे बच्चे वहां पर जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह रहेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। वैसे सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है परन्तु सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक सारे विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाएं क्योंकि हमारे सारे टीचर वैल क्वालीफाइड हैं, वैल पेड हैं। दूसरा, जो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ज़िक्र आया है बहुत अच्छा आया है। परन्तु हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि जजों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में होने चाहिएं। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि केवलमात्र नौकरशाह या राजनीतिज्ञ के बच्चे ही नहीं बल्कि जजों के बच्चे और स्कूल के टीचर व कॉलेज के प्रध्यापकों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में भेजेंगे तभी सरकारी स्कूलों में हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं। साथ में मैं इसमें बहुत सारे सुझाव खासकर रखना चाहता हूं कि एक तो स्कूलों में जहां अध्यापक ज्यादा हैं वहां बारी-बारी से जाते हैं और स्कूल में अनुपस्थित पाए जाते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बायोमीट्रिक मशीनों को स्कूलों में लगाया जाए। हमने अपने जिला किन्नौर में यह प्रयास किया है, पिछले साल हमने कोई 15 स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीनों के द्वारा हाज़रियां शुरू की हैं और वहां पर शिक्षकों की हाज़री बड़ी अच्छी हो गई है। वे सवेरे 10 बजे से पहले स्कूल आते हैं और 4 बजे से पहले जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि दो बार उनको अपना अंगूठा बायोमीट्रिक मशीन पर लगाना पड़ता है।

इसके अलावा स्कूलों में एक प्रतिस्पर्द्धा की भावना शुरू करने की आवश्यकता है। हमने जिला किन्नौर में पिछली बार श्रेष्ठ स्कूल सरकारी स्कूलों में चयन करने की प्रक्रिया शुरू की। उसमें यह प्रावधान है कि जो जिले का सबसे

27-08-2015/1255/SS-AG/2

बैस्ट स्कूल होगा उसको 50 हजार रुपये और जो सैकिण्ड होगा उसको 30 या 20 हजार रुपये देने का प्रावधान रखा है। इसी तरह से प्राईमरी, मिडल और हाई स्कूल में प्रावधान रखा है। इसके भी बड़े अच्छे नतीजे आने शुरू हुए हैं। स्कूलों में जो हमारे अध्यापक हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रिंसीपल हैं, बी0पी0ई0ओ0 हैं इनकी जो जिम्मेदारी है उसका ये ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे। स्कूलों में अध्यापक हैं उनको जो एक क्लास वर्क या होम वर्क देना चाहिए और चैकिंग करनी चाहिए, वह भी नहीं किया जा रहा। एलीमेंटरी में असैसमैंट सीट्स अनिवार्य किया गया है। एलीमैंटरी में बहुत पैसा खर्च किया गया है। परन्तु असैसमैंट सीट्स अभी 5-5 या 6-6 महीने हो गए लेकिन स्कूलों में खाली की खाली पड़ी हुई हैं। किसी भी अध्यापक ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों में इंग्लिश मीडियम को कम्प्लसरी किया जाए तभी जाकर आज जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने का रूझान बना हुआ है वह रूक सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस चर्चा में और कोई नहीं बोलेगा। लंच के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। अब दोपहर के भोजन के लिए यह सभा एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

* * *

/1405/27.08.2015केएस/एएस1/

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 1405 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज प्राईवेट मैम्बर डे है, यह आप ही के लिए है। यह असैम्बली भी माननीय सदस्यों के लिए है

और मैं नहीं चाहता कि आप सब को मौका न दिया जाए लेकिन हमें रूल्ज़ के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा । आज के जो चार रैज्योल्यूशन्ज़ हैं, इनके लिए 45 मिनट निर्धारित किए गए थे। एक संकल्प तो खत्म हो गया, तीन-चार इस पर और बोलने वाले थे। मैं सबको बोलने की अनुमति दे देता हूं लेकिन फिर शाम को चार बजे के बाद कुछ रैज़ोल्यूशन्ज़ लैप्स हो जाएंगें और वह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, वे अगली बार डिस्कस हो जाएंगें ।

अध्यक्षः ठीक है, प्राईवेट मैम्बर डे तो होता ही मैम्बर्ज़ के लिए है परन्तु टाईम मैनेज़ करना भी जरूरी है। अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें। मेरा निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखें।

/1405/27.08.2015केएस/एएस2/

श्री महेश्वर सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रस्तावक महोदय ने बड़े विस्तार से सारे आंकड़े यहां रखे हैं । मैं केवल आपको कुछ सुझाव देकर और कुछ केसिज़ आपके ध्यान में लाकर अपनी बात समाप्त करुंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बहुत से स्कूल खोलें, अपग्रेड किए । कॉलेजिज़ खोले और पदों को भरने का भी भरसक प्रयास किया। यहां तक कि मुख्य मंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया था कि जो स्कूल खुलेगा उसके लिए पद भी तुरन्त स्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृति भी हो गई लेकिन दिक्कत यह है कि जब फाईल स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में जाती है तो जितने पदों के लिए जाती है उसका 50 प्रतिशत कट लगा कर वह पद भरते हैं फलस्वरूप जो पिछले साल भी स्कूल खुले उनमें भी डैपुटेशन चल रहा है, अभी तक टीचर्ज़ की अप्वाइंटमैंट नहीं हुई। इसीलिए ये रिक्तियां ज्यादा होती है।

दूसरे, प्राईमरी स्कूल खोले गए, अच्छी बात है। गांव-गांव में खुले लेकिन कम से कम दो अध्यापक प्रत्येक स्कूल में होना आवश्यक है। जहां पर भी 15-20

से ज्यादा बच्चे हैं, वहां दो अध्यापक होने चाहिए। यहां स्थिति ऐसी है कि 70-70 बच्चे हैं और उन पर एक अध्यापक है। कैसे वह इतने बच्चों को पढ़ाएगा, यह एक समस्या है और जो स्कूल आपने अपग्रेड किए, वहां पर एक साईंस ग्रेजुएट, एक आर्टस ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए क्योंकि वह मिडल स्कूल है। कल को उन लोगों को साइंस की आगे भी जरूरत पड़ेगी लेकिन पता नहीं नीचे कौन विभाग का नेतृत्व करता है उसमें भी कट लगाकर केवल एक आर्टस ग्रेजुएट है, साईंस का नहीं है, इस बात को कन्फर्म करिए कि नीचे बैठकर यह कौन परिवर्तन करता है ? साईंस ग्रेजुएट नहीं होगा तो निश्चित रूप में लोग प्राईवेट स्कूलों में जाएंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.8.2015/1410/AV/as/1

श्री महेश्वर सिंह ---क्रमागत

निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों में जायेंगे। उनके भविष्य की बात है। अगर साईंस नहीं होगी तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे? जहां तक दस जमा दो का सवाल है तो उसके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा। हमारे जितने ऊंचे पर्वत हैं वे घाटियों में बंटे हुए हैं। अगर केंद्रीय स्थान पर एक दस जमा दो स्कूल खुल जाए और वहां पर अध्यापकों की पूरी व्यवस्था की जाए तथा वहां पर एक होस्टल भी बन जाए। अगर होस्टल निःशुलक होगा तो लोग अपना इंतजाम करेंगे। जैसे यहां पर कहा गया है कि अगर गाड़ी लगाई जाती है तो वहां पर सारे बच्चे लाये जा सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि किसी स्कूल में एक प्रींसिपल और एक लैक्चरर है। अब तो प्रींसिपल भी बदल दिया है और वहां पर एक ही लैक्चरर है; वह स्कूल कैसे चलेगा? वह एक लैक्चरर दस जमा दो स्कूल को कैसे चलायेगा? यह आनी के सराहन क्षेत्र की बात है इसको विभाग देख लें। मैंने आग्रह किया कि वहां कम-से-कम प्रींसिपल को तो रहने दो अगर इसको भी बदल देंगे तो स्कूल बंद ही हो जायेगा। स्कूलों की ऐसी स्थिति है। मैंने इसके बारे में एक प्रश्न भी पूछा था कि क्या शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रश्न पर एक बात

कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैंने यह भी पूछा था कि क्या प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या निरंतर घट रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं उसको साधुवाद देता हूं जिस विभागीय अधिकारी ने इस प्रश्न का उत्तर बनाया। उनको भगवान लम्बी आयु दें ताकि शिक्षा का और सर्वनाश हो। महोदय, देखिए क्या जवाब दिया? प्रदेश में नई निजी पाठशालाओं की सुलभ उपलब्धता और दूसरे बच्चों की घटती हुई जन्मदर एवं लोगों की आर्थिक समृद्धि के कारण यह संख्या घट रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मुख्य मंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि रहे हैं और आप एक-एक गांव से वाकिफ़ हैं। आपका खून गांव है। वहां मैं एक प्राइमरी स्कूल के फंक्शन में गया और वह निजी स्कूल है। वहां कितने बच्चे हैं; यह डिटेल मैं

27.8.2015/1410/AV/as/2

आपके सामने आपकी अनुमति से रखूंगा। उसके साथ ही अपनी बात समाप्त करूंगा। वहां पंचायत में जो आपका सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों की संख्या 43 है और 4 अध्यापक है। वहां अध्यापकों की कमी नहीं है। वहां बच्चों के अनुपात में अध्यापकों की संख्या पूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना है कि अब परिवार नियोजन है इसलिए बच्चों की संख्या घट गई। परिवार नियोजन तो उस गांव में भी होगा। मैं आपके सामने वहां पर खुले हुए निजी स्कूलों की बात रखूंगा। वहां एक आदर्श पब्लिक स्कूल है और मैं उसके वार्षिक उत्सव में गया था। वहां बच्चों की संख्या 49 है और यह उसी पंचायत के उसी गांव में खुला हुआ है। वहां के लिए पैदल चलने का रास्ता है। दूसरा वहां स्टार सनशाइन स्कूल है जिसमें 150 बच्चे हैं। तीसरा प्राइमरी स्कूल उसी पंचायत के ब्राह्मणों के गांव बटाला में होली एंजिल के नाम से खुला है जिसमें 62 बच्चे हैं। अगर इनका टोटल करें तो उस पंचायत में कुल 261 बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में 43 बच्चे हैं। अगर वहां गोरखे और यू.पी. की लेबर के बच्चे न होते तो उस सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या 15 ही होती । ऐसी अलार्मिंग स्थिति है। आज मजबूर होकर क्योंकि सबको अपने बच्चों के भविष्य की चिन्ता है। यहां पर रामपुर के

प्रतिनिधि बैठे हैं और यह सत्यता है कि (---घण्टी---) सर, खत्म कर रहा हूं। यह सत्यता है कि लोग चिन्तित है। एक और हैरानी की बात है कि जितने उस क्षेत्र में मास्टर या ऑफिसर हैं उन सबके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। किसी एक का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं जाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं चाहे शिक्षा विभाग इसको चैक कर लें। फिर बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधर गई और जनसंख्या घट गई। अगर जनसंख्या घटी है तो उस पंचायत में खुले प्राइवेट स्कूलों में इतने बच्चे कहां से आये? मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यापकों की एक्स्ट्रा करिकुलम में ड्यूटी लगना बंद होनी चाहिए। जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस नीति नहीं बनायेंगे इस क्षेत्र में सुधार लाना मुश्किल है। नहीं तो आप खुद देख लें कि शिक्षा के क्षेत्र में हालत कितनी खराब है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

अगला वक्ता श्री टी सी द्वारा जारी

27.08.2015/1415/TC/DC/1

अध्यक्ष महोदय : कृप्या पांच मिनट का समय लें।

श्री हंस रामः माननीय अध्यक्ष जी, एक अति महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में आया है। आपने मुझे बोलने का समय दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुणात्मक शिक्षा के संदर्भ में बहुत से वक्ताओं ने अपना अलग-अलग विचार और जो सही विचार थे वह भी दिए। माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने अति महत्वपूर्ण विषय इस मान्य सदन में रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर बसी है तब से ही मानव ने प्रकृति के साथ लड़ने के लिए या उसमें अपने आस्तित्व को चलाने के लिए अलग-अलग प्रयासों से संघर्ष किया और अपना बौद्धिक विकास किया है। आज के करंट सिनैरियो में जिस तरह से स्कूलों का प्रचार व प्रसार हुआ है उससे मानव सभ्यता को आगे ले जाने के लिए अति

उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। अब मैं सीधा ही अपने चम्बा जिला पर आऊँगा। चम्बा जिला का बड़ा दुर्भाग्य रहा है, मैडम आशा जी भी हॉ कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, वह चम्बा जिला से पहले रहे हैं। चाहे मेज़र साहब हो, चाहे मैडम (श्रीमती आशा कुमारी) खुद हो। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी चम्बा और सिरमौर दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी 2012में एक प्रथम नाम से एन0जी0ओ0 है, उसकी एक एजुकेशन रिपोर्ट लाँच हुई है जोकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वंय की थी । उसमें एक वक्तव्य था कि हिमाचल प्रदेश के सरकार स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लॉस का टैक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते हैं। न उनको पढ़ना आता है, न लिखना आता है, न सिम्पल दो डिजिट का अर्थेमेटिक आता है। इस तरह के हालात गुणात्मक शिक्षा के हमारे इस हिमाचल प्रदेश के हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी आपने एक सभा में कहा था कि 2013-14 में बजट का उचित प्रबन्ध प्रावधान करेंगे। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी कहीं न कही सही साबित भी हुए क्योंकि स्कूल तो इन्होंने खोल ही दिए। जिसमें इनका सक्सेसफुल 96 परसेंट रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैडल आशा जी ने कही, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि कॉम्पलैक्स स्कूल का सिस्टम है, मतलब बहुत ज्यादा मात्र में स्कूल न

27.08.2015/1415/TC/DC/2

खोल करके, कुछेक पॉकेट में, कुछेक मॉडल स्कूल खोलकर,वहां पर हर तरह का इन्फ्रास्ट्रैक्चर प्रोवॉइड किया जाता तो जो गुणात्मक शिक्षा है, उसका प्रसार और प्रचार हो सकता था। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाये। मौजूदा हालात में चुराग विधान सभा क्षेत्र के लगभग 16 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बैरागढ़ स्कूल एक ऐसा है जिसमें 475 बच्चे हैं । उसका इस साल का दसवीं का रिजल्ट 17परसेंट रहा है। अगर कम्पार्टमेंट मिला दी जाये तो 23 परसेंट। ये काफी चिन्तनीय विषय है। उसके साथ ही जो सरकारी मिडल स्कूल गोयला है उसमें तो सिंग्ल ही टीचर है। गवर्नमैंट मिडल स्कूल तरवाई में कोई टीचर नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सकैंडरी

स्कूल अंडर स्टॉफ हैं उसमें 150 बच्चे हैं । गवर्नमैंट हाई स्कूल थली है, गवर्नमैंट हाई स्केल बदेइगढ़ है, इसके अतिरिक्त कुथेड़,गुईला,बोंन्देड़ी चुराह,देवीकोठी, सत्यास, जनवास,भजराड में भी अंडर स्टॉफ चल रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि इतना इंश्योर हो जाये कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह पी0टी0ए0 से भर्तियां हुई है या एस0एम0सी0 से हो रही है, यथा शीघ्र भर्तियां हों। पिछले तीन सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्तियां होंगी ,जो भर्तियां करने वाले प्रशासनिक अधिकारी है वह भी नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से यही आग्रह है कि थोड़ा जागे और आपने जो स्कूल दिए हैं, उनमें स्टॉफ भी भरा जाये । कुछेक लोग मास्टर होकर के लीडर हो गये हैं। गवर्नमेंट मिडल स्कूल जनवा में एक टी0जी0टी0 है, वह कभी बी0आर0सी0सी0 बन जाते हैं और कभी प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारी बन जाते है। उनका पता ही नहीं चलता वह पिछले तीन सालों से स्कूल में ही नहीं हैं। इस तरह से जो टीचर नेता लोग बने हुए हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए और उनको जो पॉलिटिकल राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है वह संरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

अगला वक्ता श्रीमती एन0एस0 द्वारा ----- जारी

27.08.2015/1420/NS/DC/1

अध्यक्ष महोदय : अभी एक सदस्य रह गए हैं। कृपया आप अभी नहीं बोलें। आप एक मिनट बैठिए। कृपया पांच मिनट का समय लें।

श्री विजय अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में मूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए, के विषय की चर्चा यहां लाई है। मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करना चाहता हूं और यह विषय वास्तव में इतना गंभीर और बड़ा विषय है जिस पर चंद मिनटों में चर्चा नहीं की जा सकती

लेकिन फिर भी थोड़े से समय में बात रखने की कोशिश करूंगा। कभी 'विश्व गुरू भारत' कहलाए जाने वाला आज स्वतंत्रता के 68 साल बाद भी इस बात के लिए चर्चा करने के लिए मज़बूर हो रहा है कि इस देश की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सके। इस देश की शिक्षा पद्धति कैसे ठीक की जा सके जो कभी पूरे विश्व को चाहे वह तक्षशिला के माध्यम से, चाहे वह नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से, चाहे वह वासुदेव कुटुम्भ्कम की धारणा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि के साथ चलते हुए सारे विश्व का मार्गदर्शन करता था आज अपनी ही शिक्षा पद्धति, अपनी शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर है और इस प्रदेश में भी जो शिक्षा का हाल है आंकड़ों के जाल में बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि कर्नल इन्द्र सिहं जी और अन्य सदस्यों ने स्कूलों की क्या हालत है उन सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय 2-3 बातों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक तो पठन और पाठन की प्रक्रिया में सुधार हो। यानि पढ़ाने और पढ़ने की प्रक्रिया में सुधार हो। पाठयक्रम में भी सुधार हो। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला , पाठयक्रम यानि जो उसका सिलेबस है , उस सिलेबस में भी सुधार हो। उस सिलेबस को ठीक करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति और बच्चे को संस्कार मिलें। जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के साथ

27.08.2015/1420/NS/DS/2

जुड़े ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है और कई बार तो हम अनहैल्दी कंपीटिशन में बच्चों को ऐसा पाठयक्रम देने की कोशिश करते हैं जिससे व्यक्ति लॉर्ड मैकाले की नीति के अनुसार एक व्हाईट कॉलर जॉब ढूंढने वाली फौज में शामिल हो। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ता था Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water यह पढ़ता है और घर में आकर पूछता है कि पापा यह जैक एंड जिल कौन है तो जब घर में व्यक्ति बताने के लिए लाचार होता है क्योंकि उसको जैक एंड जिल कौन है उसकी जगह Krishna and Sudama went to the jungle to fetch a bundle of sticks अगर हम ऐसा उसको जोड़ने की कोशिश

करेंगे। अगर ऐसा हमारा सिलेबस बनेगा । हम महाराणा प्रताप को आधे पेज़ में समेट देते हैं और अकबर महान को हम बीस पेजों में पढ़ते हैं। इसको ठीक करने की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का नैतिक उत्थान भी हो। वह हमारी संस्कृति के साथ जुड़े अन्यथा आज मूल से व्यक्ति टूटता जा रहा है और उस मूल से टूटने के कारण ही आज व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। आज छात्र नशे की ओर जा रहा है । आज हमारे प्राईमरी स्कूल की जो हालत इस प्रदेश में है। उनमें सबसे बुरी हालत प्राईमरी स्कूलों की है। बच्चे 10, 5,4,3,2, 20 टीचर एक-दो और उसमें भी जो प्रवासी व्यक्ति हैं जो लेबर करने के लिए आए हुए हैं यहां लोग हैं चाहे उनके बच्चे हैं चाहे वह राजस्थानी, उत्तर प्रदेश या झारखंड के हैं अगर उनको निकाल दिया जाए तो वह स्कूल शून्य हो जाएंगे। बहुत से प्राईमरी स्कूल आज प्रदेश में ऐसे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे हैं जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में एक भी बच्चा नहीं है। अगले साल तीसरी में नहीं होगा उसके बाद चौथी में नहीं होगा उसके बाद जय हिन्द। मतलब स्कूल बंद होने के कगार पर हैं और यह क्यों हो रहा है उसके पीछे जो कारण है उस पर जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हमने जो शिक्षा के विस्तार के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया लेकिन उसके लिए हमारे पास फीडिंग सैंटरज़ क्या हैं? उसके लिए

27.08.2015/1420/NS/DC/3

हमारे पास पोपूलेशन का प्रैशर कितना है इसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने एक पंचायत में चार-चार स्कूल खोल दिए। बच्चे वहां होते नहीं हैं।

श्री नेगी द्वारा------- जारी।

27.08.2015/1425/negi/ag/1

श्री विजय अग्निहोत्री .. जारी...

बच्चे वहां होते नही हैं और जो हैं वे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर आज यहां पर चर्चा हो रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चाहे नौकरशाही हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। इससे पहले यह चर्चा होती थी कि अध्यापक अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन अध्यापक बोलता है कि मुझे अपने स्कूल के बारे में पता है । वहां 5 क्लासें हैं और एक या दो टीचर है, ऐसे में हम अपने बच्चों को वहां कैसे पढ़ाएं? इस करके जो सरकार ने रेशो रखी है 1:20 उसको बदलने की आवश्यकता है। क्लास के हिसाब से रेशो होनी चाहिए यानि एक क्लास एक टीचर की रेशो होनी चाहिए और इसका प्रबन्ध होना चाहिए। आज मशरूम ग्रोइंग की तरह स्कूल हो गए हैं। ....(घंटी) ...

अध्यक्षः आप प्लीज़ वाइंड-अप करें।

श्री विजय अग्निहोत्री : वाइंड-अप कर रहा हूं जी। उन सबको इकट्ठा करके उनमें हम बस फैसिलिटी दे सकते हैं, वैहिकल फैसिलिटी दे सकते हैं । वहां हमारा स्टॉफ पूरा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रास्ता बताया है यदि हम इसके अनुसार भी करेंगे तो जैसे कर्नल साहब बोल रहे थे कि अमेरिका और यू.के. में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कम्पिटिशन ज्यादा है, यहां भी वह पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब तथाकथित अच्छी पहुंच वाले, अच्छी स्टेटस वाले लोगों के बच्चे जहां पढ़ेंगे वहां नेचुरली इंस्फ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, वहां माहौल भी अच्छा होगा, कम्पिटिशन भी अच्छा होगा, बच्चों की इंटरेक्शन भी अच्छी होगी और उसकी डिवलपमैन्ट भी अच्छी होगी। नहीं तो आज यह स्थिति है कि टीचर कम हैं और क्लासिज ज्यादा हैं और जो खिचड़ी पकाने वाली हैं उनको पढ़ाने के लिए मज़बूर होना पड़ता है। एक मेरा दोस्त बता रहा था कि वह चार्ट में शक्ल

देख करके ही पढ़ाती है। चार्ट में अनार है तो उसको अनार नहीं पढ़ाती है बल्कि द से दाडू पढ़ाती है क्योंकि उसकी भाषा में दाडू है। आज यह स्थिति पैदा हो गई है । टीचर क्या करता है? खिचड़ी पकाने वाली

27.08.2015/1425/negi/ag/2

पढ़ाने लग गई और टीचर खिचड़ी का हिसाब लगाता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जो प्राथमिक केन्द्र विद्यालय है उसमें कम से कम एक नॉन-टीचिंग स्टॉफ यानि एक क्लर्क देना पड़ेगा ताकि जो नॉन-टीचिंग काम है, मिड-डे मील का काम है और जो अन्य काम है वह कर सके। ...(घंटी)... इसके साथ-साथ, टीचर से और काम लिए जाते हैं, चाहे वोटर लिस्ट का काम हो, चाहे जनगणना का काम हो और चाहे अन्य कोई काम हो, सारे काम टीचर से लिये जा रहे हैं। वो काम भी बन्द करवाने पड़ेंगे। उसके लिए भी टीचर को अलग से टी.ए./डी.ए. देते हैं। हम क्या जो इतनी बेरोज़गारी है, किसी एन.जी.ओ. के माध्यम से या किसी अन्य आउट-सोर्सिंग के माध्यम से यह काम नही करवा सकते हैं? ...(घंटी)....

अध्यक्षः अग्निहोत्री जी अब काफी हो गया है, समाप्त कीजिए।

श्री विजय अग्निहोत्री : सर, एक मिनट। मैं दो सुझाव देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जहां पाठन क्रिया और सिलेबस की बात है, अगर प्राइवेट स्कूलों के साथ कम्पीट करना है तो हमें प्री नर्सरी क्लासिज़ चलानी पड़ेगी। हमें नर्सरी, एल.के.जी. और यू.के.जी. क्लासिज चलानी पड़ेगी तब जा करके सरकारी स्कूल के बच्चे उनसे कम्पीट कर सकते हैं। वैसे यह बहुत हैल्दी बात नही है। इस तरह से एक छोटे से बच्चे के ऊपर हम बर्डन डाल रहे हैं, यह ठीक बात नही है। लेकिन कम्पिटिशन के लिए इसको करने की आवश्यकता है। सारे स्कूलों में एक जैसा सिलेबस हो। चाहे पब्लिक स्कूल है, चाहे आई.सी.एस.ई. का है और चाहे अन्य किसी बोर्ड का है सबका सिलेबस एक सा हो ताकि हर बच्चे को एक जैसी पढ़ाई सुनिश्चित हो जाए । आज हम कुछ मॉडल स्कूल बनाने की बात करते हैं । मॉडल

स्कूल बनाने की आवश्यकता नही है। राजीव गांधी जी ने नवोदय विद्यालयों की कल्पना करते हुए यह करने की कोशिश की थी लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाये। ....(घंटी) .... आज कुछेक परिवारों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके सिवाय उसका कोई लाभ नही उठा पा रहे हैं। इस करके समान शिक्षा हो। दोहरी शिक्षा बन्द हो। सही शिक्षा के लिए वातावरण ठीक बने और वहां पढ़ाने वाला व्यक्ति ठीक हो। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक

27.08.2015/1425/negi/ag/3

हो, वहां टीचर ठीक हो । इसके लिए एक क्लास के लिए एक टीचर की आवश्यकता है ,इसका प्रबन्ध आप करें।

अध्यक्षः अग्निहोत्री जी बहुत हो गया। Not to be recorded further.

श्री विजय अग्निहोत्री : अंत में, मैं यह कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप घंटों बात करेंगे तब भी कम है। क्योंकि जो शिक्षा हम पूरे विश्व को देते थे आज हम विश्व से सीखते हुए, जैसे किया गया है कि रिजल्ट देने की बात नही है, फेल-पास करने की कोई बात नही है, वो चीज़ें बन्द करनी पड़ेगी तब जा करके शिक्षा में गुणवत्ता आएगी।

Speaker: This is not to be recorded.

श्री विजय अग्निहोत्री : मैं अपनी बात बन्द करते हुए जो आदरणीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने प्रस्ताव लाया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस प्रदेश में इसपर चिन्ता करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा में गुणवत्ता आए।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1430/27.08.2015यूके/एजी/1

अध्यक्षः अब श्री नन्द लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नंद लाल) :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जहां-जहां जो स्कूल खोले गए हैं, इस सरकार के समय में सैंकड़ों स्कूल खोले गए, सैंकड़ों स्कूल अपग्रेड हुए वह भी जो दूर-दराज के हमारे एरिया हैं, जहां पर ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज़ की फिजिबिलिटी भी नहीं है वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने खोले हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आज हम राईट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो सबको पढ़ने का हक है। दूर-दराज एरिये में चाहे 4 फैमिलीज़ हैं चाहे 5 फैमिलीज़ हैं तो वहां पर भी बच्चों को पढ़ाई का हक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इसके जो पैरामीटरज़ हैं, उसके जो नॉर्म्ज़ हैं उसको भी रिलैक्स करके जहां 10 या 5 बच्चे हैं वहां पर भी स्कूल खोले गए। यह बहुत अच्छी बात है। प्लेन एरिया मे 3-4 किलोमीटर के डिस्टैंस का ट्रांसपोर्ट से 10 मिनट का रन होता है जब कि हमारे पहाड़ी एरिया में 3-4 किलोमीटर के रन का मतलब हुआ कि पहले नीचे जाओ फिर ऊपर चढ़ो, बच्चों को घंटों लगाने पड़ते हैं आने-जाने के लिए। तो इसलिए इस पैरामीटर्स को रिलैक्स करना जरूरी है।

अभी किसी माननीय सदस्य ने SMC की बात कही है। स्कूल मैनेजमैंट कमेटी को आज बैक-डोर एंट्री का नाम दिया जा रहा है। मैं आज यह बात साफ करना चाहूंगा कि स्कूल मैनेजमैंट कमेटी में SDM कनसर्न्ड प्रिंसिपल ऑफ दि स्कूल और एक सबजैक्ट स्पेशलिस्ट भी है और ये सारी डाक्युमेंट्री चीज़ें हैं। उसमें सारे डाक्युमेंट पूरी तरह से छाने जाते हैं। इस तरह उनकी काबिलियत के अनुसार उनकी सलैक्शन होती है। तो इसमें उनको नौकरी तो मिलती ही है साथ ही हमारे बेरोजगार, क्वालिफाईड, इलिजिबल युवक जो घर में बैठे हैं उनको भी नॉमिनल रेट पर स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है। उनको एम्पलॉयमैंट का भी साधन जुटाया जाता है।

/1430/27.08.2015यूके/एजी/2

आज सरकार ने चाहे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करो, एक बड़ा अच्छा सजैशन आया कि स्कूल मे आने-जाने के लिए बसों की जरूरत पड़ती है । इस में भी हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि पहले तो सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए ही फ्री ट्रेवल फैसिलिटी उपलब्ध थी लेकिन अब सैंट्रल स्कूलों के लिए भी फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है । हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का । इसके अतिरिक्त यूनिफार्म फ्री है, बुक्स फ्री है । उसके बाद मिड-डे मील है । खिचड़ी की बात हुई कि लोग खिचड़ी बनाते रहते हैं । लेकिन मैं UPA सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब मिड-डे मील स्कीम स्टार्ट हुई । यह स्कीम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अन्दर इसको सराहा गया है । जो बच्चे घर से कुछ खा कर नहीं जाते थे something is available for them in the school. यह इतनी अच्छी बात है । यह तभी हुआ जब सर्वशिक्षा अभियान उसके अन्दर crores of rupees are being pumped in the different States. उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलप किया गया, टीचर्स की तनख्वाहें जाती थीं, और सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलप करने की बात थी । तो इससे वह भी फायदा हुआ । खैर कनसर्न्ड यह है आज का कि how to improve the standard. इसमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसमें रेश्नलाईज़ करने की बहुत जरूरत है । We have to rationalize this. क्योंकि जहां लगता है कि एक बच्चा है या दो बच्चे हैं उसमें क्लबिंग कर दें । Some sort of rationalization has to be there. This is one.दूसरा, प्राईवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा जाते हैं और सरकारी स्कूलों में नहीं जाते । आज कम्पिटिशन का जमाना है, हम लोगों को कम्पीट करना पड़ता है, नैश्नल लैवल पर । तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई की जरूरत है । इसलिए जैसे इंगलिश मीडियम की बात करते हैं तो इंगलिश मीडियम फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाना चाहिए । ताकि वे बच्चे कॉनफिडेंट बने to compete with other people. तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि क्वालिफाईड टीचर्स हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग that has to be done. जो सुपरवाईज़री स्टॉफ है, जो हमारे शिक्षा विभाग के ओहदेदार लोग हैं उनको यह एन्श्योर करना होगा कि आपके स्कूल में सब क्लासें ठीक चल रही हैं, उनका रिज़ल्ट क्या है this is to be monitored. यह मॉनिटर करना बहुत जरूरी

/1430/27.08.2015यूके/एजी/3

है । आज क्या हो रहा है कि उसमें कहीं कमी है this monitoring has to be there and they are to be held responsible.

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

27.08.2015/1435/sls-as-1

श्री नन्द लाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ...जारी

जो स्कूल का रिजल्ट आता है, उसमें उनकी जिम्मेवारी निर्धारित होनी चाहिए कि इस स्कूल का क्या रिजल्ट है। अच्छी फैसिलिटीज हों, स्कूल में टीचर्ज़ पूरे हों, यह तो एक ज़रूरत है। मुझे यही कहना है।

मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

27.08.2015/1435/sls-as-2

Speaker Kindly take note that not more than 5 minutes please.

श्री जय राम ठाकुर : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी ने यहां पर जो महत्वपूर्ण संकल्प लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले प्लस टू का सी.बी.एस.ई. का रिजल्ट आया। जिस बेटी ने इसमें टौप किया उसके 99.3% मार्क्स थे, यानी कुछ प्वांइट्स छोड़ लगभग 100% मार्क्स उसने लिए। हम इस बात को लेकर कल्पना करें कि आखिरकार जहां पूरी दुनिया में मुकाबला हो रहा है ,पूरे देश में हो रहा

है, हम हिमाचल के गावों के लोग आज की तारीख में कहां खड़े हैं? मुझे लगता है कि यह सब लोगों के लिए सोचने का विषय होना चाहिए। लेकिन हम इस बात को लेकर जब यहां पर बार-बार चर्चा करते हैं ,चर्चा के बाद हम अपने आपको उसी ढर्रे पर खड़ा पाते हैं और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। आज जब हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं ,निःसंदेह कुछ अच्छा काम भी हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह सही समय है जब इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। एक समय था जब एक्सपैंशन की आवश्यकता थी। भाई नन्द लाल जी कह रहे थे कि कुछ कठिन ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां भौगोलिक रूप से काफी कठिनाई है और वहां प्राईमरी स्कूल के बच्चों को 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहां स्कूल खोला जा सकता है। लेकिन उसके साथ हम जिस तरीके से अंधाधुंध संस्थान खोलते जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखे बिना, कि जो खोले हैं वह चल भी रहे हैं या नहीं, यह सही नहीं है। खोलने का श्रेय लेना अच्छी बात है, हम इसको लेकर कोई डिसप्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हर बात को लेकर यही कहा जाता है कि हमने इतने संस्थान खोले। संस्थान खोले लेकिन केवल फट्टा लगाने से कोई शिक्षा नहीं मिल जाती। फट्टा लगाकर स्कूल खोलने का काम कोई भी कर सकता है। हम सरकार में थे और आज सत्ता में नहीं, विपक्ष में हैं। इस काम को हम भी बखूबी कर

27.08.2015/1435/sls-as-3

सकते थे। लेकिन मैं धूमल साहब को बधाई देना चाहता हूं। माननीय धूमल जी ने इस बात पर विचार किया कि एक्सपैंशन का दौर बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें गुणात्मक शिक्षा पर विचार करना चाहिए। कुछ नार्म्ज तो तय होने चाहिए कि स्कूल कहां खुलना चाहिए ,कहां नहीं खुलना चाहिए। इस सारी बात को लेकर थोड़ा-सा सोचने की आवश्यकता है, उस दिशा में प्रयास हुए थे। नार्म्ज बनें कि कितनी दूरी पर स्कूल खुलना चाहिए, कितने बच्चों की संख्या पर स्कूल खुलना चाहिए। इन सारी बातों पर विचार हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और फिर चलते-चलते उसी ढर्रे पर पहुंच गए।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में बहुत विकट स्थिति खड़ी हो गई है। आज स्कूल में फट्टा तो लगा हुआ है लेकिन वहां पर मास्टर नहीं है। स्कूल में नेता का फट्टा लगा हुआ है कि वह उद्घाटन करके गए ,लेकिन उसके बावजूद वहां पर भवन नहीं है। हम अपने ही चुनाव क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर एक नहीं अनेकों स्कूलों में जाते हैं। वहां या तो मास्टर की कमी है या भवन उपलब्ध नहीं है। इस विषय को लेकर मुझे लगता है कि इन सारी बातों को सोचने की आवश्यकता है। मैंने उदाहरण दिया कि 99 प्लस परसैंटेज के साथ बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन हम कहां खड़े हैं? अगर दुनिया में प्रतिस्पर्धा में हमें अपने आपको शामिल करना है तो मुझे लगता है कि हमें यहां पर यह निर्णय करना पड़ेगा। यही एक स्थान है जहां पर यह सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम इस स्थिति को देख रहे हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत चर्चा की। आज पार्टी के जो नेता जाकर टुर्नामैंट का उद्घाटन कर रहे हैं ,वह शिक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोलते कि बच्चों को ठीक से पढ़ना चाहिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां क्या किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक भाषण ज़रूर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जाकर टुर्नामैंट का उद्घाटन कर रहे हैं ,एन्वल फंक्शन का उद्घाटन कर रहे हैं और समापन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सचमुच में बहुत ही विचित्र स्थिति है। इन सारी चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। गुणात्मक शिक्षा के बारे में अगर थोड़ा-सा भी विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि जो स्पिरिट इस प्रस्ताव के माध्यम से ...

जारी ..श्री गर्ग द्वारा

27/08/2015/1440/RG/DC/1

श्री जय राम ठाकुर----क्रमागत

अगर गुणात्मक शिक्षा के लिए थोड़ा सा भी विचार करने की आवश्यकता है ,तो जो स्प्रिट इस संकल्प के माध्यम से माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने यहां रखी है, इस पर विचार करिए। अंधाधुंध ऐक्सपैंशन से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप सोचेंगे कि उससे सत्ता नहीं रहेगी और इससे हम हमेशा सत्ता में रहेंगे ,तो

मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। स्कूल हमने भी खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोग देखते हैं कि स्कूल का फट्टा लगा है और वहां भवन नहीं है, जब लोग देखते हैं कि स्कूल का फट्टा लगा है, लेकिन वहां अध्यापक नहीं है ,तो उसी समय वे जवाब देते हैं। हम पांच साल तक आपसे स्कूल का भवन मांगते रहे, हम पांच साल तक आपसे स्कूल के लिए अध्यापक मांगते रहे ,लेकिन नहीं मिले। तो इस प्रकार वहां से इधर आने में बहुत देर नहीं लगेगी और जैसे ही चुनाव होंगे ,तो आप वहां से यहां और यहां से वहां आ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी बातों को सोचने की आवश्यकता है। जो सारी बातें यहां कही गईं, मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्रेय स्कूल खोलने का नहीं ,आज की तारीख में स्कूल को चलाने का श्रेय लेने की आवश्यकता है। शिक्षा को एक ठीक पद्धति पर लाने के लिए, ठीक व्यवस्था में लाने के लिए, गुणात्मक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके, इसका श्रेय लें, तो मुझे लगता है कि उसको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। स्कूल किसने कितने खोले, इसको कोई याद नहीं रखेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

2/-

27/08/2015/1440/RG/DC/1

अध्यक्ष : अब श्री नीरज भारती जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से इस सारी चर्चा का उत्तर आएगा। कृपया कम समय लें।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री नीरज भारती) : माननीय अध्यक्ष जी, आज जो माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने इस सदन में गैर-सरकारी सदस्य संकल्प यहां पर रखा है कि 'शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए परिवर्तन किए जाएं।' बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन जहां तक विपक्ष के सदस्यों की इस चर्चा में भाग लेने की बात है ,इन्होंने यह संकल्प तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यहां प्रस्तुत किया है ,लेकिन शिक्षा के बारे में जो नकारात्मक सोच इनकी है

जिसकी वजह से अढ़ाई वर्ष पहले इन्हें पक्ष की गद्दियां छोड़कर विपक्ष की गद्दियों पर विराजमान होना पड़ा। बात यह नहीं है कि कितने स्कूल आपने खोले या बन्द किए! बात यह है कि आपने कहां पर इन स्कूलों की सुविधा दी। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में उस समय दूर-दराज के क्षेत्र में एक स्कूल बंद कर दिया गया। मैं प्राथमिक पाठशालाओं की बात कर रहा हूं ,जो छोटे-छोटे नौनिहाल हैं उनको पहाड़ियां क्रॉस करके लगभग चार से पांच किलोमीटर की दूरी पर उनका स्कूल था ,वहां जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने किसी ने ऐडमीशन ही नहीं ली। तो यह नकारात्मक सोच आपकी उस समय थी।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी ,तो सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन स्कूलों की बहाली के आदेश दिए। जो इन्होंने डिनोटिफाई किए थे उनको हमने नोटिफाई किया ताकि राईट टू ऐजुकेशन, जिसको आर.टी.ई. कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार चाहे एक बच्चा है ,दस, पचास या सौ बच्चे हैं , सबको शिक्षा का अधिकार है।--(व्यवधान)---मेरे यहां तो स्कूल खुले हैं, आपके पता नहीं कौन से बंद हुए? बहुत से आंकड़े हैं वे माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे कि कहां पर कितने स्कूल खुले, कहां कितने बंद हुए ,कहां टीचिंग स्टाफ है और कहां कितना नॉन-टीचिंग स्टाफ है, ये सभी आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं। कहने का मतलब यह है कि हम चर्चा तो बहुत करते हैं, हम इस माननीय सदन में अपनी-अपनी बात रखते हैं ,बड़े-बड़े भाषण देते हैं ,अपनी राय देते हैं , लेकिन उन पर फील्ड में जो क्रियान्वयन होना चाहिए, वह होता है या नहीं? आपके समय में भी नहीं हो रहा था। मेरी बात सुन लो, मैं सरकारी स्कूल में केन्द्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूं। उसके

27/08/2015/1440/RG/DC/3

बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ,लालपानी में पढ़ा हूं ,राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला में भी पढ़ा हूं, लेकिन आज तक किसी विधायक या इस ओहदे पर बैठे हुए किसी सदस्य ने क्या कोई ऐसी चर्चा की कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए?

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2015/1445/MS/DC/1

श्री नीरज भारती (मुख्य संसदीय सचिव)जारी-------

किसी माननीय सदस्य ने कोई ऐसी चर्चा की कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। -(व्यवधान)-बात आज की है। दो माननीय सदस्य हाथ उठा रहे हैं, वह मैं मानता हूं। -(व्यवधान)-मेरी बेटी अभी के0जी0 में है। के0जी0 का अभी सरकारी स्कूलों में प्रावधान नहीं है। मैं इस सदन में आज यह कहता हूं कि अगले वर्ष पहली कक्षा में मेरी बेटी सरकारी स्कूल में दाखिला लेगी। अब आप लोग बताइये कि आपके साथ पारिवारिक रूप से जुड़े हुए कितने सदस्य है जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं या सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए नीति बनेगी कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ?आप बताइये? -(व्यवधान)-ठीक कैसे करेंगे? ठीक तभी होंगे, जब हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। -(व्यवधान)- मैं सबसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए? -(व्यवधान)-इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर सरकारी स्कूल में गए हैं। मैंने किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः कृपया बहस मत कीजिए। विजय जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री नीरज भारती (मुख्य संसदीय सचिव) :मेरी बेटी अभी छोटी है मैं उसको बड़ी कैसे करूंगा? वह पहली कक्षा में अगले साल दाखिला लेगी क्योंकि वह छः साल की अब हुई है। -(व्यवधान)-मैं किसी को यह नहीं कह रहा हूं कि आपने बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए। पढ़ाए हैं। मैं स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और भी कई माननीय सदस्य सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। परन्तु बात यह है कि हम करोड़ों-अरबों रुपयों का बजट साल-दर-साल शिक्षा के लिए निर्धारित करते हैं और खर्च भी करते हैं। कहीं अच्छा खर्च होता है कहीं बुरा खर्च होता है। कहीं ठीक काम होता है कहीं ठीक काम नहीं होता है। कहीं कमरे बनते हैं कहीं नहीं बनते हैं। कहीं व्यवस्था होती है कहीं नहीं होती है। जब हमारे बच्चे और सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो उनमें निश्चित रूप से

वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जैसी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज प्राप्त कर रहे हैं। जो पुराने प्राइवेट स्कूल पहले से एस्टेब्लिशल्ड हैं उनकी बात

27/08/2015/1445/MS/DC/2

अलग है। वे अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन जो नये प्राइवेट स्कूल खुले हैं वे तो दो-दो दुकानों में खुल गए हैं। उनका स्टाफ भी हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से कम पढ़ा-लिखा है। वे अण्डर क्वालिफिकेशन वहां रखे हैं और उनको तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। -(घण्टी)- यही बात मैंने 19 तारीख को केन्द्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्कूल ऐजुकेशन की मीटिंग में भी कही कि आप जितने मर्जी सुझाव और सलाह दीजिए लेकिन जब तक इस पर सही ढंग से कदम नहीं उठाएंगे, जब तक इसको मेनडेटरी नहीं करेंगे -(घण्टी)- कि जो भी सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। -(व्यवधान)-मैं पहल कर रहा हूं और भी पहल करें। -(व्यवधान)-इसको बाहर ओपन मंच पर रखते हैं। इसमें देखते हैं कि सबकी क्या राय बनती है। कोई समस्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा ध्यान दिया है। टीचर्स की भर्तियां हुई भी हैं और कुछ के लिए तैयारी की जा रही है। परन्तु समयबद्ध तरीके से ही सबकुछ होता है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। जो मेरे विचार थे, वे मैंने सदन में रख दिए हैं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

27/08/2015/1445/MS/DC/3

अध्यक्षः अब इस विस्तृत चर्चा के बाद सरकार की तरफ से इस चर्चा का उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी के संकल्प के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं जोकि निम्न प्रकार से हैंः-

शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सरकार द्वारा पहले ही आवश्यकतानुसार कारगर नीतियां लागू की गई हैं। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व 1992 को प्रदेश में लागू किया है। प्रथम अप्रैल 2010 से प्रदेश में बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रदेश में लागू है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

27/1450/08.2015.जेएस/डीसी1/

मुख्य मंत्री :-------जारी-----

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रदेश में लागू है। National Curriculum Framework 2005को प्रदेश में लागू किया गया है। कक्षा 6 से 12 तक एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम को ही अपनाया गया है तथा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को एन.सी.एफ. 2005 के अनुरूप बनाया गया है। अध्यापकों की शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं National Council for Teacher Education के मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है। प्रदेश में SSA, RMSA व RUSA को केन्द्र सरकार के सहयोग से कार्यरत्त किया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सरकार ने कई कदम उठाये हैं।

विभाग पाठशालाओं में अध्यापकों की उपलब्धता के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए सदैव प्रयासरत्त हैं। वर्तमान सरकार शिक्षण संस्थानों की नियुक्ति हेतु पूर्णरूप से सजग है तथा पूर्ण पारदर्शिता योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर रही है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षकों के 13,536 पदों को भरा है। यह कोई कम नहीं है। पिछले दो-तीन वर्षों में 13,536 पदों भरा गया है, जिसमें से 9,522 पद नियुक्ति व 4 ,014 पदोन्नति शामिल है। इसके

अलावा शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,239 पद भरने के लिए मांग पत्र भेजा गया है। अभी एक-दो महीने के अन्दर इन पदों को भरा जाएगा।

प्रदेश में इस समय सरकारी क्षेत्र में 89 महाविद्यालय, 5 संस्कृत महाविद्यालय, 1,612 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालायें, 881 राजकीय उच्च पाठशाला, 2,236 राजकीय माध्यमिक पाठशालायें तथा 10,776 राजकीय प्राथमिक पाठशालायें कार्यमूलक हैं। इन शिक्षण संस्थानों में 9,59,147 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 4,78,247 लड़कियां हैं, जो आधे से ज्यादा है। मुझे खुशी है कि अब लड़कियां जो पहले बहुत कम होती थी आज वो पढ़ रही हैं। आज जितने भी हमारे विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनसे 50 प्रतिशत से ज्यादा आज लड़कियां हैं। इस तरह से हमारी

27/1450/08.2015.जेएस/डीसी2/

लड़कियों की पढ़ाई में काफी बढ़ौत्तरी हुई है और लड़कियां फायदा उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये कॉलेज दूर-दराज़ के इलाकों में नहीं खोले जाते, जहां पर आज भी यातायात की कठिनाइयां हैं तो कभी भी इतनी मात्रा में लड़कियां उन दूर-दराज के स्कूलों में नहीं जाती । इसी वजह से जो सरकारी स्कूल आज दूर-दराज़ इलाकों में पहुंचे हैं। हमने जो कॉलेजिज खोलें हैं वे शहरों में नहीं खोले हैं। शहरों में तो पहले से ही खुले हुए हैं। उनको दूर-दराज़, ग्रामीण इलाकों में खोला गया है। इसकी वजह से लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है जब मैं गांवों के कॉलेजों में जाता हूं वहां पर न केवल काफी मात्रा में बच्चे हैं बल्कि 50प्रतिशत से ज्यादा जो विद्यार्थी होते हैं, वे लड़कियां हैं । जो लड़का है उसको माँ-बाप दूर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, किसी रिश्तेदार के पास भेज देते हैं, कहीं होस्टल में भेज देते हैं लेकिन लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में वहीं तक पढ़ पाती है जहां तक कि सबसे ऊंचा शिक्षा का संस्थान वहां पर होता है। अगर वहां पर मिडल

स्कूल है तो उससे आगे नहीं जाती है। अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल से आगे नहीं जा पाती और अगर 10+2 का स्कूल है तो उसमें पढ़ती है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

27-08-2015/1455/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कॉलेजिज़ और स्कूल खुले हैं उसमें आज लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ी है। मैं ऐसी जगह के स्कूल और कॉलेज भी जानता हूं जहां पर आज लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है क्योंकि आज लड़कियों को पहली दफा पढ़ने का मौका मिला है। अगर ये संस्थाएं दूर-दराज क्षेत्र में नहीं खोली जातीं तो लड़कियां खासकर जहां यातायात का पूरा प्रबंध नहीं है वहां नहीं पढ़ पातीं।

शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में निपुणता और रोज़गार पाने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों में नेशनल वोकेशनल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क योजना के अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 500 विद्यालयों में आठ व्यवसाय खोले गए हैं। जो रोज़गार से संबंधित सब्जैक्ट्स हैं वे भी आज स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें वाहन (Auto Mobile), खुदरा (Retail), सुरक्षा, आई0टी0ई0एस0, हेल्थकेयर, कृषि, अतिथि सत्कार व पर्यटन तथा टेलिकॉम में वोकेशनल एजुकेशन आरम्भ की गई है। ये सब बाली जी का जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके अलावा है। टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत विस्तार हुआ है। नये संस्थान खोले गए हैं और वहां नये-नये सब्जैक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं तथा विद्यार्थियों में बड़ी नफरी हुई है। उनकी तादाद बढ़ी है। बड़ी मांग है। इसके अलावा स्कूलों में भी इस प्रकार के कोर्सिज़ चलाये जा रहे हैं। **उनकी शिक्षा को स्नातक स्तर तक ले जाने हेतु Bachelor of Vocational Course विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।** मुझे इस बात

का हर्ष है कि वोकेशनल एजुकेशन को पूरा करने वाले 524 विद्यार्थियों को रोज़गार भी मिल गया है।

सरकार द्वारा प्रदेश की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक सूचना प्रौद्योगिकी विषय चलाया जा रहा है। आज तकनीकी युग में सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। प्रथम चरण में 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सूचना एवं संचार तकनीकी स्कीम को लागू किया गया है तथा दूसरे चरण में 1520 स्कूलों में यह योजना लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त 5 पाठशालाओं को स्मार्ट स्कूल का स्तर प्रदान किया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान

के माध्यम से 1202 मिडल स्कूलों में Computer Adding Learning का प्रावधान किया गया है तथा इस वर्ष 250 और स्कूलों में प्रावधान किया जा रहा है।

पाठशालाओं में सीखने-सिखाने की गतिविधियों को रोचक बनाने के लक्ष्य से विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की परीक्षा में मेधावी विद्यार्थियों को "राजीव गांधी डिजिटल योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 5000 नेट बुक तथा वर्ष 2014-15 में 7500 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किये गए। वर्ष 2015-16 के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 10000 विद्यार्थियों के लिए कर दिया गया है। यह उनको है जोकि अपनी क्लास में टॉपर्ज़ हैं।

इसी तरह से हमारी सरकार ने साइंस, कॉमर्स एवं मैथेमैटिक्स विषयों को बढ़ावा देने के लिए मापदण्डों को बदला है तथा 47 स्कूलों में साइंस तथा 38 स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम को शुरू किया है ताकि इन विषयों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा अब कुल 644 स्कूलों में साइंस व 6 82स्कूलों में वाणिज्य पढ़ाया जा रहा है। ऐसे साइंस और वाणिज्य सभी स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं ..

जारी श्रीमती के0एस0

/1500/27.08.2015केएस/एजी1/

मुख्य मंत्री जारी---

मगर विशेष तौर पर जोर देकर, इतने स्कूल हैं जो सिर्फ कॉमर्स के लिए, साईंस के लिए खोले गए हैं जिससे कि जो रुचि रखने वाले स्टूडैंट्स हैं, जो उस सब्जैक्ट को रखना चाहते हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। ये मॉडल्स है इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर पूर्ण विश्राम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे जितने भी हमारे 10+ 2स्कूल हैं, उनके अंदर कई प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध हो। साईंस भी हो, कॉमर्स भी हो और भी व्यवसायिक विषय जिनका कि रोज़गार के साथ सम्बन्ध है, पढ़ाए जाएं।

गरीब एवं होनहार छात्रों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनायें लागू की जा रही है। सरकार द्वारा राज्य व केन्द्र प्रायोजित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत प्रदेश में मुवलिग 62 करोड़ 3 लाख रुपये का व्यय किया गया जिससे 1 लाख 30 हजार 213 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। उच्च शिक्षा संस्थान जैसे IIM, IIT, AIIMS, ISM Dhanbad व IISC में दाखिल होने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों को एक मुश्त 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

सरकार द्वारा नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन हेतु 4 जनवरी, 2010 को नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत खराब परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा जिन पाठशालाओं के परीक्षा परिणाम बेहतर होंगें उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, प्राईमरी स्कूलों में पांचवी कक्षा सबसे ऊंची कक्षा होती है । कुछ समय पहले तक पांचवी और आठवीं कक्षा का इम्तिहान नहीं होता था सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा का ही इम्तिहान बोर्ड के माध्यम से होता था। पांचवी और आठवीं तक के बच्चों का स्कूल के अंदर ही स्कूल के अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन

/1500/27.08.2015केएस/एजी2/

किया जाता था। आप सभी जानते हैं कि उसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर गया और यहां तक सामने आया कि पांचवी के बच्चे दूसरी और तीसरी तक की किताब नहीं पढ़ सकते थे। कोई इम्तिहान नहीं होता था कोई टैस्ट नहीं होता था और स्कूल के टीचर ही उनकी असैसमैंट करते थे और बच्चों को पास करते थे। उसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर गया और अगर जो भारत सरकार की नीति है, उसको हम अपनाते हैं उसमें एक्ट पास है उसके अनुसार पांचवीं कक्षा का, आठवीं कक्षा का कोई इम्तिहान नहीं होगा सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों के इम्तिहान होंगें। यह प्रणाली बहुत गलत है । इम्तिहान न सही मगर हर साल या छः महीने के बाद जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है उसकी असैसमैंट तो होनी चाहिए। एक तरीका निकालना पड़ेगा जिसके आधार पर जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए । मास्टर भी सचेत हो जाएंगें क्योंकि वे भी समझते हैं कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ,बच्चे फेल हो या पास हो, हमारे काम को कौन असैस कर रहा है? बच्चा पढ़ने में कैसा है इसका पता तब लगेगा जब वह दसवीं कक्षा में फेल होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अब हम यह कर रहे हैं और केन्द्र सरकार ने भी अब यह किया है कि अब प्राईमरी कक्षा का भी और आठवीं तक का भी इम्तिहान होगा भले ही वह बोर्ड के माध्यम से न हो किसी अन्य प्रणाली के द्वारा मूल्यांकन किया जाए। इससे बच्चों की पढ़ाई सुधरेगी और अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। वे सोचते हैं कि हमारी तो कोई जवाबदेही नहीं है, हमारी जवाबदेही तो तब शुरू होगी जब यह लड़का हाई स्कूल में पहुंचेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.8.2015/1505/av/as/1

मुख्य मंत्री जारी ------

हाई स्कूल में पहुंचेगा। यह बहुत गलत प्रणाली है। इसकी वजह से शिक्षा बहुत कमजोर हो रही है। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल से निकलते हैं उनकी जड़े शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नहीं है। इन सबको दूर किया जायेगा। हालांकि जो हमारा सैंटर ऐक्ट लागू है उसके अनुसार पांचवी या आठवीं की परीक्षा देने से मनाही है मगर फिर भी we are finding some way to assess the educational standard of the students ताकि उसको पहले ही दुरुस्त किया जाए और जो बच्चे कमजोर है वे ठीक तरह से आगे चले। यह करना जरुरी है। इससे अध्यापक भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। अगर अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ायेंगे तो वे भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अपना नाम कमायेंगे तो उसका श्रेय उनके अध्यापकों को भी जायेगा। इसको करना बहुत जरुरी है। हमने इस चीज को अब बड़ी सख्ती से लागू किया है और इसकी वजह से पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा है। हमने अब करिकुलम भी बदल दिया है, अब हर प्राइमरी स्कूल के अंदर पहली क्लास से तीन चीजें एक साथ पढ़ाई जायेगी जिसमें हिन्दी, मैथ्स और अंग्रेजी शामिल है। जहां बच्चा अ, आ से शुरु करेगा वहीं वह ए., बी., सी., डी.भी सीखेगा। इंगलिश एक इंटरनेशनल भाषा है और इसका ज्ञान शुरू से होना चाहिए ताकि जब वह हायर क्लासिज या कॉलेज में जायेगा तो उसकी नोलैज मजबूत होगी तथा उसकी भाषा पर पकड़ होगी। इसीलिए यह शुरु किया है। यहां पर बहुत सारे विधायकों ने अपनी बात में कहा कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जिस मात्रा में स्कूलों में अध्यापक होने चाहिए; वे हैं। बहुत जगह पर ऐसी स्थिति नहीं है। मगर आज स्कूलों में हर श्रेणी के अध्यापकों में बहुत भारी वृद्धि हुई है। आज हमारे प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि हजारों संस्थाएं हैं। इसी वर्ष प्रदेश के अंदर प्रमोशन के द्वारा 4014अध्यापक हायर क्लासिज के उपलब्ध हुए हैं। रेगुलेराईजेशन के द्वारा 3946 और अप्वाईंटमैंट के द्वारा चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के द्वारा

27.8.2015/1505/av/as/2

9522 अध्यापक भरे हैं। इनका टोटल 17482 है। इसके अतिरिक्त आज की तारीख में 1239 पोस्ट्स ऐडवर्टाइज की है जो कि कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और कुछ अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के द्वारा अगले एक-दो महीने के अंदर भर दी जायेगी। हम चाहते हैं कि जितने स्कूल हैं उनके लिए जो अध्यापकों की निर्धारित मात्रा है वह उपलब्ध करवाई जाए। हम और जगह बजट को काट सकते हैं मगर ऐजुकेशन के बजट को बिल्कुल नहीं काटा जायेगा। उसमें हर श्रेणी के अध्यापक चाहे प्राइमरी अध्यापक, टी.जी.टी. या लैक्चरर्ज हैं; वे सारे उपलब्ध किए जायेंगे। एक साल में इतने अध्यापक कभी भी भर्ती नहीं हुए जितने इस साल हुए--------

श्री टी सी वर्मा द्वारा जारी

27.08.2015/1510/टीसी/ए0एस0/1

मुख्य मंत्री ----जारी

इसके अलावा भी अगर दूरदराज के इलाके में टीचर्ज़ की कमी है, वह एस0एम0सी0 के द्वारा भरे जाएंगे। जो आदमी सलैक्ट भी होते हैं वे भी वहां दूरदराज क्षेत्र में जाने में आनाकानी करते हैं। हमने वहां जो स्कूल मेनेजमैंट कमेटी है को अधिकार दिया है कि जो डियूली फूल क्वलीफाईड है They have a full qualification. एस0एम0सी0 उनको वहां टीचर लगा सकती हैं। इससे उनको ट्रेंड टीचर्ज़ उपलब्ध हो जाएंगे, जो एस0एस0सी0 के द्वारा लगाये गये हैं They are all graduates, post graduates टी0जी0टी0 है, बी0एड0 है, जो भी क्वॉलीफिकेशन टीचर्ज़ की है यदि वह उनके पास है तो उनको वहां लगाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा जब इन जगहों पर भी रेगुलर टीचर्ज़ लगाए जाएंगे । आज भी हमने उसक इलाके में कई ट्रांसफरें की हैं मगर काई न कोई बहाना करके ट्रांसफर रोक लेते हैं। कोई बीमारी का बहाना या कोई और अन्य बहाना । कुछ हमारे साथी लोगों की कृपा से ट्रांसफर रूका लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि वहां टीचर्ज़ नहीं हैं। आज गांव-गाव के अन्दर दूर-दराज इलाकों में भी क्वॉलीफाइड टीचर्ज़ हैं। They have all the requisite qualification which is required for a teacher. आज हम स्कूल की बल्डिंगज़ पर जोर दे रहे है। आज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज़िज है, वह चाहे कभी भी खुले हो, अधिकांश हमारे व़क्त में खुले हैं। हम उनको पैसा दे रहे हैं। जब कोई गवर्नमैंट कॉलेज मंजूर होता है,उसी दिन 5 करोड़ रूपये उसके लिए रख दिया जाता है। मैंने देखा है कि 2- 3साल में 10या 15 करोड़ के अन्दर कॉलेज की बिल्डिंग बन जाती है। इस तरह से आज स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ये मैं नहीं कहता कि सभी स्कूल बिल्डिंगज़ का निर्माण एक साथ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी भारी मात्रा में स्कूल बिल्डिंगज़ का निर्माण हो रहा है। अगर इसी रफ्तार से हम स्कूल बिल्डिंगज, कॉलेज बिल्डिंगज, सांईस लैबरोरेटरी बगैरह खोलेंगे तो अगले कुछ सालों के अन्दर व़क्त आएगा कि कोई भी ऐजुकेशन इन्स्टीच्युशन बिना बिल्डिंग,सांईस लैबोरोटरी,लाईब्रेरी से और जो भी उनको स्कूल में सुविधा चाहिए, उससे वंचित नहीं रहेगा। आज सुबह ही सरकाघाट के माननीय विधायक श्री इन्द्र

27.08.2015/1510/टीसी/ए0एस02/

सिंह जी कह रहे थे कि जो बलद्वाड़ा का कॉलेज है अभी तक उसकी बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं आया है। हमने उस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए भी 5 करोड़ रूपये दिए हैं और लोक निर्माण विभाग के पास पड़े हैं। जोकि खर्च नहीं हुए हैं। उसकी वज़ह यह है कि उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। अब भूमि का प्रबंध हुआ है। 12-1 3विघा जमीन दी गई है। लक्ष्य के मुताबिक अगर तीन-चार बिघा जमीन जो सरकार चाहती है और उपलब्ध हो जाये तो वहां कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। उसका कुल बजट 15 करोड़ है और शुरू में उसके लिए 5 करोड़ रूपया दिया गया हैं। हमने यह मापदण्ड अपनाया है कि जो भी कॉलेज खुलता है, शुरू में ही उसके लिए 5 करोड़ रूपया दे दिया जाये। कभी ज़मीन न मिलने कि

वज़ह से और कभी फॉरेस्ट की क्लीयरेंस न मिलने की वज़ह से देर हो जाती है। ये सब बातें हैं। मैं नहीं कहता कि हिमाचल में education is sort of a model. I can say education is very good. It is much much better then what it was before. मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन की फिल्ड में it should be a power centre. It should be an example for others. इस तरह से शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तरक्की की बात करें तो शुरूआत ही शिक्षा से होती है। शिक्षा अच्छी होगी, उनका प्रशिक्षण ठीक से होगा, उनमें संस्कार पैदा होंगे तभी जाकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। उसके लिए हम कटिबद्ध है। आप दूसरे स्टेटों में देखिए क्या है। जो भी स्टेटस हैं, कई जगह पर प्राईमरी स्कूल के कमरे नहीं हैं। खुले मैदान में आम के दरख्त के नीचे क्लासें लगती है। कुछ बातें ऐसी होती है, संसाधन भी सीमित होते है। बड़ा राज्य होगा उसके काम भी बड़े होंगे। पैमाना बहुत बड़ा होगा। यहां पर शुरू से ही मुझे खुशी है -------

श्रीमती एन0एस0 ---जारी

27.08.2015/1515/NS/DS/1------

मुख्य मंत्री ---------- क्रमागत

और यहां पर शुरू से ही मुझे खुशी है इस बात की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और सारी सरकारें जो हिमाचल में आई हैं शिक्षा के प्रति उनका रवैया बहुत ही सकारात्मक रहा है। इसी वजह से शिक्षा जो है वह ढंग से आगे बढ़ रही है और इसे हमें आगे बढ़ाना है और जहां इसमें त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो टीचर एक जगह लग जाता है कृपा करके उनकी ट्रांसफर का डी.ओ. न भेंजे। (---व्यवधान---) इसमें आपके भी आते हैं। ठीक है। तकरीबन सब आते हैं। दूसरे जो बाहर एम.एल.ए जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं उनके भी आते हैं। कइयों की जो मांग और सुझाव होता है वह बहुत जेनुअन होता है। कोई बीमार है, कोई विधवा है, कोई

बीमारी से ग्रस्त है, किसी के छोटे बच्चे हैं इत्यादि तो उस केस में किया जा सकता है। अब पहली अप्यांटमैंट में ही आदमी कहे कि किन्नोर, लाहौल-स्पिति , चम्बा नहीं जाऊंगा तो वह ज्वाइन नहीं करते तो इसको चम्बा के बदले हमीरपुर पहुंचाओ या आप इसको कांगड़ा में लाओ या बिलासपुर ले जाओ तो कैसे काम चलेगा। जो बहुत ही गंभीर मामले हैं वहीं आपको उन के लिए निवेदन करना चाहिए। नहीं तो सरकार भी दुविधा के केस में फंस जाती है। हम भी समझते हैं हां कि यह एक गंभीर केस है इसको करना जरूरी है। अगर शोकिया तौर पर ही कोई आते हैं जो जाना ही नहीं चाहते तो अभी कुछ पिछले महीने पहले मैं अपने हल्के में दौरा कर रहा था रूरल शिमला में वहां की एक बात है वहां पर एक आयुर्वेद डिस्पैंसरी है। वहां पर जो आयुर्वेद डॉक्टर है वह महिला है । तो कुछ लोगों ने कहा कि यह हमने आज बड़े दिनों बाद देखी। यह कभी-कभी आती है। गर्मी के महीनों में एक-दो महीने में रहती है और फिर चली जाती है । उसकी शादी दिल्ली में हो गई है अब वह दो-तीन महीने के लिए आती थी अपनी जगह जहां पर उसकी पोस्टिंग है अपने पति और अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए और उसके बाद गायब । पता नहीं विभाग ने उसको कैसे नहीं पकड़ा यह भी

27.08.2015/1515/NS/DS/2

एक reflection of the working of the department। बिना किसी को बताए इस तरह से आगे ओर छुट्टी मांगी जाती है खासकर दूरदराज़ के इलाकों में तो ऐसा होता है। मेरा तजुर्बा है जितने भी प्राईमरी स्कूल हैं अगर वहां पर दो अध्यापक हैं, एक अध्यापक भागेगा तो दूसरा खाने में रख देगा अपना प्रार्थना-पत्र छुट्टी का, कैज्युल लीव का। किसी ने पकड़ा तो कहते हैं कि कैज्युल लीव पर है और नहीं पकड़ा तो फाड़ देते हैं दूसरे दिन और दूसरे दिन जब दूसरा अध्यापक भागता है वह अपनी कैज्युल लीव की दरख्वास्त रखता है वहां पर अगर किसी ने पकड़ा तो कहते हैं कि कैज्युल लीव पर है नहीं पकड़ा तो डयूटी पर हो गए। यह चीज़ है there are thousand tricks to cheat the Government, मगर इस सब को रोका जाएगा और दूसरी बात है निरीक्षण। अंग्रेज़ों के जमाने में एक बहुत अच्छी

बात है । There use to be Inspector of School. उनका काम ही स्कूलों का निरीक्षण करना होता है। आज शायद स्कूल बहुत खुल गए हैं। स्पेस्फिक सिस्टम की तादाद बढ़ गई है। एक इंसपैक्टर से काम नहीं चलेगा। We need to have Inspectors of Schools जिसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, लोकतंत्र से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका काम सिर्फ है बच्चों को इंसपैक्ट करना, उनकी पढ़ाई को टैस्ट करना और देखना किताब खोलो इस पेज़ पर और पढ़ो। लैसन को सुनाओ और यह बोर्ड पर लिखा है आओ और इसको ठीक करो। मैं सोच रहा हूं कि शायद हमारे विभाग को भी इस किस्म के इंसपैक्टर्ज़ को अपयांईट करने की आवश्यकता होगी। उनका काम छुट्टी देने या वेतन बांटने से नहीं होगा। आज तक हमारे जो डी.ओ. हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हैं इंसपैक्टर्ज़ साइड में नहीं हैं और इंसपैक्शन के लिए इंस्पैक्टर्ज भर्ती किए जाएंगे।

श्री नेगी द्वारा ----- जारी

27.08.2015/1520/negi/Dc/1

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ..जारी...

जो स्कूलों में जाएंगे और इंस्पैक्शन करेंगे। It will be a surprise check. वह अपना प्रोग्राम नही भेजेंगे कि मैं फ्लाने तारीख को आ रहा हूं। उससे जो मास्टर है, टीचर है खासकर प्राईमरी स्कूलों में वे चौकस रहेंगे। अगर वह एडवर्स नोट लिख दें तो Government will take note of that. यह करने की जरूरत है। बाकी हमें खुशी है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। हमारी कुछ स्ट्रेंथ भी है और कुछ कमज़ोरियां भी हैं। जो कमियां हैं हमें उसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। यह सब कुछ होते हुए भी आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सारे राज्यों के मुकाबले में बहुत ऊंचे स्थान पर है। प्राइमरी एजुकेशन में तो हिमाचल प्रदेश, केरल जो पहले नम्बर वन पर होता था, अब कभी हम फर्स्ट आते हैं और कभी वह फर्स्ट आता है। यह बात नही है, शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, बहुत विकास हुआ है। मगर मैं चाहता हूं शिक्षा ऐसी हो जिससे हमारे समाज़ की जड़ें

मजबूत हो। लोग सिर्फ पढ़े-लिखे ही न हो, सही में शिक्षित हों ,विद्वान हों और विद्वता उनके अन्दर आनी चाहिए। इस किस्म की शिक्षा को मैं उच्चतम शिक्षा समझता हूं। अल्फाबेट को पढ़ना ही काफी नही है । वन प्लस वन इज़ टू, वो काफी नही है। जैसे-जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उनकी शिक्षा का स्तर भी बढ़ना चाहिए। नॉलेज़ बढ़नी चाहिए। शिक्षा से बाहर नॉलेज़ बढ़नी चाहिए और इस काबिल होने चाहिए, जो डिग्री हासिल करते हैं और जो सर्टिफिकेट वे हासिल करते हैं। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं । यहां पर आपने बहुत अच्छे भाषण दिये, सबने विस्तारपूर्वक भाषण दिये उसका मैं स्वागत करता हूं । आपने जो सुझाव दिये हैं उसपर हम जरूर मनन करेंगे, गौर करेंगे और हमारी जो कमियां हैं, मैं नही कहता कि Our system is full prove. I myself realize this should not to be done . सिर्फ शिक्षक को ही एप्वाइंट करना काफी नही है। हमने बहुत सारी भर्तियां कर दी, मगर यह भी देखना है कि उनके द्वारा शिक्षा ठीक से दी जाए और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। इन सब के लिए हमारी कोशिश होगी और है भी। आशा है इस कार्य में आप सारे माननीय सदस्यों का समर्थन/सहयोग सरकार को प्राप्त होगा। जो मैंने कहा है और जो भाषण हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए खासकर जो मैंने विस्तृत रूप में बात की है, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने संकल्प को वापिस लें।

27.08.2015/1520/negi/Dc/2

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद क्या श्री इन्द्र सिंह जी अपना संकल्प वापिस लेंगे?

श्री इन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं, सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का, सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और खुले रूप में समर्थन किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी खुले रूप में मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव को वापिस लेने का प्रश्न ही

नही उठता है, इसको एडॉप्ट क्यों नही किया जाए। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को एडॉप्ट किया जाए।

अध्यक्षः इन्द्र सिंह जी, क्या आप प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार नही हैं? क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस नहीं लेंगे?

मुख्य मंत्री : यह गलत परम्परा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे या नही लेंगे, आपको यह बोलना पड़ेगा।

श्री इन्द्र सिंह :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया कि इसको एडॉप्ट किया जाए। सबने इसको समर्थन किया है including Hon'ble Chief Minister. Why not it is adopted?

अध्यक्षः आप वापिस नही लेना चाहते हैं।

श्री इन्द्र सिंह : मैं वापिस नही लेना चाहता हूं।

27.08.2015/1520/negi/Dc/3

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए।"

....(व्यवधान) ....मैंने वाइस वोट ले लिया है।। have taken a voice vote. मैंने वाइस वोट ले लिया है।

संकल्प ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

27.08.2015//1525यूके/एजी/ 1

अध्यक्षः अब डा0 राजीव बिंदल जी (व्यवधान) मेरा आप सभी निवेदन है कि अभी 3 संकल्प और पड़े हैं और जरूरी है, आप लोगों ने दिए हुए है, आप ही का दिन है आज। अब जो संकल्प आएंगे आप उसमें समय का ध्यान रखें ताकि सभी संकल्प 5 बजे तक खत्म हो जाएं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने कहा कि सभी ने इस संकल्प का समर्थन किया । आपने भी कहा कि जो इसके समर्थन में हैं "हां" कहें और जो विरोध में हैं वे "न" कहें । तो आवाज तो दोनों ओर से आयी है । तो हमें लगता है कि इसकी वोटिंग हो जानी चाहिए । क्योंकि आपकी कोई रूलिंग नहीं आयी ।

अध्यक्षः रूलिंग हो गयी है । It is a Voice Vote. (Interruption) और वैसे भी जो आप कह रहे हैं । (व्यवधान) ऐसा है, कि जब कोई चर्चा की जाती है तो उसमें स्वीकार या अस्वीकार करना आप ही का फर्ज है । चर्चा हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है और आपका संकल्प अस्वीकार हुआ है ।

अगला संकल्प डा0 राजीव बिंदल जी । (व्यवधान) The Resolution is rejected on Voice Vote by majority. It has been rejected.
अब डा0 राजीव बिंदल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे

डा0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, आज जहां मैं इस सकंल्प को ले कर इस सदन में आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं वहां बहुत अच्छी चर्चा शिक्षा के ऊपर हुई । बहुत अच्छा उत्तर आया । अच्छा होता कि सरकार इस रेज़ोल्यूशन को एडॉप्ट कर लेती ।

अध्यक्षः आप अपने रेज़ोल्यूशन के बारे मे बोलें ।

मुख्य मंत्रीः हम आपको एडॉप्ट कर सकते हैं, आपके रेज़ोल्यूशन को नहीं ।

डा0 राजीव बिंदल : चलो, मुझे ही एडॉप्ट कर लीजिए ।

27.08.2015/1525/यूके/एजी/2

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपना संकल्प पढ़ना चाहूंगा ।

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं के अन्तर्गत दी जाने वाली योजनाओं की डी0पी0आर0 शीघ्र बना कर योजनाओं को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करवाने के लिए प्रावधान करे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संकल्प 100 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ रेज़ोल्यूशन है और पूरी तरह से राजनीति से हटकर है । यह सदन 68 विधायकों के द्वारा मिल कर के बनता है । हम सब सबसे पहले विधायक हैं, उसके बाद मंत्री, सी0पी0एस0 और इवन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बाद में हैं । सभी विधायक इन्क्लूसिव ऑफ मिनिस्टर्स, सभी अपनी MLA प्रायोरिटी देते हैं, जो कि सरकार ने तय किया है उस नियम के अन्तर्गत प्राथमिकताएं देते हैं । यानि हम इससे इस संकल्प का महत्व निकाल सकते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

27.08.2015/1530/sls-as-1

डॉ0 राजीव बिन्दल... जारी

हम इसी से इस संकल्प का महत्व निकाल सकते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी विधायक के नाते अपने विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं देते हैं। उन प्राथमिकताओं का हस्र क्या होता है, यह हमें विचार करना है। प्राथमिकताएं हम सब लोग दे रहे हैं और उन प्राथमिकताओं के ऊपर विभिन्न विभागों में क्या विचार होता है और विचार होने के बाद उनकी क्या स्थिति बनती है, उसको एक बार ज़रूर देखने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राथमिकताएं सड़क और पानी से संबंधित हैं, उनकी बात मैं बाद में करूंगा। विधायकों से प्लानिंग की बैठक के समय एक प्रोफौर्मा भरमाया जाता है जिसमें वह प्राथमिकताएं लिखते हैं। उन प्राथमिकताओं में लिखा जाता है कि कौन-सा स्कूल अपग्रेड किया जाएगा ,कहां पर नए स्कूल की आवश्यकता है, कौन-कौन से विभाग में भवन बनाने की आवश्यकता है, कहां पर प्राईमरी हैल्थ सैंटर या सिविल

हॉस्पिटल की ज़रूरत है और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को लेकर भी उसमें खाने बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छे से स्मरण है कि हम हर साल उसमें स्कूलों की ,पी.एच.सी. की, सी.एच.सी. की और अन्य कार्यों की प्राथमिकता देते हैं, पर आज तक किसी भी प्राथमिकता को कभी भी प्लानिंग डिपार्टमैंट ने नोटिस करके अन्य विभाग को देकर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कराई है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। अगर हमने उस प्रोफौर्मे में लिखा कि फलां स्कूल अपग्रेड होना चाहिए; जो स्कूल विधायक लिखकर देता है वह अपग्रेड ही नहीं होता। वह किन्हीं और कारणों से अपग्रेड होता है। विधायक जो लिखकर देता है उसके ऊपर तो सर्वे भी नहीं होता। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना है कि उस प्रोफौर्मे में से यह खाना डिलीट कर देना चाहिए। उसमें हम जिन स्कूलों की, अस्पतालों की और भवनों की प्राथमिकता दे रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी विभाग में कोई कार्रवाई नहीं होती। उसमें एक और खाना है कि विधायक सुझाव दे कि सरकार कैसे मितव्ययिता करके पैसे को बचा सकती है। वह भी हम हर बार लिखकर देते हैं परंतु उसके ऊपर भी कभी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अगर उसमें कार्रवाई हुई हो तो उसकी जानकारी विधायक को दी जाए कि आपने यह सुझाव दिया था जिसके ऊपर यह कार्रवाई हुई है , अन्यथा उस खाने को भी उस प्रोफौर्मे से डिलीट कर देना चाहिए। विधायक क्यों लिखे ,क्योंकि उस पर तो विचार करने की कोई बात ही नहीं है? कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर उसके ऊपर विचार होना हो। मैं यह एक गंभीर बात कह रहा हूं।

27.08.2015/1530/sls-as-2

सारे मंत्रिगण यहां पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी भी उस खाने में लिखते होंगे कि क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि माननीय अध्यक्ष जी को भी कभी विभाग की ओर से जवाब आया हो कि आपका सुझाव आया है और इसके ऊपर हमने यह कार्रवाई की है। यह बात विचारणीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुख्य बिंदुओं पर आता हूं जिनको मानकर चलते हैं कि यह विधायक प्राथमिकता है। वह प्रायोरिटीज क्या हैं? सड़कें, पुल, पेयजल और सिंचाई योजनाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो विकास के काम हैं। जिस भी विधायक को लोगों ने चुनकर भेजा है उसको विकास के कार्यों के लिए ही भेजा है और वह उसमें अपनी प्राथमिकता दे रहा है। इसके अंदर मुझे केवल दो विषय आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाने हैं कि जो विधायक प्राथमिकता है, उसके अंदर कम-से-कम

राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर विधायक प्राथमिकता है तो उसकी डी.पी.आर. बननी चाहिए। वह डी.पी.आर. स्वीकृत भी होनी चाहिए और फिर उस पर काम भी होना चाहिए।

जारी ..श्री गर्ग द्वारा

27/08/2015/1535/RG/DC/1

डॉ राजीव बिन्दल--क्रमागत

वे स्वीकृत भी होनी चाहिए और स्वीकृत होने के पश्चात उनके ऊपर काम भी होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अधिकारी दीर्घा में हमारे फाइनैंस सैक्रेट्री साहब भी बैठे हैं। मुझे एक विषय विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना है। हम बार-बार कहते हैं, अभी श्रीमती आशा कुमारी जी भी यहां से कह रही थीं और हम सिरमौर के लोग भी कहते हैं कि चंबा पिछड़ा हुआ है और सिरमौर भी पिछड़ा हुआ है। अब अगर सिरमौर या चंबा पिछड़ा है या कोई पर्टिकुलर विधान सभा क्षेत्र है जिसमें पेयजल, सिंचाई एवं सड़कें कम हैं, तो उनके लिए भी दो प्राथमिकताएं हैं और जिस विधान सभा क्षेत्र में सड़क बनाने की गुंजाइश ही नहीं है, उनके लिए भी दो हैं। मैं इसको स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि इसी सदन में कुछ विधायक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास सड़क की प्राथमिकता लगाने के लिए नाम ही नहीं है। हम उसमें क्या लिखें, हम कौन सी सड़क के लिए लिखें या पेयजल कौन सा लिखें? ऐसी प्राथमिकता के लिए हमारे यहां गुंजाइश ही नहीं है। तो हम जहां सड़कें नहीं हैं और जहां सड़कें हैं ,जहां पेयजल है और जहां नहीं है और जहां सिंचाई की सुविधा है या सिंचाई नहीं है , उनको सबको एक ही तराजू में क्यों तोल रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जब माननीय मुख्य मंत्री जवाब दें, तो इस पर जरूर प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में हर गांव में सिंचाई के लिए टियुबवैल विधायक प्राथमिकता में लगने के कारण सब जगह सिंचाई व्यवस्था हो गई और 150से 200 करोड़ रुपये तक इनके विधान सभा क्षेत्र में खर्च हो गया। लेकिन कुछ विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जैसे हमारा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर 10-15 करोड़ पर भी नहीं जाता। इसलिए हमारा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में ज्यादा सड़कों ,

पुलों आदि की जरूरत है ,उनके लिए प्राथमिकताओं की संख्याओं को भी बढ़ाने की कृपा करें और जिन विधान सभा क्षेत्रों में धन की ज्यादा आवश्यकता है ,उसके ऊपर जो कैप लगाई गई है ,आपने उसके ऊपर एक कैप लगाई है, पता नहीं शायद वह 50 करोड़ की कैप है या 32 करोड़ की कैप है। वह जो कैप लगाई है, उसको उस पर्टिकुलर विधान सभा क्षेत्र के लिए हटाने की बहुत जरूरत है। मैं अपनी इस बात के समर्थन में कहना चाहूंगा। यहां पर सारे योजना विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं। मेरे पास जो जानकारी है कि

27/08/2015/1535/RG/DC/2

वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2015 तक 103प्राथमिकताएं नाहन विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विधायकों ने दीं। 103 में से 34 प्राथमिकताओं की डी.पी.आर. बनी। 34 में से 26 डी.पी.आर. स्वीकृत हुईं। अब अगर 103 प्राथमिकताएं दीं, तो वन-थर्ड उसमें से पहले ही रह गईं और लगभग 24-25% स्कीमों की टोटल सैंक्शन हुई। ऐग्जीक्यूशन तो इससे भी और कम हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता कि बाकी विधान सभा क्षेत्रों की क्या स्थिति है। परन्तु शायद काफी विधान सभा क्षेत्र ऐसे होंगे जिनकी डी.पी.आर. की पैंडेंसी काफी ज्यादा है। अब इसमें एक विषय यह है कि मान लिया वर्ष 2003 में एक विधान सभा क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना की आवश्यकता थी और उसके लिए विधायक ने अपनी प्राथमिकता में वह डाल दी। वे मानकर चले कि उसकी डी.पी.आर. बन जाएगी और हम लोगों को सिंचाई उपलब्ध करा देंगे। वर्ष 2003 में वह प्राथमिकता दी, लेकिन वर्ष 2015 तक उसकी डी.पी.आर. नहीं बनी और वर्ष 2013 में उसको सरकार ने कैन्सिल कर दिया। क्योंकि आपने एक फैसला किया कि वर्ष 2006 और वर्ष 2007 से पहले की जो प्राथमिकताएं हैं उनको कवर नहीं किया जाएगा। यानि वह इलाका जिसकी प्राथमिकता पहले आ चुकी है ,उसकी डी.पी.आर. नहीं बनी और डी.पी.आर. न बनने के कारण संबंधित विधान सभा क्षेत्र में वह सिंचाई परियोजना या कोई भी योजना या पुल नहीं बना ,तो वह तो वंचित रह गया

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2015/1540/MS/AS/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-------

डी0पी0आर0 नहीं बनी और डी0पी0आर0 न बनने के कारण वह पेयजल योजना, सिंचाई योजना, सड़क या पुल नहीं बना तो वह क्षेत्र तो वंचित रह गया। ऐसे क्षेत्रों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे प्रार्थना है कि इसमें आप कोई-न-कोई उपाय जरूर करे।

(श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति महोदय पदासीन हुए)

जो प्राथमिकताएं, मेरा तो यह मानना है कि Government is in continuity. विधायक कोई पहले रहा या बाद में रहा ,उसकी प्राथमिकता को आप कन्सीडर करते हैं। तो चाहे वर्ष 2003 की प्राथमिकता है या वर्ष 2000की है या वर्ष 2005-06की है । आपका कहना है कि नाबार्ड की पहले वाली फण्डिंग समाप्त हो गई है। परन्तु उस गांव की आवश्यकता तो खत्म नहीं हुई। वहां पर पेयजल या सिंचाई की किसी भी चीज की आवश्यकता खत्म नहीं हुई। उसको देना सरकार की प्राथमिक आवश्यकता है और सरकार की प्राथमिक ड्युटि है। सभापति महोदय, मैं इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जो पुरानी डी0पीआरर्ज0 हैं , एक तो उनको और जो कट-आउट डेट वर्ष 2006-07 की दी है, उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। दूसरे, जिन विधान सभा क्षेत्रों में बहुत कम पैसा नाबार्ड के माध्यम सेऔर एम0एल0ए0 प्रोयोरिटी के माध्यम से लगा है, उनको ज्यादा पैसा स्वीकृत करके कैप को हटाने की आवश्यकता है। जिन विधान सभा क्षेत्रों में सैचुरेशन हो गई है उनके बारे में क्या करना है, यह सरकार जाने। मैं उनके बारे में यह नहीं कह सकता परन्तु जहां काम नहीं है, वहां से वह कैप हटाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, समस्या इससे और अधिक है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर एक आदेश विभाग को कर देंगे तो कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। आई0पी0एच0 विभाग के पास जब एम0एल0ए0 प्रायोरिटी जाती है तो 90 प्रतिशत मामलों में विभाग लिख देता है कि 'इन-फिजिबल' है। मेरे पास जो लिस्ट

है इसमें 90 प्रतिशत मामलों में 'इन-फिजिबल' लिखा है। हम विभाग के अधिकारियों को मौके पर ले गए। उनको पानी भी दिखा दिया। तीन साल की

27/08/2015/1540/MS/AS/2

पानी की रिपोर्ट भी दिखा दी और अल्टरनेटिव भी बता दिए कि छोटा-मोटा डैम लगाकर पानी ले सकते हैं या सब-अर्थ वाटर ले सकते हैं। सब-अर्थ वाटर सर्वे की रिपोर्ट भी दे दी लेकिन वे कहते हैं कि इन-फिजिबल है। वे अपनी रिपोर्ट बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हमने जो एक बार लिख दिया अब यह पत्थर पर लकीर है। हम अपनी बात को बदलेंगे तो हमारी एक्सप्लेशन हो जाएगी। इसलिए वे अपनी बात को नहीं बदलते हैं।

सभापति महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा। हमारा एक गांव कोलों वाला भूड़ है। वहां पर मेरे से पहले वाले विधायक की भी प्राथमिकता वहां पर डैम लगाकर के पानी देना है। उसकी डी0पी0आर0 बनाने के लिए मामला गया और विभाग ने लिख दिया कि 202करोड़ 66 लाख रुपया लगेगा। इसकी रिपोर्ट किस विभाग को भेजी है, वह आज तक पता नहीं लगा है। पिछले पौने तीन साल से मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन वह रिपोर्ट नहीं मिली। विभाग दुबारा से डी0पी0आर0 बनाने को तैयार नहीं है। तीन विधायकों की एम0एल0ए0 प्रायोरिटी उस डैम के लिए एग्जिस्ट कर रही है और विभाग सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमें करना क्या है।

सभापति जी, दूसरा ऑब्जैक्शन एन0ओ0सी0 का लगता है। यह आई0पी0एच0 विभाग का स्टैण्डर्ड उत्तर आ गया। जो लोक निर्माण विभाग है उसका एक स्टैण्डर्ड उत्तर है कि सड़क बनानी है, लोगों की एन0ओ0सी0 नहीं है। वे अपने विभाग को सर्वे पर नहीं भेजते हैं। सर्वे पर अगर भेजते हैं तो ऐसी जगह चुने का पत्थर लगाते हैं जहां ऑब्जैक्शन आना ही आना है। मैं स्वयं विभाग के साथ गया। विभाग को दिशा बताई और गांव वालों से भी मिलाया लेकिन अगले हफ्ते जाकर के उससे 100 मीटर हट करके पत्थर लगा दिया। अगले दिन

ऑब्जैक्शन आ गया और उन्होंने कागज पर लिख दिया कि साहब यहां पर एन0ओ0सी0 नहीं मिलता है इसलिए यहां पर सड़क नहीं बन सकती। सभापति जी, तीसरा उत्तर है वन विभाग की एन0ओ0सी0 नहीं है। एक माननीय सदस्य का आज ही प्रश्न लगा है। यह माननीय महेश्वर सिंह जी का प्रश्न है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

27.08.2015/1545/JS/DC/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः -------**जारी**----------

यह श्री महेश्वर सिंह जी का प्रश्न है और उसका उत्तर विभाग ने दिया इसमें कुल्लू जिले के 25 मामले फोरैस्ट क्लीयरैंस के एम.एल.ए. प्रायोरिटी के हैं। मेरा यह कहना है कि जो मामला फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए गया है वह क्लीयरैंस आएगी लेकिन जब विभाग मामला ही नहीं भेजता है तो क्लीयरैंस कहां से आएगी? मैं सीधा-सीधा कहना चाह रहा हूं कि लोक निर्माण विभाग के लोग फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए केस बना करके भेज ही नहीं रहे हैं। मैं खुद फोरैस्ट डिपार्टमैंट में गया। उन्होंने कहा कि आप हमारी सारी फाईलें चैक कर लो हमारे पास इस नाम की सड़क आई ही नहीं है। लोक निर्माण विभाग बोलता है हमने भेज दी। फिर दोनों विभाग जिलाधीश के पास बुलाए। फिर उन दोनों विभागों ने बोला कि हमने तो आपके पास फाईल भेजी है। जिलाधीश महोदय बोलते हैं कि मैं ढूंढूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। 6 केसिज फोरैस्ट क्लीयरैंस के नाहन विधान सभा क्षेत्र के हैं, मैं केटैगरिकली इस विधान सभा में बोल रहा हूं। वे 6 मामले पिछले 15 सालों से इधर से उधर टॉस हो रहे हैं। जब ढूंढ करके विभाग से भेजे तो अब वे न तो लोक निर्माण विभाग के पास है और न ही फोरैस्ट विभाग के पास है। जिलाधीश महोदय बोलते हैं कि मैं भी ढूंढूंगा कि कहां पर है, मेरे पास तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह स्टैंडर्ड उत्तर है। फिर अगला उत्तर हमने आऊट सोर्सिंग को दिया आऊट सोर्सिंग वाला जब आएगा तब वह करेगा। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई डी.पी.आर. बन जाती है तो स्वीकृति के लिए आती

है। स्वीकृति में समय लगता है उसके बाद फिर वह प्रायोरिटी दोबारा से नीचे चली जाती है, फिर टेंडर प्रकिया में उलझ जाती है और फिर ठेकेदार के चक्कर में उलझ जाती है । वर्ष 2001 की एम.एल.ए. प्रायोरिटी के ऊपर आजकल काम चला हुआ है। वर्ष 2001 में जिस बेचारे ने वह प्रायोरिटी दी थी उसका क्या हश्र हुआ होगा आज वह काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमने कुछ प्राथमिकताएं दी जिससे हम इलाके में रीयल सेंस में काम कर सकें। हमारे यहां पर वॉटर की दिक्कत है तो हमने वॉटर कंज़र्वेशन को अपनी प्रायोरिटी के अन्दर

27.08.2015/1545/JS/DC/2

डाला। अब वॉटर कंजर्वेशन की डी.पी.आर. बननी है कि विभिन्न स्थानों पर लो हाईट डैम लगने है या उसके लिए चैक डैम लगने है उसकी डी.पी.आर. भी नहीं बन रही है। लगातार खड्डों से और नालों से खेती को नुकसान हो रहा है, उसकी चैनेलाईजेशन की डी.पी.आर. बनाने को दे रहे हैं फिर वह चैनेलाईजेशन की डी.पी.आर. नहीं बन रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि टाईम बाऊंड मैनर के अन्दर डी.पी.आर. बनें। वर्ष 2015 की प्रायोरिटी है। 6 महीने के अन्दर डी.पी.आर. बनें, 6 महीने के बाद वह स्वीकृति के लिए आ जाए और 6,7 व 8 महीने में उसकी स्वीकृति हो जाए और वह काम करने के लिए नीचे चला जाए ताकि एक पंचवर्षीय योजना में उस प्रायोरिटी से लोगों को लाभ मिल जाए, अन्यथा ये प्रायोरिटीज बड़ी मात्रा में मज़ाक बन रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी प्लानिंग की बार-बार मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग के अन्दर बार-बार आग्रह करते हैं और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। स्टाफ की कमी का बहाना विभागों के पास रहता है। हमारे पास ड्राफ्ट्समैन नहीं है, जे.ईज. नहीं है जो इनको जल्दी से बना सकें। एक जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर देंगे जब इस चर्चा का उत्तर देंगे। विभाग भी इसको नोट करें कि एक विधान सभा प्रश्न 2365 है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें उत्तर दिया है कि तीन साल की एम.एल.ए. प्रायोरिटी में 18 सड़कें। कृपया इसको चैक कर लें। आज ही यह उत्तर आया हुआ है। प्रश्न संख्या 2365 है। 6 सड़कें एक एम.एल.ए. को एक साल की प्रायोरिटी में

मिली हैं। अगर मिली हैं तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि बाकी सभी को इतनी सड़कें मिले और मुझे भी कम से कम 6 सड़कें प्रायोरिटी में दे दें। अगर एक एम.एल.ए. को प्रायोरिटी पर 6 सड़कें मिल सकती हैं तो हमें भी मिलें। ऐसी हमारी प्रार्थना है और ऐसा हमारा कहना है। एक तो हमें दो प्रायोरिटी सड़क की मिलती है। आजकल लोक निर्माण विभाग किसी भी सड़क को own नहीं करता है केवल एम.एल.ए. प्रायोरिटी की सड़क को ही लोक निर्माण विभाग अपनाता है बाकी कोई मैथर्ड नहीं है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

27-08-2015/1550/SS-DC /1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

मुझे पता नहीं है अगर और कोई मैथड हो तो कृपया हमको बता दिया जाए। अगर बनी हुई सड़क को भी पी0डब्ल्यू0डी0 के अन्तर्गत देना होता है तो हमें अपनी प्राथमिकता लगानी पड़ती है। इसलिए भी प्राथमिकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।

एक और महत्वपूर्ण विषय है। मैडम विद्या स्टोक्स जी भी यहां पर हैं मैं उनसे और सभापति महोदय के माध्यम से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जहां विधायक प्राथमिकता में स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हो गई है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया वह चर्चा में नहीं आया। नाहन में पानी की त्राहि-त्राहि है आपको पता है। दो एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज़ आईं और दोनों के लिए पैसा सैंक्शन हो गया। एक के लिए 8 करोड़ 4 लाख रुपया और दूसरी के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपया। अभी जो मुझे तीन दिन पहले उत्तर दिया है उस उत्तर में लिखा है कि हमारे पास 8-8 लाख है और विभाग कहता है कि हमने 10 करोड़ रुपये की पाइपें खरीदनी हैं, हमको अगर यह पैसा एकमुश्त मिल जाए तो हम नाहन की पानी की समस्या का समाधान आपको जल्दी करके देंगे। नाबार्ड की स्वीकृति है। नाबार्ड की तरफ से सैंक्शन है। आपने सैंक्शन लैटर जारी कर दिया है। डी0पी0आर0 बन करके और विभाग के पास वापिस आ गई है तथा ऐसी स्थिति के अंदर है। अगर हम 8 लाख

रुपया जारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस विधायक प्राथमिकता को नहीं करने जा रहे हैं और जो त्राहि-त्राहि हो रही है उसका समाधान भी नहीं करने जा रहे हैं। इसको मैं सभापति महोदय के माध्यम से प्लानिंग डिपार्टमैंट, मैडम विद्या स्टोक्स और मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाने जा रहा हूं।

माननीय सभापति जी, एक और बात है कि कई बार हमारी सड़क या पुल की डी0पी0आर0 का क्वांटम या अमाऊंट बहुत ज्यादा होता है। मेरी एक सड़क खजूरना-सकेती-कालाअम्ब है। इसकी डी0पी0आर0 16 करोड़ 50 लाख रुपये की बनी है। विभाग ने और प्लानिंग डिपार्टमैंट ने इसमें से एक पुल छांट करके 2 करोड़ रुपये का नाबार्ड को सैंक्शन के लिए भेज दिया। सभापति जी, अगर वह पूरी सड़क भेज देते तो हमारी सड़क क्लीयर हो जाती। या तो उतना पैसा नहीं मिलना होगा उस कारण से नहीं भेजा। मैं सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह सड़क हरियाणा को जोड़ती है और इसमें पैसा ज्यादा लगना है तो कृपया इसको सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत

27-08-2015/1550/SS-DC /2

भेजने का कष्ट करें। यह खजूरना-सकेती-कालाअम्ब रोड है। इसकी 16 करोड़ 50 लाख रुपये की डी0पी0आर0 है।

मेरा इसके साथ एक और आग्रह है। मैं अपनी बात को बहुत लम्बा न खींचते हुए जो महत्वपूर्ण विषय है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर विधायक ने अपनी प्राथमिकता दी है तो वह प्राथमिकता उस विधायक के नाम से है, उसके ऊपर कहीं-न-कहीं जान-बूझकर चोट पहुंचाई जाती है। मैंने अगर अपनी विधायक प्राथमिकता दी, उसकी डी0पी0आर0 बनाई, प्लानिंग के पास भेजी, सैंक्शन आती है तो जब उसका शिलान्यास करने की बारी आती है तो ऑपोजिशन के विधायक को उस शिलान्यास के खाते से बाहर कर दिया जाता है। विधायक की प्राथमिकता है, न तो कार्ड पर उसका नाम है, न पत्थर पर उसका नाम है, न ही उसको निमन्त्रण आता है। अगर वह कहीं गलती से चला

जाए तो उसको सभा स्थल से बाहर निकालने की योजना बनाई जाती है। सभापति जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी घटना पच्छाद की बताता हूं। हमारे माननीय सुरेश कश्यप जी हैं। सुरेश कश्यप जी ने आई0पी0एच0 की एम0एल0ए0 प्रायोरिटी डाली। उसकी डी0पी0आर0 बनी। सैंक्शन हो गई, सैंक्शन होने के बाद जब उसका शिलान्यास करने की बारी आई तो जो हारा हुआ व्यक्ति है जिसको हरा करके विधायक विधान सभा सदन के अंदर आए ये तो खाते से बाहर हो गए। न कार्ड में नाम, न पत्थर में नाम और न ही सूचना मिली। विभाग ने भी सूचना नहीं दी..

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2015/1555/केएस/एजी/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

विभाग ने भी सूचना नहीं दी, एक जे.ई. ने भी सूचना नहीं दी और हारा हुआ व्यक्ति जा कर वहां शिलान्यास कर आया। हम जब सारे विधायक मिलकर डी.सी. साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कार्यालय से उनको सेंक्शन आई है कि इसका शिलान्यास करें।

माननीय सभापति जी, हम सभी पहले विधायक हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी पहले विधायक हैं बाद में मुख्य मंत्री हैं इसलिए विधायक जिसने प्राथमिकता दी है, कम से कम उसके शिलान्यास के ऊपर तो उसको सादर बुलाया जा सकता है, यह बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि अपनी बात बताने से आदमी हल्का हो जाता है, इसलिए मैं उस बात को नहीं बताना चाहता।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय सभापति जी मैं अपनी बात को समेटते हुए बड़ा स्पष्ट हाथ जोड़ कर सभी सदस्यों से समर्थन मांगता हूं और मुझे मालूम है कि

दिल में आप सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। पहली बात समयावधि के अंदर डी.पी.आर. बन जाए, उसकी स्वीकृति निश्चित समयावधि के अंदर हो जाए और उसका काम निश्चित समयावधि के अंदर पूर्ण हो जाए। दूसरे, हमारे विधान सभा क्षेत्रों में जहां पर विधायक प्राथमिकता का पैसा बहुत कम लगा है।

सभापतिः माननीय सदस्य, वाइंड अप कीजिए। आपने 28 मिनट ले लिए हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। 29 मिनट हो गए और मैं 31 मिनट पर खत्म कर दूंगा। जिन विधान सभा क्षेत्रों में विधायक प्राथमिकता नाबार्ड का पैसा कम लगा है उनके ऊपर से कैप हटाकर उनको प्राथमिकता के तौर पर और जिन क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल और सिंचाई की नितांत आवश्यकता है उनको प्राथमिकता के तौर पर धन की स्वीकृति कराएं और तीसरे,

27.08.2015/1555/केएस/एजी/2

जो विधायक प्राथमिकता दे रहा है, उस विधायक का महत्व अभी तो पंचायती राज संस्थानों के अंदर आप फट्टे लगवाते हैं। विधायक अगर एक लाख रुपये देता है तो उसका भी फट्टा पंचायत वाले लगाते हैं कि इसमें विधायक नीधि का एक लाख रु0 लगा है परन्तु विधायक प्राथमिकता के अंदर उस विधायक को पर्टिकुलरली अपोजीशन के विधायक को न बुलाएं तो कोई बात नहीं परन्तु कहीं न कहीं उसको दरकिनार करने का जो प्रयास होता है, इस चीज़ से अगर हम बचेंगें तो उसका लाभ मिलेगा। मैंने जो संकल्प रखा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को सारा सदन स्वीकार करेगा । यह सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा तो विकास की गति में तेज़ी आएगी। नीचे जे.ई. से ले कर ई.एन.सी. तक जो हैं उनके लिए टाईम बाऊंड मैनर्ज़ में काम करना बाध्यता बन जाएगी इस बात को जिस दिन यह सदन पास कर देगा मेरा दावा है हम विकास की गति को मल्टिप्लाई कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2015/1555/केएस/एजी/3

सभापतिः अब इस चर्चा में माननीय जगजीवन पाल जी भाग लेंगें।

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिवः आदरणीय सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्य श्री राजीव बिन्दल जी ने जो संकल्प रखा है, इन्होंने डी.पी.आर. बनाने के बारे में संकल्प पेश किया है । जहां तक इनके संकल्प की बात है यह संकल्प केवल डी.पी.आर्ज़. बनाने तक है । जो बातें ये कह रहे हैं उन दोनों में विरोधाभास है। पहली इन्होंने जो प्राथमिकता दी है, जब प्लानिंग की मीटिंग होती है उसमें प्राथमिकताएं देते हैं...

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.8.010/1600/av/ag/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : क्रमागत

प्लानिंग की मीटिंग में प्राथमिकताएं देते हैं कि कॉलेज खुलने चाहिए, सीनियर सैंकेंडरी स्कूल खुलने चाहिए, गवर्नमैंट हाई स्कूल खुलने चाहिए, सी.एच.सी. खुलनी चाहिए, पी.एच.सी. खुलनी चाहिए इत्यादि। आप उस पर भाषण दे रहे थे। मैं समझता हूं कि आप अपने संकल्प से शुरू से ही भटक गये। जहां तक आपने यह कहा कि हमारी डी.पी.आरज. नहीं बन रही है वह भी आपका आरोप निराधार है। मैं इस आरोप को पूर्ण रूप से खारिज कर रहा हूं। आपने अभी कहा कि आप नाहन से पहली बार विधायक बने हैं। आपने कहा कि एक 8 करोड़ रुपये की पीने के पानी की स्कीम तथा दूसरी 4 करोड़ रुपये की नाबार्ड से स्वीकृत हो गई है। फिर आप कह रहे हैं कि डी.पी.आरज. नहीं बन रही है। इसके अतिरिक्त आप दो करोड़ रुपये का पुल बता रहे हैं। आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं। आपको ऐसे कहां से लग रहा है कि आपके क्षेत्र की डी.पी.आरज. नहीं बनाई जा रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिसम्बर 2012 से पहले प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एम.एल.एज. के साथ जो

मतभेद आपकी सरकार ने किया आप वही तुजुर्बा यहां पर दोहरा रहे हैं। यहां तो राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में चल रही सरकार किसी के साथ कोई मतभेद नहीं कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का एक जैसा विकास हो रहा है। किसी भी विधायक के साथ कोई मतभेद नहीं हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी का विधायक है या भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या किसी और पार्टी का विधायक है। आपका आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं इसको पूर्ण रूप से खारिज करता हूं। (---व्यवधान---) बन रही है। अभी-अभी डॉ.राजीव बिन्दल जी ने कहा कि मेरी एक डी.पी.आर. आठ करोड़ रुपये की बनी है। एक चार करोड़ रुपये की बनी है और एक दो करोड़ रुपये का पुल है। (---व्यवधान---) इन्होंने अभी-अभी बोला है। यह सारा कार्यवाही में लिखा गया है। आप इसको देख सकते हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। (---व्यवधान---) आपने लोक निर्माण

27.8.010/1600/av/ag/2

विभाग और वन विभाग के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि अधिकारी अपने आप ऐसा करते हैं कि जहां डी.पी.आरज. नहीं बननी हैं वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर निशान लगा देते हैं। हमारे तुजुर्बे में तो ऐसा कहीं नहीं आया। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जैसा काम हो रहा है, आपके आरोप निराधार है। खासकर हमारे मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारे 68 के 68 विधायकों के साथ कोई मतभेद नहीं हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां कहीं कोई शिक्षा संस्थान खुले हैं या अस्पताल खुले हैं, सी.एच.सी. व पी.एच.सी. खुली हैं, सब सैंटर खुले हैं या कोई और संस्थाएं खुली हैं उनको जनता जहां-जहां चाहती है वे वहां-वहां खुली हैं। (---व्यवधान---) कोई बुरा हाल नहीं है। आपने एक और आरोप लगाया है और उसमें आपने कैप हटाने की बात की है। डॉ. बिन्दल जी, आप पहले सोलन से विधायक थे और पिछली सरकार में मंत्री थे--------

श्री टी सी द्वारा जारी------

27.08.20151/605/टीसी/ए0एस0/1

मुख्य संसदीय सचिव ----जारी

आप पहले सोलन के विधायक थे। पिछली सरकार में मंत्री थे । ये कैप्स लगी किसके समय में, अपने आप से पूछें ज़रा। ये भी आपके समय में लगी है। आपने कैप हटाने की बात की है। माननीय मुख्य मंत्री जी झूठ समझेंगे और पूरे प्रदेश को मध्यनज़र रखते हुए, अगर कोई समय की जरूरत हुई, फैसलें आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन इनकी चिन्ता वहां पच्छाद तक पहुँच गई। अपने क्षेत्र तक भी सीमित नहीं रहे। ठीक है आप पूर्व मंत्री है, आपको चिन्ता अपने सोलन की पड़ गई है, पच्छाद की पड़ गई है। जहां तक पच्छाद का सवाल है, मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है । मैं ऐसी जिम्मेवारियां नहीं लेता। हो सकता है परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होगी। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो यहां पर संकल्प आया है, उसके बारे में कहूँगा कि आपका संकल्प केवल डी0पी0आर0 बनाने तक सीमित है। उसके लिए हिमाचल सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमें कहीं ऐसा नज़र नहीं आया है, डी0पी0आर बनाने में कि कहीं कोई भेदभाव हो रहा है। इसलिए आपका जो आरोप है, इस आरोप को मै पूर्णरूप से खारिज करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

27.08.2015/1605/टीसी/ए0एस02/

श्रीमती सरवीण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आज राजीव बिंदल जी ने जो संकल्प इस सदन में रखा है, हम विधायकों की क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच और बहुत साहस से इन्होंने सबका दुख दर्द इस सदन में रखा है। जहां मैं इसके समर्थन में उठी हूँ। मेरे से पहले श्री जगजीवन पाल जी बोल रहे थे। सत्तापक्ष के विधायक है तो अपनी पीठ तो थपथपाएंगे ही। लेकिन सच्चाई आज ये

हैं कि अगली जो प्लानिंग की मीटिंग होने वाली है, वह सरकार की तीसरे मीटिंग होगी । बड़े दुख से, बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि एक भी डी0पी0आर0 कुछ विधायकों की, न आई0पी0एच0 में न ही पीडब्ल्युडी में नहीं हुई है। मैं सदन में कह रही हूँ और तथ्य के साथ कह रही हूँ, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। बार-बार प्लॉनिंग की मीटिगं में मैंने मुख्य मंत्री के साथ आग्रह किया और प्लॉनिंग के ऑफिसरों के सामने बात रखी । इस बारे में आश्वासन भी मिला। विधान सभा में भी प्रश्न उठाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑफिसर है, चाहे आई0पी0एच0 के हैं या पीडब्ल्युडी के हैं या तो वह किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं या फिर वह निकम्मे है या राजनीति कर रहे हैं। ये हिसाब सरकार को लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार हम सोचते हैं कि सत्ता के विधायकों का काम हो रहा होगा।-----

श्रीमती एन0एस0 --- जारी ।

27.08.2015/1610/NS/AS/1

श्रीमती सरवीन चौधरी------ क्रमागत।

या फिर राजनीति कर रहे हैं। यह हिसाब आज सरकार को लगाना पड़ेगा। एक साल विधायक सोचता है कि चलो ठीक है शायद सरकार के पक्ष के विधायकों का काम हो रहा होगा, दो बार सोच सकता है। मगर अब प्लानिंग की तीसरी मीटिंग होने वाली है। मैं अधिकारियों से भी पूछना चाहती हूं और एक समय आयेगा हम कोर्ट के माध्यम से भी पूछेंगे कि ऐसे कौन-कौन से अधिकारी उस समय चेयर पर बैठे थे जो राजनीति करते रहे और उन्होंने डी.पी.आरज. नहीं बनाई। (---व्यवधान---) जगजीवन जी, अब मैं बोल रही हूं। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आप मुख्य मंत्री नहीं है, प्लीज। मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट कर रही हूं, इसको कहने की जरुरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि घरों के पास बैठ कर आराम से राजनीति कर रहे हैं। एक-एक, दो-दो विधान सभा क्षेत्र चुने हुए हैं और एक-एक ईंच से वाकिफ़ हैं। आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगी कि कई अधिकारी तो ऐसे हैं जहां उनकी रिश्तेदारी थी और हमारी प्राथमिकताओं की

सेकिण्ड फेज़ से उठाया बाकी कहीं से नहीं उठाया है और एक भी नई डी.पी.आर. नहीं बनी है, यह मेरा आरोप है। इसमें जो प्रैशर है तो वह भी बताया जाए। सरकार के लोगों का प्रैशर है कि ये डी.पी.आरज. न बनें। हमारी सरकार के समय जो पैसा आया वह भी नहीं लग रहा है। मैंने यहां पर कलरु पुल के बारे में अनेकों बार प्रश्न किया है और इस बार भी मैंने वह प्रश्न रखा है। मैं यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं कि उस पुल के लिए 420 लाख रुपये की राशि आई है। वही काम शुरू नहीं हुआ बाकी डी.पी.आरज. की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। (---व्यवधान---) रतन जी, आप के काम हो गये हैं। आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं। उसके लिए आपको बधाई है। कइयों की 18-18 सड़कें हुई हैं तो वह भी इसी सरकार ने की है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। मगर हम भी विधायक हैं और हम भी इस सदन के पार्ट हैं। हमें भी जनता ने यहां चुनकर भेजा है। तो हमारी पीड़ा को समझते हुए क्या सरकार कुछ करेगी या

27.08.2015/1610/NS/AS/2

हमें ऑफिसर्ज से पता करना पड़ेगा? मैं हैरान हूं कि जिन सड़कों के लिए मेरे समय में पैसा आया और जिनका मैंने शिलान्यास किया; पता नहीं सरकार बदली। सरकार के परिन्दे उठे और उनके शिलान्यास दोबारा से करने लग गये। आपकी इस तरह की कार्यशैली को देखकर हैरानी होती है। इस कार्यशैली पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा नहीं तो समय आ गया है कि हम विपक्ष के सदस्यों को कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उसकी गाज़ ऑफिसर्ज पर न पड़े उसके लिए ऑफिसर्ज को भी सतर्क रहना पड़ेगा जो कहते हैं कि इनविटेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऊपर से इस तरह के आदेश थे। ऊपर के आदेश किसी पर नहीं आयेंगे बल्कि ऑफिसर्ज पर आयेंगे इसलिए उनको सतर्क रहना पड़ेगा और काम शुरु करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं यहां पर वन विभाग की बात करना चाहूंगी। (---व्यवधान---) अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात भी सुनूंगी। अगर अच्छी होगी तो जरूर सुनूंगी। मैं फॉरैस्ट क्लीयरैंस की बात करना चाहूंगी। कई सड़कों की फॉरैस्ट क्लीयरैंस के जहां पर पैसे आ गये हैं, मैंने गड़डूं सड़क के बारे में माननीय

मुख्य मंत्री जी को भी कहा था और उसके लिए हमारे समय में 374 लाख रुपये की सैंक्शन भी हुई थी। उसका एक छोटा सा हिस्सा आज दिन तक फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए अड़ा रहा। मैं वन विभाग को कहना चाहूंगी कि वह भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और उनको क्लीयर करवाएं। हो क्या रहा है? जो वन विभाग के पास केसिज थे वे तो हो नहीं रहे और जो फॉरैस्ट के रैस्ट हाउसिज हैं जिनमें रुटीन में पैसा आता है जैसे रिपेयर के नाम पर आता है। हमारे समय में भी आता था। जो सौ-सौ साल पुराने रैस्ट हाउसिज हैं क्या उनमें भी पत्थर लग सकते हैं? हमारे वहां तो तीन-चार रैस्ट हाउसिज में लगे हैं। मैंने यह विभाग के ध्यान में डाला था और प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि विकास के नाम पर विभाग में केवल पत्थर लग रहे हैं और क्या ये फिर लग सकते हैं? ब्रिटिश टाइम के रैस्ट हाउसिज पर जीर्णोद्धार के पत्थर लगे हैं, मैं सरकार से आग्रह करुंगी कि इन चीजों को रोको और उन पत्थरों को भी हटाओ। जो काम सरकार भी नहीं कर

27.08.2015/1610/NS/AS/3

सकती अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो आपको आंखें मूंद कर नहीं बैठना पड़ेगा। सरकार फॉरैस्ट क्लीयरैंसिज के लिए टाइम बाउंड करें। जो सड़कें देहरादून तक पहुंच गई हैं वे भी नहीं हो रही है। मैं यहां पर वनुमहादेव की बात नहीं लेती। वनुमहादेव की सड़क की डी.पी.आर. भी फॉरैस्ट क्लीयरैंस की वजह से रोक दी गई। एक समय था जब यह कहते थे कि फॉरैस्ट क्लीयरैंस बाद में हो जायेगी पहले डी.पी.आर. बना दो। लेकिन बाद में यह आया कि पहले फॉरैस्ट क्लीयरैंस होगी फिर डी.पी.आर. बनेगी। राजीव बिन्दल जी ने हर फैक्ट्स को यहां बड़ी सुंदरता के साथ रखा है ---

श्री नेगी द्वारा ----- जारी

27.08.2015/1615/negi/Dc/1

श्रीमती सरवीन चौधरी .. जारी...

विभाग अपने तरीके से कहता है। जो हमने 2-3 सड़कें प्लानिंग की मीटिंग में दी हैं, वह कहते हैं कि अभी नही होगा, कल होगा। जितनी बार विभाग को बुला लो उतनी बार नया बहाना बनाते हैं। क्या ऐसे आफिसर्ज़ के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी ? जो अपना काम न करके तनख्वाह ले रहे हैं, अपने घरों के पास आराम से बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि डी.पी.आर. भी नही बना रहे हैं। ऐसे आफिसर्ज़ के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ए.सी.आर. के ऊपर भी आंच आनी चाहिए तभी विभाग के लोग काम करेंगे।

इसी के साथ, मैं थोड़ा सा मंत्रियों के बारे में भी कहना चाहूंगी । उनको भी चिन्तित होना पड़ेगा। जिस तरह से बिन्दल जी ने कहा । एक समय था हॉस्पिटल्ज के बारे में जब विधायक प्राथमिकता में आता था ,उनके भवनों का या स्कूल की बात आती थी तो थोड़ी बहुत मान ली जाती थी । लेकिन आज राजनीति हो रही है। अगर हमें स्कूल देना ही नही है तो फिर विधायक प्राथमिकता का मतलब क्या है ? हमारे कहने से किसी हॉस्पिटल का भवन नही बनाना है तो फिर उस प्रफार्मा में उसको रखने का मतलब ही नही है। इसलिए प्लानिंग के लोगों को भी सीरियस हो करके इसकी ओर ध्यान दे करके इन सुझावों पर ठीक तरीके से देखना होगा। ... (घंटी).. जो पुरानी प्राथमिकताओं की बात है उसको तो छोड़ दो लेकिन जो नई प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर विभाग कुछ न कुछ काम करे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगी कि जो डी.पी.आर्ज. बन गई हैं और जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन है इसको सरकार टाईम बॉड करें ताकि हमारा काम कुछ तो आगे चले। यही नही, सत्ता पक्ष के डी.पी.आर्ज़. ही हो।...(व्यवधान)... हो सकता है बाली जी आपकी न हुई हो, मैं आपकी बात से एग्री करती हूं। अगली बार हम आर.टी.आई. के तहत सूचना ले करके आपको बता देंगे कि आपकी कितनी हुई हैं और हमारी कितनी हुई है। इस तरह से यह सिलसिला आगे चलता

रहेगा। लेकिन जो यह भेदभाव हो रहा है, मुख्य मत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में कहा कि इस काम को करो। ....(घंटी)... यह पुल

27.08.2015/1615/negi/Dc/2

जल्दी बनना चाहिए। आज दिन तक वह काम शुरू नही हुआ। मुख्य मंत्री जी के आदेशों का तो विभाग को पालन करना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने उद्घाटनों व शिलान्यासों की बात आपसे कह दी है। जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं इसकी ओर भी सरकार ध्यान दे । क्योंकि मेरी तो विधायक प्राथमिकताएं ही थी । मुख्य मंत्री जी का दौरा हो या किसी और मंत्री का दौरा हो, अभी-अभी फोरेस्ट मिनिस्टर मेरे चुनाव क्षेत्र में जा करके आए हैं और इन्होंने वहां पर बड़ी धूमधाम से वन-महोत्सव मनाया । उसमें भी विधायक को नही बुलाया। जिस भवन में बैठे वह 7.5 लाख रूपये का भवन मैंने बना करके रखा था। जिस सड़क से गए वह मैंने एस.सी. कम्पोनेंट के अन्तर्गत एस.सी. लोगों के लिए बड़ी सुन्दर सड़क बनाई थी। वहां स्कूल के और कालेजिज़ के बच्चे इक्ट्ठे किए। मैं इनका धन्यवादी हूं क्योंकि इन्होंने वहां ज्यादा राजनीति नही की । अच्छा लगा आपने वहां पर वन-महोत्सव मनाया। लेकिन विधान सभा में आपकी स्टेटमैन्ट है । जहां पर वन-महोत्सव होगा वह विधायक करेंगे। अगर आपके मंत्री अपनी बात से टल जाए या उसपर भी कायम न रहें तो मंत्रियों को भी सोचना पड़ेगा। हमने तो गुड- फेथ में आपके इस विजिट के बारे में पोजिटिव सोच रखा।.....(घंटी) ...जो सैंक्शन्ज़ वन विभाग की अड़ी हैं उसको भी आप ठीक करें। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं रखूंगी । बिन्दल जी ने जो यह प्रस्ताव लाया है, मैं इसका समर्थन भी करती हूं और आशा करती हूं कि अगली प्लानिंग की मीटिंग तक हमारी कुछ डी.पी.आर्ज. बनेंगी । यदि नही बनेंगी तो हम प्लानिंग और विभाग के आफिसर्ज़ को पूछेंगे कि हमारा जो राईट है वह कहां है? धन्यवाद।

अध्यक्षः मैडम, भवन तो दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए थोड़ी बनाए जाते हैं। भवन दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, अपने लिए नही बनाए जाते हैं।

माननीय सदस्य ध्यान देंगे, प्लीज-प्लीज। यह प्रस्ताव चल रहा है और यह 5 बजे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर तब तक यह कम्प्लीट नही होगा तो यह लैप्स हो जाएगा। अभी बोलने वाले बहुत हैं और फिर मंत्री जी ने जवाब भी देना है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि 5 बजे तक इसको खत्म करना पड़ेगा। अगर 5 बजे तक यह कम्प्लीट

27.08.2015/1615/negi/Dc/3

नही होगा तो यह लैप्स हो जाएगा। अब श्री राजेश धर्माणी जी इस चर्चा में भाग लेंगे। आप 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री राजेश धर्माणी जी ,श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

27.08.2015//1620यूके/1

मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणीः माननीय अध्यक्ष महोदय, डा0 राजीव बिंदल जी ने नियम 130 के तहत जो गैर-सरकारी सदस्य संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया है । इस पर मेरे से पूर्व 3 वक्ताओं ने अपने विचार रखे । अच्छा प्रस्ताव है और हिमाचल प्रदेश सरकार भी इसी मोटिव से काम कर रही है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का समान विकास हो, समग्र विकास हो । उसके तहत जहां सत्ता पक्ष के विधायक के विधान सभा क्षेत्र आते हैं वहां विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र भी आते हैं । हर साल विधायक प्राथमिकताएं योजना आयोग की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करते हैं । जैसा कि पूर्व सरकार के समय से ही यह निर्णय लिया गया था कि विधायक प्राथमिकताएं सम्बन्धित विभाग पहले कोशिश करेंगे कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाएं और अगर वहां से नहीं होती हैं तो उसके बाद नाबार्ड को प्रेषित करें या अन्य संसाधन जुटाएं ।

माननीय बिंदल साहब ने कुछ-एक अच्छे सुझाव यहां पर दिए । उसमें एक यह भी था कि जिस विधायक की प्राथमिकता होती है, जब योजना सैंक्शन होती है और जब उसका शिलान्यास होना है तो सम्बन्धित विधायक का नाम भी उसमें

शामिल होना चाहिए। यही बात सरवीण चौधरी जी ने भी की और यह अच्छी बात है कि सारे सदन के सदस्य इससे सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। लेकिन आप दोनों माननीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब हम लोग विपक्ष मे होते थे तो हम लोग यह डिमांड करते थे। हमने कई बार की है और अगर उस समय यह बात मान ली होती तो आज यह झंझट ही खत्म हो जाता। (व्यवधान) मैंने पहले ही बोल दिया कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यदि उसी समय यह शुरुआत कर दी होती तो आज इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती। (व्यवधान) प्रिविलेज मोशन भी लाये थे। केन्द्र सरकार की योजनाओं का शुरु से ही ऐसा रहा है कि सम्बन्धित सांसद, सम्बन्धित विधायक का नाम उसमें अंकित होता है, जहां भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन होता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन आपने उसकी शुरूआत नहीं की। यह जरूर हमें आपसे गिला है। पिछले टर्म में हम बोलते रहे। उसके बाद जो आदरणीय धूमल साहब ने फैसला लिया, हमने भी उसकी डिमांड की थी कि केन्द्रीय प्रायाजित परियोजनाओं का लाभ लेना चाहिए। ताकि प्रदेश के ऊपर

27.08.2015/1620/यूके/2

वित्तीय बोझ कम पड़े। उसमें जैसे हमारी सड़कें हैं, उसमें PMGSY के लिए प्रेषित करते हैं, इरिगेशन की स्कीम आई0बी0पी0 के लिए भेजते हैं। वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं NDRWP को भेजते हैं और उसमें बहुत सारी विधायकों की बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं स्वीकृत भी हुई हैं। लेकिन जब से दिल्ली में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है तब से यहां पर समस्या आनी शुरू हुई है। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। बहुत सारी योजनाओं में हम 10% कंट्रिब्यूट करते थे और 90% भारत सरकार देती थी। लेकिन अब उसमें कट लग गया है। वे कहते हैं कि 50% आप दो तब हम 50% देंगे। मतलब वह सीधा सा इन्कार करने की बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से मना कर दिया है। एक हाथ से थोड़ा सा दिया और बहुत सारा वापिस ले लिया। बल्कि एक हाथ से दिया और दोनो हाथों से लूट लिया। आप भी हिमाचल के लोंगों के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान) माननीय भारद्वाज जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हम आपका आदर करते हैं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

27.08.2015/1625/sls-as-1

श्री राजेश धर्माणी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव...जारी

यह केवल हमारी समस्या नहीं है बल्कि आपकी भी है और इसमें आपकी चिंता भी है। आप भी चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश को जो विशेष श्रेणी का दर्ज़ा प्राप्त था वह दोबारा से मिलना चाहिए। इसके लिए पहले तो आपको कोई प्रस्ताव लाकर शुरुआत करनी चाहिए और इसमें प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश, जो विशेष श्रेणी राज्य था, इसका वही दर्ज़ा बहाल हो ताकि हमें उसमें सुविधाएं मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, जो हम नाबार्ड के लिए केसिज भेजते हैं, उसके लिए जो प्रायोरिटीज का प्रोफौर्मा भरते हैं ,यह प्रोफौर्मा तो वैसे वही है जो आपके समय में था। थोड़ी-सी मोडिफिकेशन हुई है लेकिन हम उसी को फौलो कर रहे हैं। उसमें कोई बड़ा इसु नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछेक बातें ज़रूर कहना चाहूंगा। हम लोन लेने के लिए, वित्त प्रबंधन के लिए नाबार्ड को जो डी.पी.आर्ज़. प्रेषित करते हैं उसमें बहुत सारे विभाग शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन हमने अभी इसको केवल पी.डब्ल्यु.डी. और आई.पी.एच. विभागों की एक्टिविटीज तक ही सीमित कर दिया है। हमने एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हसबैंडरी, फिसरीज, सेरीकल्चर, फोरैस्ट्री आदि के कार्यों को लेकर इस प्रोफौर्मैं में कोई जगह नहीं रखी है जबकि इन विभागों से संबंधित बहुत से अच्छे-अच्छे प्रोजैक्ट बनाए जा सकते हैं जिनको माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र की ज़रूरतों और सहूलियतों के अनुसार प्रेषित कर सकते हैं। इसमें सी.ए. स्टोर (Controlled Atmosphere Store) बनाए जा सकते हैं, कोल्ड स्टोर बनाएं जा सकते हैं, मार्किटिंग यार्ड बनाए जा सकते हैं और सेरीकल्चर के अंतर्गत विविंग सैंटर भी बनाए जा सकते हैं। कल सारे माननीय विधायक स्ट्रे एनिमल को लेकर चिंता

जता रहे थे। हम इसके अंतर्गत गौसदन बनाने के लिए भी नाबार्ड को योजना भेज सकते हैं। यह सारी क्रियाएं कृषि से संबंधित हैं। मैं नहीं समझता कि अगर ये योजनाएं हम नाबार्ड को प्रेषित करेंगे तो नाबार्ड उनके

27.08.2015/1625/sls-ag-2

लिए मना करेगा। अगर हम केवल तीन ही योजनाएं मांगेंगे; अपनी योजनाओं को सड़क, सिंचाई और पेयजल तक ही सीमित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वह एक बड़ी सीमित कोशिश होगी। इसलिए इसके ऐंबिट (ambit) को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि किसानों से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं ,उनको जो समस्याएं आ रही हैं; जैसे वाईल्ड एनिमल से संबंधित समस्या आई है ,कई जगह पर फैंसिंग करनी है यह किसी जगह पर लिमिटिड फ्री जोन बनाना है; जहां पर उनको सुविधा मिल सके, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि प्रदेश स्तर पर इसके लिए एक स्पैशल परपज व्हिकल (SPV) बनाया जाए ताकि वह उसकी मोनिटरिंग कर सके। उसको डे-टू-डे बेसिज पर एक्सक्लुसिवली इसी काम के लिए रखा जाना चाहिए ताकि वह सही मोनिटरिंग कर सकें कि संबंधित योजनाओं को वित्त प्रबंधन के लिए भारत सरकार से टेक अप करना है या राज्य स्तर पर नाबार्ड को भेजना है या किसी और एजैंसी को भेजना है; वहां वह उनको टेक अप करे। इसमें जिला स्तर पर भी स्थिति ठीक नहीं है। बहुत-सी जगहों पर एफ.सी.ए. केसिज इन्वाल्व होते हैं। आजकल एफ.सी.ए. क्लीयरैंस लेना बहुत कंपलीकेटिड है। बहुत-सी जगहों पर एफ.आर.ए. कमेटीज में राजनीतिक लोग हैं। हम योजना भेजेंगे तो वहां आपके लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और बिना वजह उसमें देरी होती है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर या ए.डी.सी. को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाए ताकि वह सारे अधिकारियों के साथ कौर्डिनेशन स्थापित कर उन योजनओं को शीघ्रातिशीघ्र आगे बढ़ा सके और जिस उद्देश्य के साथ विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं डाली होती हैं वह जल्दी-से-जल्दी आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हिमाचल प्रदेश में सड़क बनाने के लिए ज़मीनों की कमी है। जो नाबार्ड के स्टैंडर्ड हैं उनमें 5 और 7 मीटर की ब्रैड्थ (breadth) मांगते हैं। जहां सीधा रोड है, वहां 5 मीटर और जहां कर्व है वहां 7 मीटर। क्योंकि एंबुलैंस या जीपेबल रोड के नाम पर वह शायद सहमत नहीं होंगे,

27.08.2015/1625/sls-ag-3

इसलिए अगर हम उनको ट्रैक्टरेबल रोड के नाम से प्राथमिकता देना शुरू करें तो हम कम ब्रैड्थ (breadth) के रोड भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लिंक रोड बने हैं, उनको भी इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। खासकर जहां पर एस.सी. हैबिटेशन्ज हैं, वह ज्यादातर ऐसी जगहों पर लोकेटिड हैं जो फॉर अवे लोकेशन्ज हैं, जहां पर अगर उनको बीच में सड़क बनानी है तो औरों की ज़मीन आ जाती है ,दूसरे गांव वालों की ज़मीन आती है। उसके लिए कहीं-न-कहीं लैंड एक्विजीशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा ताकि उन लोगों को भी यह सुविधा दी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगले वक्ता.. श्री गर्ग द्वारा

27/08/2015/1630/RG/AG/1

Speaker : Kindly confine yourself to five minutes only. क्योंकि अभी इस चर्चा का जवाब भी आना है।

अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। डॉ. राजीव बिन्दल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस

माननीय सदन में रखा है जिस पर चर्चा चल रही है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आगे-पीछे या दाएं-बाएं बात कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने बोल दिया है। यहां विषय सिर्फ डी.पी.आर. का है। यहां हम सब विधायक चुनकर आते हैं और एक निर्धारित समय हमारे पास काम करने के लिए होता है। उस समय में यदि हमने अच्छा काम कर लिया, तो लोग हमें दुबारा चुनने के बारे में विचार करते हैं और दुबारा चुनकर भी भेजते हैं। अगर हमने काम अच्छा नहीं किया ,कहीं कोई कमी छोड़ दी ,तो हमारी बात को नहीं सुनते, घर बैठा देते हैं। हमारी ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि हम एक अधिकारी या कर्मचारी की तरह 60 वर्ष के लिए यहां आएं। पिछली जो हमारी विधायक प्राथमिकता पर मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों को मुझे मालूम नहीं है कि कुछ बातें कहने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जिसकी आवश्यकता नहीं है। विधायक सिर्फ विधायक है। एक कम्युनिटी की यह फिलिंग तो होनी चाहिए कि जो हम लोग यहां चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आए हैं जो हमको अख्तिार है, अधिकार है उसके संरक्षण के लिए हम सामूहिक रूप से कुछ बातें तो तय करें। आज यहां विधायक प्राथमिकता का विषय रखा गया है। हमको योजना विभाग से पत्र आता है, हम अपना सारा काम छोड़कर आ जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं कि हम अपने विधान सभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं या चुने हुए प्रतिनिधियों पंचायत प्रधानों की बैठक बुलाते थे कि आप बताइए कि विधायक प्राथमिकता में कौन सी सड़क डालनी है। क्योंकि मैं ऐनुअल प्लानिंग की बैठक में जा रहा हूं। आप बताइए कि कौन सी पानी की स्कीम या पुल आदि प्राथमिकता में डालना है और हम वह डालते थे। लेकिन विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद जब हमें डी.पी.आर. के लिए इन्तजार करना पड़ा। एक साल हो गया, दो साल हो गए, तीन साल हो गए और पता चला कि DPR not received. उसके बाद चाहे वर्तमान सरकार हो या सरकार हमारी पार्टी की हो ,लेकिन मैं आपको यह सच में कह रहा हूं कि हर ऐनुअल

27/08/2015/1630/RG/AG/2

प्लानिंग की मीटिंग में हर माननीय सदस्य ने बार-बार सहा है और उन्होंने बार-बार कहा है कि हमने जिस डी.पी.आर. के लिए लिखकर दिया है उसको आप बना तो दो। लेकिन डी.पी.आर. तीन साल के बाद भी not received लिखकर

आया और कइयों में चार-चार सालों के बाद जवाब आता है कि DPR not feasible. मतलब हम लोगों का इतना प्रयास होता है और आज की तारीख में यह स्थिति हो गई है कि हम अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं कहते हैं कि ऐनुअल प्लानिंग की बैठक में हम जा रहे हैं। हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से इस बात को नहीं कह पाते कि हम आपकी सड़क को आर.एन.एस. के तहत बजट में डालेंगे। क्योंकि बजट में तो डाल देंगे, लेकिन पांच वर्षों तक डी.पी.आर. नहीं बनेगी और पांच वर्षों के बाद वही लोग खड़े होंगे कि आपने हमको कहा था कि हमको स्कीम दीजिए और स्कीम देने के बाद पांच वर्ष बीत गए ,लेकिन आज तक न तो वह स्कीम बनी और न ही उसकी डी.पी.आर. बनी। इसका जवाब कौन देगा? इसके लिए कई तरीके निकाले थे कि इसको ऑऊटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाए। एक बार नहीं कई बार इसके लिए नए-नए तरीके निकाले। जिस बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री करते हैं उसमें मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए चाहे आदरणीय धूमल जी ने दिए, चाहे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए ,लेकिन उसके बावजूद हठ-फिरकर ढर्रा वहीं-का-वहीं है ,आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें इस बात को सोचना चाहिए। या तो यह परम्परा बंद कर दीजिए। बैठक मत करिए, हमें लिखकर जो देना होगा, हम दे देंगे ,अगर काम होता है, तो ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि की प्राथमिकता अगर अपने विधान सभा क्षेत्र की दो स्कीमों को आप दे रहे हैं, दो पी.डब्लू.डी. की दे रहे हैं, दो सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य की दे रहे हैं, यदि उनकी डी.पी.आर. तीन-तीन साल तक न बने, तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में और कौन सा काम है, वे किस काम को करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। जब सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम नहीं होता, जो सरकार यहां बैठी हुई है , सरकार का मतलब सरकार और विपक्ष दोनों होता है ,ऐसा मत सोचिए कि यह सिर्फ सरकार के विधायकों का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको शीर्ष प्राथमिकता पर लेने की आवश्यकता है जिस बात की पीड़ा हम सबको है कि यह नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना है। क्या ऐसा नहीं है कि यदि आप

27/08/2015/1630/RG/AG/3

ऐनुअल प्लानिंग की बैठक एक बार कर रहे हैं ,तो साल के बाद वह बैठक एक रस्मी बैठक के रूप हो जाती है।

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2015/1635/MS/AS/1

श्री जयराम ठाकुर जारी-------

साल के बाद वह बैठक रस्मी बैठक के रूप में हो जाएगी। आप छः महीने के अंदर दुबारा बैठक कर सकते हैं? क्या इस परम्परा को शुरू करेंगे ताकि विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी प्रैशर रहे कि छः महीने के बाद फिर पूछा जाएगा कि डी0पी0आर्ज 0बनी कि नहीं बनीं। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को जोड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अध्यक्ष जी मैं यह भी कहना चाहता हूं ताकि इस बात को रिव्यु किया जाए ,नहीं तो सचमुच में इस परम्परा को बन्द कर देना चाहिए।

इसी तरह से जहां तक एफ0सी0ए0 की बात है। घुमाफिरा कर वही बात आती है। पानी की स्कीम है तो एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस नहीं है, लोक निर्माण विभाग की सड़क इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस नहीं है। इसकी हमने बार-बार चर्चा की लेकिन इसका समाधान उसके बावजूद भी नहीं मिला। अब लोग हमसे पूछते हैं कि आखिरकार इस चीज का समाधान निकालने के लिए आदमी कौन है। सर्वेसर्वा तो यह विधान सभा है। यहां पर सब चीजों का तय होना है। अगर प्राथमिकता के आधार पर सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि विधायक प्राथमिकता में अगर कोई स्कीम डाली गई है तो उसकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस की जिम्मेदारी भी सरकार की है। हम इसका समाधान

निकालेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, यहां पर एक बात सचमुच में ठीक कही गई, जिसको धर्माणी जी ने भी सैप्लीमैंट किया कि जब विधायक प्राथमिकता में विधायक अपनी स्कीमें को डालते हैं। यह सभी पक्षों के लिए ठीक रहेगा। आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा कि अगर विधायक प्राथमिकता में किसी स्कीम को डाला गया है अगर वहां पर मुख्य मंत्री या मंत्री उसका शिलान्यास करने क लिए जाता है तो क्यों विधायक को बुलाया नहीं जाता कि यह विधायक प्राथमिकता की स्कीम है इसमें संबंधित विधायक का नाम भी साथ में लगेगा। इसमें हर्ज क्या है? हमें नाम छापने की इच्छा नहीं है लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते कम-से-कम इतनी गुंजाइश तो सुनिश्चित करनी चाहिए। इस बात के लिए मेरा निवेदन रहेगा। यहां पर बाकी बातें विस्तार से कह दी हैं। मेरा इतना ही निवेदन है

27/08/2015/1635/MS/AS/2

कि इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अन्यथा एनुअल प्लानिंग की मीटिंग एक परिहास बनकर रह गई है। मैं धर्माणी जी की बात से सहमत हूं हम लोक निर्माण विभाग और आई0पी0एच0 तक सीमित रहते हैं हमें और भी चीजें सोचनी चाहिए। नये डाइमैंशन्ज सोचने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने एक योजना शुरू की थी जिसके तहत हरेक पंचायत में अम्बेदकर भवन बनाए गए। आज भी गांव में उनका उपयोग लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को भी जोड़ा जा सकता है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जहां फण्ड्ज हमें केन्द्र से आते हैं। अच्छी स्कीम के तहत एक-एक चीज को विधायक प्राथमिकता के आधार पर विधायक द्वारा अगर प्राथमिकता से लिया जाए तो मुझे लगता है कि सही रहेगा। अध्यक्ष जी, मुझे इतना ही कहना था। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

27/08/2015/1635/MS/AS/3

अध्यक्षः महेश्वर सिंह जी आप इस पर बोलना चाहेंगे? अगर बोलना है तो दो-तीन मिनट में बोलिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, आप मुझे इंट्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं? वह तो अभी संभव नहीं है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि दो अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प अभी और भी हैं जोकि श्री महेन्द्र सिंह जी और श्री महेश्वर सिंह जी ने लगाए हैं। क्योंकि समय थोड़ा है और मुख्य मंत्री जी ने अभी डी0पी0आर0 वाले संकल्प का उत्तर भी देना है इसलिए दोनों संकल्पों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए।

उद्योग मंत्री(संसदीय कार्यमंत्री): अभी तो पहले जवाब आएगा, फिर उसके बाद एक ही होगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अगर आपने काम करना है तो हम उधर ऐड्रस कर दिया करेंगे। हम भी रूल्ज आपसे ज्यादा जानते हैं। आप मंत्री हैं वे स्पीकर हैं।

उद्योग मंत्री(संसदीय कार्यमंत्री): मैं संसदीय कार्यमंत्री हूं। मुख्य मंत्री जी का जवाब आएगा उसके बाद एक ही संकल्प होगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः हम सजैशन दे रहे हैं। This House is supreme. Any rule can be over ruled by this House. ठीक है न? मैं वही सुझाव दे रहा हूं कि दोनों ही संकल्प महत्वपूर्ण है इसलिए दोनों को इंट्रोड्यूस करने के बाद मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

अध्यक्षः मान्य सदन जैसे चाहेगा ,वैसा होगा। वैसे तो दोनों संकल्प लगे ही हुए हैं लेकिन आप लोग थोड़ा-थोड़ा बोलते तो अच्छा रहता। इसको तो करेंगे ही। माननीय महेश्वर सिंह जी दो मिनट में आप बोलिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, किस पर बोलने के लिए आप कह रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष जी, हैंडराइटिंग देखिए, इसमें श्री महेन्द्र सिंह जी का नाम है।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी डी0पी0आर0 वाले संकल्प का उत्तर देंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, जो दो अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प लगे हैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। फिर मुख्य मंत्री जी जवाब दे देंगे।

अध्यक्षः पहले माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे, उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे।

मुख्य मंत्री श्री जे0के0 द्वारा----------

27.08.2015/1640/जेएस/एजी/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत दी जाने वाली योजनाओं की डी.पी.आर्ज. को शीघ्र तैयार करने तथा इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतया प्रयासरत्त है। कई दफा क्या होता है कि पीने के पानी की स्कीम हो या कोई और स्कीम हो उसमें कई बार जंगल आता है, कहीं प्राईवेट लैंड आती है उसकी वज़ह से देर होती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने वर्ष में दो प्राथमिकताएं दी हैं, पीने के पानी की और सड़क की उनमें आप अदला-बदली कर सकते हैं। उनको छोड़ करके दूसरी स्कीम भी लगा सकते हैं। You have given the right of choice. अभी आपकी एक स्कीम अटक गई है आप उसकी जगह पर दूसरी स्कीम भी दे सकते हैं। कोई स्कीम अटक गई है और उसकी कोई उम्मीद नहीं है या उसमें बहुत देर

लगेगी। You can change to some other scheme. ताकि आपका जो पैसा है वह लैप्स न हो। डी.पी.आर्ज. तैयार करने में देरी का मामला प्रदेश सरकार के ध्यान में है। यह मामला विधायक प्राथमिकता की बैठकों में भी माननीय विधायकों द्वारा उठाया जाता रहा है। इसी तरह से यहां पर सुझाव आया है कि हम साल में एक बार बैठक करते हैं एम.एल.ए. के साथ, अपनी योजना के बारे में वे अपने-अपने क्षेत्र में क्या-क्या चाहते हैं। यहां पर एक सुझाव आया है कि साल में एक दूसरी बैठक समीक्षा के लिए होनी चाहिए कि जो एम.एल.ए. ने प्रायोरिटी दी है वह कहां पर अटकी है और अब कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? । accept that suggestion. हम मिड ईयर में फिर से मीटिंग करेंगे और उसमें आप लोग बता सकेंगे कि हमारी फलां स्कीम नहीं चल पा रही है या उसमें क्या कठिनाई है उस बारे में सरकार अपने व्यूज़ दे सकती है। इसलिए यह अच्छा होगा एक मीटिंग सभी विधायकों के साथ मिड ईयर में करवाई जाए to assess the progress of the projects/schemes given by them.

डी.पी.आर्ज. तैयार करने में देरी के मुख्य कारण वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि डाईवर्शन करने की प्रक्रिया, निजी भू-मालिकों द्वारा योजनाओं के

27.08.2015/1640/जेएस/एजी/2

लिए भूमि प्रदान करने में देरी, प्रस्तावित पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के स्त्रोतों में पानी की कमी इत्यादि है।

माननीय विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु वार्षिक बैठकों में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की डी.पी.आर्ज. तैयार करने तथा योजनाओं को निश्चित समयावधि के भीतर पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जाती है। सम्बन्धित विभागों को डी.पी.आर्ज. तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के आदेश दिए जाते हैं। मगर माननीय विधायकों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे निजी भूमि मालिकों को भूमि दान में देने के लिए प्रेरित

करें। जिस स्कीम में भूमि इन्वॉल्व होती है और अगर वह निजी भूमि है, उसको भी प्रेरित करें कि वह उस प्रोजैक्ट के लिए अपनी भूमि दें। यह भी विधायकों की जिम्मेदारी होती है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

27-08-2015/1645/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

और अगर आप उसमें जमीन दिलाने में और उसमें जो कठिनाई है उसको हल करने में विधायक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डी0पी0आर0 तैयार करने में देरी की समस्या के समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकतानुसार आउटसोर्स के माध्यम से भी डी0पी0आरज़ 0तैयार करवाएं। **प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आउटसोर्स के माध्यम से डी0पी0आरज़0 तैयार करवाने के लिए लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभागों को मु0 50 लाख रुपये प्रति विभाग का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने बजट की और आवश्यकता होगी उतना बजट विभागों को उपलब्ध करवा दिया जायेगा।** सम्बन्धित विभाग आवश्यकतानुसार योजनाओं की डी0पी0आरज़0 आउटसोर्स के माध्यम से तैयार करवा रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की डी0पी0आरज़0 तैयार करने में तेज़ी आई है।

मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि तीन घोषणाओं की अवधि वर्ष 2013-14 से 2015-16 (25अगस्त, 2015 तक) के दौरान लोक निर्माण विभाग ने 992 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 292 डी0पी0आरज़0 तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने 283 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 85 विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं की डी0पी0आरज़0 तैयार की हैं।

सरकार विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं को अधिक-से-अधिक स्वीकृत करवाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सर्वप्रथम माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे PMGSY, CRF, NRDWP, AIBP, Externally Aided Projects इत्यादि कार्यक्रमों के अन्तर्गत फंडिंग करने के प्रयास किये जाएं। क्योंकि नाबार्ड अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है।

विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी0पी0आरज़0 शीघ्र तैयार करने और स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण करने के लिए योजनाओं की प्रगति की

27-08-2015/1645/SS-DC/2

समीक्षा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, शिमला द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों एवं मुख्य सचिव के स्तर पर भी विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की जाती है। मुख्य मंत्री के स्तर पर भी माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु आयोजित वार्षिक बैठकों में इन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा नाबार्ड अथवा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार धन का प्रावधान किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया वह गैर-सरकारी कार्य संकल्प वापिस लें। मैं जानता हूं कि इसमें देर होती है, पैसे की कमी नहीं है, कई बार पैसा लैप्स हो जाता है मगर ज़मीन के ऊपर यानी ज़मीनी तौर पर जो कठिनाइयां पैदा होती हैं उसकी वजह से देर होती है..

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2015/1650/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी---

मगर जो जमीनी तौर पर कठिनाइयां पैदा होती है, उसकी वजह से देर होती है। खासकर सड़कों के मामले में और पीने के पानी के मामले में जमीन का इस्तेमाल होता है। अगर भूमि सरकार की है तो कोई समस्या नहीं लेकिन अगर वह निजी भूमि है, जो उसका मालिक है वह अपनी इच्छा से उस प्रोजैक्ट को बनने दें तो समस्या हल हो जाती है लेकिन जहां फोरैस्ट लैंड आती है, वहां फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए हमको जाना पड़ता है । ये सारी प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद ही काम चल सकता है। मैं देखता हूं कि जहां तक पैसे की बात है, फंडिंग की बात है, जितना पैसा उस योजना के मुताबिक दिया जाना चाहिए, उस प्रोजैक्ट के मुताबिक दिया जाना चाहिए, वह उपलब्ध है अगर कमी भी होगी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं मगर यह जो मंजूरी की बात है, चाहे जमीन की है चाहे फोरैस्ट क्लीयरैंस की है, इसकी वजह से देरी हो रही है और इसके लिए भी हमने नोडल ऑफिसर अप्वाइंट किया है, खासकर फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ के लिए कि जल्दी से जल्दी विधायकों की जो योजनाएं हैं, उनके लिए चाहे जमीन की समस्या आ रही हो, चाहे लोक निर्माण की सड़क बनाने की समस्या आ रही हो या बिजली की आ रही हो, उसको जल्दी से जल्दी फोरैस्ट क्लीयरैंस मिले, इसके लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी देर हो जाती है जैसे मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं, आपने प्रायोरिटी दे दी आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं ,आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं मगर समय रहते उसको कर सकते हैं। जहां कहीं अड़चन है, आप समझते हैं कि उसकी वजह से आपका प्रोजैक्ट नहीं चल पा रहा है तो आप दूसरी प्रायोरिटी दे सकते हैं ताकि आपका काम न रुकें और आपके क्षेत्र का विकास न रुके। धन्यवाद। अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने जो संकल्प दिया है, ये उसको वापिस लें।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है?

27.08.2015/1650/केएस/एजी/2

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि डी.पी.आर्ज़ में किन्हीं कारणों से देरी होती है और आपने विश्वास भी दिया है कि हम डी.पी.आर्ज़ को जल्दी बनाने के लिए विभागों को आदेश देना चाह रहे हैं। केवल दो छोटे से विषय अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मान लेंगें कि जो डी.पी.आर. बन गई हैं उनको फंडिंग के लिए शीघ्रता से भिजवा दें और दूसरा अगर 50 करोड़ से अधिक की डी.पी.आर. बनी है, तो उसमें भी स्वीकृति प्रदान करेंगें इतना आपसे विश्वास लेते हुए मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, हमारी भी यही सोच है कि जैसे ही डी.पी.आर. तैयार हो जाए उसको फौरन फंडिंग के लिए आगे भेजना चाहिए। उसमें बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। दूसरे, जो आपने 50 करोड़ से अधिक की बात की तो ऐसे तो अगर हम सीमा को लांघने लगेगें तो बहुत बड़ा फाईनैंशियल बर्डन पड़ सकता है। यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और उसकी बजटिड एलोकेशन जिसको आपने समझा कि वह इतने में बन जाएगी लेकिन उसका बजट उससे आगे बढ़ रहा है तो हम केस टू केस इस पर फैसला करेंगें और हम 50 करोड़ रु0 की सीमा को भी बढ़ा सकते हैं।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)
संकल्प वापिस हुआ।

अगला संकल्प श्रीमती अ0व0 द्वारा---

27.8.2015/1655/AV/dc/1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 101 के अंतर्गत मेरा जो संकल्प है मैं सबसे पहले उसको पढ़ना चाहूंगा जो कि इस प्रकार से हैं :-

'संकल्प'

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केंद्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस लें।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियां व भूमि जो केंद्रीय एवं प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के निर्माण को दी जा चुकी है और बंजर पड़ी है उसे प्रदेश सरकार वापिस लें।

इसके साथ ही यह इन्ट्रोड्यूस हो गया है। अब अगला प्रस्ताव ऐडमिट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही प्रस्ताव हो सकता है। अगले सत्र के दौरान जब भी गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस होगा उसमें इसको दोबारा से दे सकते हैं।

इसके साथ ही इस मान्य सदन की बैठक कल शुक्रवार दिनांक 28 अगस्त, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 27.8.2015 **सचिव।**